द्वितीय माला, खण्ड ६०—अंक ११

शनिवार, २ दिसम्बर, १९६१
११ अग्रहायण, १८८३ (शक)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. 74
17.1.62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पन्द्रहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ६० में अंक ११ से अंक १६ तक हैं)

Preservation
Fumigated
On 3.12.83
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ६०--अंक ११ से १६--२ से ८ दिसम्बर, १९६१/११ से १७ अग्रहायण, १८८३ (शक)]

पृष्ठ

अंक ११--शनिवार, २ दिसम्बर, १९६१/११ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४९१, ४९२, ४९४ से ४९६, ४९८, ४९९, ५०१ से ५०५, ५०९, ५१०, ५१३, ५१६, ५१९, ५२१ से ५२४ और ५२६ . . . १२५९--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३, ४९७, ५००, ५०६ से ५०८, ५११, ५१२, ५१४, ५१५, ५१८, ५२० और ५२५ . . . १२८५--९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १००१ से १०८१ . . . १२९०--१३२३

स्थगन प्रस्ताव--

निशानों में पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियां . . . १३२३-२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दूस्तान मोटर्स को विशेष रेलगाड़ी का दिया जाना . . . १३२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १३२५-२६

राज्य सभा से सन्देश . . . १३२६

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पटल पर रखे गये . . . १३२६

सदस्य की गिरफ्तारी . . . १३२७

भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कृत्यों और गतिविधियों के बारे में एक वक्तव्य . . . १३२७

सभा का कार्य . . . १३२७-२८

विधेयक पुरस्थापित

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . . १३२८

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक १९६१ . . . १३२८

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६१ . . . १३२९

वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) . . . १३२९--३४

बड़ी रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . १३३४--४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित--

(१) हिंदू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, १९६१ (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का] . . . १३४१

विषय	पृष्ठ
(२) चलचित्र उद्योग कर्मचारी (कार्य की दशा में सुधार) विधेयक १९६१ [श्री गोरे का] . .	१३४१
(३) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) [श्री सं० चं० सामन्त का]	१३४२
(४) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१, [श्री अ० त्रि० शर्मा का] . . .	१३४२
(५) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, १९६१ [श्री अमजद अली का]	१३४२
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक, १९६१ [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] अस्वीकृत	१३४३–४७
विचार करने का प्रस्ताव . .	१३४३—४७
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ का संशोधन) [श्री तंगामणि का] वापस ले लिया गया	१३४७–५०
विचार करने का प्रस्ताव	१३४७—५०
दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, १९५९ (धारा ४८८ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] .	१३५०–५३
विचार करने का प्रस्ताव	१३५०—५३
पटसन का मूल्य विधेयक, १९५९ [श्री झूलन सिंह का] .	१३५३–५४
कार्य मंत्रणा समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१३५४
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५५—६३
अंक १२—सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१/१३ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५२९ से ५३१, ५३३ से ५३६ और ५३८ से ५४७	१३६५—८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२८, ५३२, ५३७ और ५४८ से ५६७ . .	१३९०—१४००
अतारांकित प्रश्न संख्या १०८२ से ११९२ . .	१४००—५०
स्थगन प्रस्ताव—	
१. जामा मस्जिद क्षेत्र में बम विस्फोट .	१४५०–५२
२. लन्दन हवाई अड्डे पर भारतीयों को उतरने की अनुमति देने से तथाकथित इन्कार	१४५२

विषय	पृष्ठ
३. चौद्वार में उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स का बन्द होना .	१४५२–५३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल आप्रवास विधेयक . .	१४५३––५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१४५५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१४५५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति––	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	१४५५
विधेयक पुरस्थापित––	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१ .	१४५६
(२) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१४५६
कार्य मंत्रणा समिति––	
सड़सठवां प्रतिवेदन . . .	१४५६
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा .	१४५७––८२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	१४८३––८६
कोयला खान भविष्य निधि योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१४८६––८८
दैनिक संक्षेपिका	१४८९––९६
अंक १३––मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१/१४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७०, ५७२, ५८८, ५७४ से ५७८, ५९४, ५७९ और ५८० . . .	१४९७––१५२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७३, ५८१ से ५८७, ५८९ से ५९३ और ५९५ से ६१६	१५२३––३८
अतारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १३१७, १३१९ और १३२१ से १३२९	१५३९––९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
राजहरा और नन्दिनी खानों के दस हजार मजदूरों की कथित छंटनी . ,	१५९७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१५९८––१६००
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर में शुद्धि . . .	१६००–०१
सरकारी उपक्रमों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव के संबंध में .	१६०१
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१––पारित .	१६०१–०२
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा . . .	१६०२––०९

बिषय	पृष्ठ
संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . .	१६०९—२३
खंड २, ३ और १	१६२२–२३
पारित करने का प्रस्ताव	१६२३
सभा का कार्य	१६२४
कलिंग एयरलान्इस के बारे में चर्चा	१६२४—२९
दनिक संक्षेपिका	१६३०—३९

अंक १४—बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१/१५ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६१९ से ६२३, ६२३–ख, ६२४, ६२५, ६२५–क, ६२६, ६३० से ६३३ और ६३३–क . .	१६४१—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२३–क, ६२७ से ६२९, ६३४, ६३५, ६३५–क, ६३५–ख, ६३६ से ६३८, ६३८–क, ६३९ से ६४१, ६४१–क, ६४१–ख, ६४२, ६४२–क, ६४३ से ६४५, ६४५–क और ६४५–ख	१६६५—७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १४१७, १४१९ से १४२५, १४२५–क से १४२५–य और १४२५–कक से १४२५–णण . .	१६७६—१७३७
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१७३७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल कृषक संबंध अधिनियम की क्रियान्विति .	१७३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७३८–३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इक्यानवैवां प्रतिवेदन . . .	१७३९
प्राक्कलन समिति—	
एकसौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन	१७४०
लोक लेखा समिति—	
उन्तालीसवां प्रस्नाव	१७४०
अनुपस्थिति की अनुमति . .	१७४०
सभा का कार्य . . .	१७४०–४१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	१७४१—४५
नियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६१—पुरस्थापित और पारित .	१७४५–४६

विषय	पृष्ठ
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७४६--५०
खंड २ और १ . . .	१७५०
पारित करने का प्रस्ताव	१७५०
विश्वभारती (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७५१--६०
खंड २ से १६ और १	१७५९-६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१७६०
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--	
पारित करने का प्रस्ताव	१७६०--६४
खंड २ से ४ और १	६७६३-६४
पारित करने का प्रस्ताव	१७६४
लाख पर निर्यात शुल्क के बारे में	१७५४--६७
दैनिक संक्षेपिका .	१७६८--७७
अंक १५--गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९६१/१६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४८, ६५१ से ६५८, ६५८-क, ६५९ से ६६२ और ६६५ .	१७७९--१८०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४९, ६५०, ६६२-क, ६६३, ६६४, ६६६, ६६६-क, ६६७ से ६७२, ६७२-क, ६७२-ख और ६७३	१८०२--०९
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२६ से १५६५ और १५६५-क	१८१०--७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों को काम में न लाना	१८७०-७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७२-७३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
कार्यवाही सारांश . .	१८७३
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति --	
कार्यवाही सारांश .	१८७३
याचिका समिति--	
कार्यवाही सारांश	१८७३
राज्य सभा से सन्देश	१८७३

विषय	पृष्ठ
याचिका समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	१८७४
प्राक्कलन समिति—	
एक-सौ चवालीसवां और एक-सौ छियालीसवां प्रतिवेदन	१८७४
याचिका का उपस्थापन . .	१८७४
तारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर में शुद्धि	१८७४
संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन-व्यवस्था के बारे में वक्तव्य	१८७५–७६
धार्मिक न्यास विधेयक	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाना	१८७६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१८७६—१९०२
सभा का कार्य	१९०२
दैनिक संक्षेपिका	१९०३—११
अंक १६—शुक्रवार, ८ दिसम्बर, १९६१/१७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७४, ६७५, ६८१, ७१९, ६७६, ६८०, ६८२, ७८३, ६८५ से ६८९, ६९१ और ६९७	१९१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ६७९, ६८४, ६९२ से ६९६, ६९८ से ७००, ७००-क, ७०१ से ७१८ और ७२० से ७२२ .	१९३८—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १५६६ से १७०३ और १७०५ से १७१५ .	१९५२—२०१४
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पूर्व जर्मनी में भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को चीन का भाग दिखाने वाले नकशों का प्रकाशन . . .	२०१४–१५
(२) दिल्ली पुलिस द्वारा ६५ प्रतिशत अपराध के मामलों के दर्ज न किये जाने की सूचना .	२०१५
(३) दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता और उसके उपनगरों को बिजली का न दिया जाना	२०१५–१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) अगरतला में अग्निकांड से कथित मृत्यु तथा सम्पत्ति की हानि	२०१६
(२) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल	२०१६–१७

पृष्ठ

(३) कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के कारखानों को कोयला संभरण में कमी २०१७–१८

सूचना का विषय—

सामान्य चुनाव . . . २०१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०१८–२१

राजखरसवां बड़ाजामदह लाइन को दोहरा करने के बारे में वक्तव्य २०२१

आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश २०२२

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश . २०२२

(२) तेरहवां प्रतिवेदन . २०२२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २०२२

प्राक्कलन समिति—

एक-सौ तैंतालीसवां, एक सौ पैंतालीसवां और एक सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . २०२२–२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में शुद्धि . . २०२३

व्यापार मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिये जेनेवा यात्रा के बारे में वक्तव्य २०२३

कैनेडा की एक फर्म के द्वारा मोटर के पुर्जों के संभरण सम्बन्धी सचिवों की एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . २०२३

बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव २०२३—३२

सभा का कार्य . . २०३२

लौह अयस्क की खानें श्रमिक कल्याण उप-कर विधेयक २०३३–३५

खंड २ से ८ और १ . २०३५

पारित करने का प्रस्ताव

श्री ल० ना० मिश्र २०३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्यानब्वेवां प्रतिवेदन . . . २०३५–३६

गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटाने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . २०३६—३८

लोक सभा के सदस्यों की वेश भूषा के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . २०३८—४२

विषय	पृष्ठ
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प .	२०४२—५४
ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२०५५—६०
दैनिक संक्षेपिका . .	२०६१—७२
पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही संक्षेप	२०७३—७५

नोटः मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1651(AI)LS—11-1-62—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, २ दिसम्बर, १९६१

११ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औषध कारखाने

+

†*४६१. { **श्री कोडियान :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कारखानों के बारे में सोवियत विशेषज्ञों के परियोजना प्रतिवेदन का इस बीच परीक्षण कर लिया गया है और निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) ऐसे कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे, वे कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे, और उनकी अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) इन कारखानों के स्थापित होने से भारत आवश्यक औषधों के मामले में किस हद तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल, पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) औषध कारखानों सम्बन्धी परियोजनाओं की रिपोर्टें रूसी विशेषज्ञों ने तैयार की थीं । इन रिपोर्टों पर विचार कर लिया गया है और रूसी विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके उनकी सहमति से कुछ रूपपरिवर्तन करके उन्हें स्वीकार कर लिया गया है । रूसी विशेषज्ञ आजकल इसी उद्देश्य से देश में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1631 (Ai) LSD—1.

(ख) चार औषध कारखाने, अर्थात्, रिशीकेश (उत्तर प्रदेश) में एन्टीबायोटिक्स, सन्तनगर (आंध्र प्रदेश) में मिश्रित औषधियां, मद्रास में शल्य चिकित्सा के औजार और केरल में नेरियमग्गलम में उद्भिद रसायन (फाइटो-केमिकल्स) कारखाने खोलने का निश्चय किया गया है ।

इन कारखानों की अनुमानित वार्षिक क्षमता क्रमानुसार विभिन्न एन्टीबायोटिक्स की ३०० टन, मिश्रित औषधियों और विशेष मध्यवर्ती औषधियों (इन्टरमीडियेट्स) की ८५० टन, शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी औजारों की २५ लाख और जड़ी बूटियों से बनने वाली औषधियों की १०० टन होगी ।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में किये जाने वाले विकास से आशा है कि देश तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन कारखानों के स्थापित होने से प्राय सभी अनिवार्य औषधियों में आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

†**श्री कोडियान** : इन चार औषध कारखानों की स्थापना करने के प्रारम्भिक कार्य में, जैसे भूमि अधिग्रहण, इमारतों का निर्माण, आदि, में क्या प्रगति हुई है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : भूमि राज्य सरकारो ने दो है और रूसी दल पहिले से ही देश में है। कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है । परियोजना सम्बन्धी रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। उन पर विचार विमर्श हो गया है और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

†**श्री कोडियान** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन कारखानों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं एक दम यह संख्या नहीं बता सकता । रसायन कारखानों में साधारणतया अधिक रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि वे स्वत चालित कारखाने होते हैं। परन्तु औजारों के कारखाने में काफी लोगों को रोजगार मिलेगा।

†**श्री कोडियान** : क्या केरल में उद्भि-रसायन कारखाने के लिए अपेक्षित जड़ी बूटियों की कृषि आरम्भ हो गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : देश के विभिन्न भागों में जड़ी बूटियों के फार्म हैं। उदाहरणार्थ, काश्मीर में संगठित फार्म हैं। देश के विभिन्न भागों में और फार्म खोलने होंगे और यदि कारखाने के पास कुछ जड़ी बूटियां उगाई जा सकें, तो यह भी किया जायेगा।

पटसन मजूरी बोर्ड का अन्तरिम पंचाट

+

†*४९२. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मजूरी बोर्ड का अन्तरिम पंचाट सभी पटसन मिलों में क्रियान्वित किया जा चुका है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कानपुर में पटसन मिलों के मालिकों को भी इसे क्रियान्वित करने के लिये राज़ी कर लिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) हां, तीन को छोड़कर सब में लागू किया है।

(ख) इन तीन मिलों के प्रार्थना करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोधनादेश जारी कर दिया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : एक पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि न्यायालय ने रोधनादेश जारी कर दिया है। भारत सरकार ने या श्रम मंत्रालय ने मालिकों को इस बात पर सहमत करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि वे उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना पंचाट को लागू कर दें ?

†**श्री आबिद अली** : हमने उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री को लिखा था और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मालिकों से बात की थी परन्तु उन्हें उच्च न्यायालय से अपना प्रार्थनापत्र वापस लेने के लिए सहमत न कर सके।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा गया है कि वह इस मामले का शीघ्र निर्णय करने के लिए उच्च न्यायालय से प्रार्थना करे ? अन्यथा, इसमें विलंब होगा। इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : हमने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं लिखा है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दे सकते हैं।

†**श्री तंगामणि** : पश्चिमी बंगाल में कितने मिलों ने इन अन्तरिम सिफारिशों को लागू किया है और इससे कितने मजदूरों को लाभ होगा ?

†**श्री आबिद अली** : कुल ८८ मिल हैं। उनमें से केवल ३ मिलों ने लागू नहीं की है। कुल २,५२,००० मजदूर हैं जिनमें से २,४७,००० मजदूरों को इससे लाभ हुआ है। इसका अर्थ है कि ९८ प्रतिशत से अधिक मजदूरों को लाभ हुआ है और अब केवल २ प्रतिशत का प्रश्न है।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार राज्य सरकार से उच्च न्यायालय से यह प्रार्थना करने का निवेदन करेगी कि अभियोग शीघ्र निबटाया जाये, क्योंकि रोधनादेश को जारी हुए तीन महीने से अधिक हो गये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मैं नहीं समझता कि हमें इस प्रकार कोई सफलता मिल सकती है। यदि माननीय सदस्यों का यह सुझाव है तो मैं इसे उत्तर प्रदेश की सरकार को भेज दूंगा।

फल विधायन और फलों को डिब्बे में बन्द करने के लिये प्रौद्योगिकीय केन्द्र

†*४९४. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूगोस्लाविया से फल विधायन (प्रोसेसिंग) और फलों को

---

†मूल अंग्रेज़ी में

डिब्बे में बन्द करने के लिये एक प्रोद्योगिकीय केन्द्र (टैक्नोलोजिकल सेन्टर) की स्थापना की योजना का अन्तिम ब्यौरा प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). नहीं, श्रीमान। यूगोस्लाविया से ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने बताया था कि फल विधायन और फलों को डिब्बे में बन्द करने के लिए एक प्रौद्योगिकीय केन्द्र की स्थापना करने में यूगोस्लाविया की सरकार ने हमें सहायता देने का प्रस्ताव किया है। हमने प्रस्ताव और प्रस्ताव के क्षेत्र आदि पर उनके साथ वार्ता की है। इसका ब्यौरा कि इसे कैसे लागू किया जाये और उनमें क्या-क्या सम्मिलित होगा, अभी यूगोस्लाविया से प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इसके लिए कोई स्थान चुन लिया गया है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : निश्चित स्थान नहीं चुना गया है। ब्यौरा आते ही यह किया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस परियोजना पर लगभग कितना व्यय होगा और यूगोस्लाविया भारत के साथ व्यय में कैसे हाथ बटायेगा?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कुल ४० लाख रु० व्यय होंगे और इसमें से २५ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जो यूगोस्लाविया से ऋण से पूरी होगी।

अल्प-विकसित देशों को अमरीकी सहायता

+

†*४६५. { **श्री श्री नारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैलग्रेड में हुए तटस्थ राष्ट्र शिखिर सम्मेलन के बाद अल्प-विकसित देशों की समस्या के बारे मे और विशेषतः इस देश की सहायता-समस्या के बारे में अमरीका सरकार के रुख में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बात का कुछ संकेत मिलता है कि इसके परिणामस्वरूप सहायता कार्यक्रम में कमी हो गई है; और

(ग) यदि हां तो किस प्रकार की कमी हुई है?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) सरकार को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अल्प-विकसित देशों की सहायता-समस्याओं के प्रति अमरीका के रवैये में बैलग्रेड में तटस्थ राष्ट्र शिखिर सम्मेलन के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि सम्मेलन में दिये गये एक भाषण के कारण कुछ प्राधिकारियों ने सहायता देने के बारे में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिये ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं पहिले ही बता चुकी हूं कि इस बारे में अमरीकी सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि अमरीका ने अपने सहायता विधेयक में परिवर्तन किया है जिसमें अमरीका से सहायता पाने वाले तटस्थ राष्ट्रों की राजनीतिक परीक्षा का उपबन्ध है—"राजनीतिक परीक्षा" का अर्थ है विश्व संकट के बारे में अमरीका से सहमत होना? क्या सरकार को यह बात विदित है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : विदेशी सहायता विनियोग विधेयक के औपचारिक संशोधन का, जो सीनेटर कीटिंग के कहने पर पेश किया गया है, सरकार को ज्ञान है। यह संशोधन निम्न है :—

> "कांग्रेस का यह मत है कि इन राशियों के प्रयोग करने में उन राष्ट्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिये जो विश्व संकट में अमरीका के विचारों से सहमत हैं।"

बाद में प्रेसीडेन्ट केनेडी ने अपने प्रेस सम्मेलन में कहा था :

> "हम अपनी सहायता का प्रयोग करने में यह कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमें अपनी समस्त नीतियों में इन देशों की सहमति प्राप्त हो जाये।"

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि इस विशिष्ट संशोधन के परिणामस्वरूप, अल्प विकसित देशों में यूगोस्लाविया को अमरीकी सहायता से सबसे पहिले हाथ धोना पड़ा? और, यदि हां तो क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति श्री नेहरू और श्री नासर से भेंट करने और इस समस्या के इस पहलू पर विचार–विमर्श करने के लिए तत्काल कैरो आये थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वस्तुत: मैं नहीं जानती कि यूगोस्लाविया में क्या हुआ। यदि माननीय सदस्य भारत के बारे में प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दे दूंगी।

†**श्री हेम बरुआ** : वहां हमारे प्रधान मंत्री थे और इससे पता लगता है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे भय है कि माननीय सदस्य प्रधान मंत्री को सम्मिलित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : और यूगोस्लाविया ।

†**श्री गोरे** : हमारे प्रधान मंत्री की प्रेसीडेन्ट केनेडी के साथ भेंट में क्या इस विषय पर कोई प्रकाश डाला गया था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने स्पष्ट बता दिया है कि जहां तक अमरीकी नीति का संबंध है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और मैंने प्रेसीडेन्ट द्वारा किये गये स्पष्टीकरण का भी उल्लेख किया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि अमरीकी प्रशासन ने तटस्थ देशों को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया है—पोजीटिव न्यूट्रल्स और नैगेटिव्स न्यूट्रल्स . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। इस से हमारा कोई अधिक संबंध नहीं है। माननीय सदस्य समझते हैं कि वह अमरीका की कांग्रेस के सदस्य हैं और यह भूल जाते हैं कि वह भारत में हैं। यदि भारत के प्रति रवैये में कोई परिवर्तन होता है, तो वह दूसरे देशों के बजाये उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उनकी नीतियों या उनके पारस्परिक समायोजन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यही कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। मैं अनुमति नहीं दे रहा। अगला प्रश्न।

जम्मू और काश्मीर का औद्योगिक सर्वेक्षण

+
†*४९६. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री बलराज मधोक :
श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा हाल में जम्मू तथा काश्मीर का औद्योगिक सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) हां, श्रीमान।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ? रिपोर्ट प्रतियां भी संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]** ।

(ग) हां, श्रीमान।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि जम्मू तथा काश्मीर में कोयले के निक्षेपों में बरबादी होती है। इस दोष को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि उन कोयले की खानों को संघीय कोयला विकास निगम के नियंत्रण में रखना चाहिये। इस सुझाव को लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है कि रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि काश्मीर में कोयले की खानों और लिग्नाइट की खानों का विकास होना चाहिये और अब तक उन से लाभ नहीं उठाया गया है। मुख्य कठिनाई टेक्निकल कर्मचारियों और कोयला स्थानों तक आधुनिक मशीन आदि पहुंचाने की है। इन कोयला खानों का संचालन सुधारने के लिए भविष्य में कार्यवाही करनी पड़ेगी।

†**श्री वाजपेयी** : क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचारपत्रों में छपी इस टीका टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बनाई गई औद्योगिक सम्पदायें, विशेषकर जम्मू नगर में बनाई सम्पदायें, ठीक नहीं चल रही हैं और क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : सर्वेक्षण दल ने कार्यस्थल पर जो औद्योगिक सर्वेक्षण किया है, उसका इस से कोई संबंध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री कमल नयन बजाज** : क्या सरकार औद्योगिक सर्वेक्षण के साथ इस बात का ध्यान रखेगी कि जम्मू तथा काश्मीर भारत से दूर हैं और परिवहन की अन्य कठिनाइयां भी हैं जिनका उल्लेख माननीय उपमंत्री ने किया है ? फिर क्या सरकार जम्मू तथा काश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए कुछ आर्थिक सहायता की घोषणा करने के प्रश्न पर हमदर्दी से विचार करेगी ताकि उन लोगों को प्रतिकर मिल सके जिन्हें औद्योगिक विकास के कारण हानि होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय उपमंत्री ने बताया था कि वहां की कोयला-खानों से इस कारण लाभ नहीं उठाया जा सका कि वहां किसी प्रकार की मशीन नहीं ले जा सके । हम वहां से कोयला निकालने का पुराना व प्रचलित ढंग क्यों नहीं अपनाते ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कदाचित माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर ठीक से नहीं सुना । मैं ने यह नहीं कहा कि कोयला की खानों से कोयला नहीं निकाला जा रहा है । काश्मीर में कुछ कोयला खानों से कोयला निकाला जाता है परन्तु अभी तक आधुनिक मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है और संभव है कि रिपोर्ट के उल्लेख के अनुसार उन में सुधार किया जाये ।

डा० आओ की हत्या के सम्बन्ध में जांच

+

†*४६८. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० आओ की हत्या के संबंध में प्रारंभिक जांच समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). डा० आओ की हत्या की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है । डा० आओ की हत्या करने वाला अभी नहीं पकड़ा गया है ।

श्री विभूति मिश्र : अब तक सरकार ने कितनी जांच-पड़ताल की है और उस जांच-पड़ताल का अब तक क्या नतीजा निकला है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : पुलिस गुप्तचर विभाग के सहायक निदेशक की सहायता से जांच कर रही है ।

श्री विभूति मिश्र : प्रोग्रेस क्या हुई है इस जांच-पड़ताल के बारे में, इस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में वह कुछ नहीं बता सकते हैं।

श्री विभूति मिश्र : कहां तक मामला गया है, यह तो बता दें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। पुलिस जांच हो रही है। हत्यारा नहीं पकड़ा गया है। और वह क्या चाहते हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या यह सच है कि डा० आओ ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने किसी मित्र को इस प्रकार का समाचार दिया था कि इस प्रकार मेरे प्राणों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है और यह समाचार असम ट्रीब्यून में प्रकाशित हुआ था, और यदि हां, तो उस से पहले सरकार ने उनकी सुरक्षा की के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या डा० आओ की हत्या के बाद उस क्षेत्र में सुरक्षा-कार्यवाही कड़ी कर दी गई है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हां।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या यह सच है कि नागालैण्ड की आन्तरिक स्थिति कुछ महीनों से बिगड़ रही है और विपक्षी दल के सहयोगियों ने सत्ता लेने के लिए हत्या की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न भी इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न का संबंध हत्या की केवल जांच-पड़ताल से है।

मैंगनीज का निर्यात

+

†*४९९. { **श्री खुशवक्त राय** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ के प्रथम छै महीनों (जनवरी—जुलाई) में १९६० की उस अवधि की तुलना में मैंगनीज अयस्क के विदेशों में वास्तविक वायदे के सौदे कम हुए ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी रही ; और

(ग) निर्यात में इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार को मैंगनीज अयस्क के वायदे के सौदे की पूरी जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री खुशवक्त राय : मैं जानना चाहता हूं कि निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस के लिए समय समय पर बहुत से कदम उठाये गये हैं। रेलवे फ्रेट को कम किया गया-क्या है, रायलटी में कमी की गई है। गवर्नमेंट अब यह विचार कर रही है कि रेलवे फ्रेट को और कम किया जाए। कुछ ही दिनों में इसका फैसला हो जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : माननीय उपमंत्री ने अभी बताया था कि वह आंकड़े बताने में असमर्थ हैं। क्या गैर-सरकारी लोगों द्वारा विक्रय होता है ; यदि नहीं, और यदि विक्रय राज्य व्यापार निगम द्वारा होता है, तो मुझे आश्चर्य है कि सरकार के पास ये आंकड़े क्यों नहीं हैं कि हमारे वायदे के सौदे कितने हैं।

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य जानते हैं कि मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर राज्य व्यापार निगम का एकाधिकार नहीं है ; गैर-सरकारी व्यापारी भी निर्यात करते हैं।

†**श्री त्यागी** : राज्य व्यापार निगम द्वारा हुए व्यापार का क्या परिणाम रहा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य व्यापार निगम के वायदे सौदे पहिले छः या सात महीनों में पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हुए हैं। इसका एक कारण है। राज्य व्यापार निगम पहिले गैर-सरकारी व्यापारियों के व्यापार वस्तु विनिमय भी करती थी। अब, इस वर्ष इस प्रणाली में परिवर्तन हो गया है। अतः आंकड़े तुलनात्मक नहीं हैं।

कोयला खानों में मजूरी

+
†*५०१. { **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में मजूरी पुनरीक्षण के प्रश्न के सब पहलुओं पर विचार करने के लिये नियोजकों और कर्मचारियों की द्विपक्षीय समिति स्थापित की जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) इस बीच द्विपक्षीय समिति की कलकत्ता में दो बार बैठक हुई हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कोडियान** : एक दिन माननीय श्रम मंत्री ने इस सभा में बताया था कि वह इस मामले में परामर्श करने के लिये इस्पात, खान और ईंधन मंत्री से भेंट करेंगे। क्या वह इस बीच उनसे मिले हैं ?

†**श्री आबिद अली** : वे बार बार मिलते रहे हैं।

†**श्री कोडियान** : क्या इस द्विपक्षीय समिति की बैठक के लिये कोई तारीख निर्धारित की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : हो सकता है कि बैठक इस मास के अन्त में या अगले मास के आरम्भ में हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

लौकरों, बैंक खातों आदि की अदला-बदली

+

†*५०२. { **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लौकरों, बैंक खातों और निधियों के अदला-बदली के बारे में पाकिस्तानी और भारतीय अधिकारियों के बीच पहले कलकत्ता में जो करार हुआ था, उसकी क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : लौकरों, सुरक्षित निक्षेपों और बैंक खातों की अदला-बदली के लिये लाहोर, दिल्ली और कराची में ३० नवम्बर, १९६१ निर्धारित की गई थी। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों का ८.७१ लाख रु० के बैंक ड्राफ्ट दिये और पाकिस्तान ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों को लाहोर में २.२५ लाख रु० के बैंक ड्राफ्ट दिये। भारत ने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की १३५ लौकरों और सुरक्षित निक्षेपों की वस्तुयें भी पुलिस के पहरे में पाकिस्तान भेजीं। पाकिस्तान ने कराची में आठ सील लगे बंडल दिये जो विमान द्वारा ३ दिसम्बर, को दिल्ली लाये जायेंगे। उन्होंने लाहौर में भारतीय राष्ट्र-जनों के लौकरों तथा सुरक्षित निक्षेपों की वस्तुओं के १११ बंडल भी दिये। रेल से कल इन्हें दिल्ली लाया गया था। २०० से अधिक बाकी बंडल पाकिस्तान द्वारा कल दिये जाने थे और वे भी दिल्ली लाये जायेंगे।

अन्य बंडल भी आ गये हैं। उनकी संख्या २६६ है। अतः हमें पाकिस्तान से ३७७ बंडल मिले हैं और इनमें लगभग ७५० लौकरों तथा सुरक्षित निक्षेपों की वस्तुयें हैं। हमें १०० बंडल और मिलने हैं एवं उन्हें भारत लाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : पूरी, अदला बदली कब तक होगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अदला बदली तो हो चुकी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है कि ७०० से कुछ अधिक वस्तुओं में से अधिकतर तो आ गई हैं। शेष वस्तुओं का क्या हुआ ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : शेष वस्तुयें लगभग १०० हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं। अधिकांश तो आ गया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि उसमें प्राइवेट पर्सन्स का जितना रुपया था या सामान था, वह उनको कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : कुछ कल आये हैं और कुछ आज आये हैं। करीब ७५० लाकर्स और सेफ डिपाजिट्स हैं। हम उन सब भाइयों को इत्तला देंगे। वे लोग १२, १३ वर्ष तक इन्तजार करते रहे। हम उनसे कहेंगे कि वे आयें और जितनी जल्दी हो सके अपने सेफ डिपाजिट्स ले जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस मामले का अन्त यही है या इससे कोई अन्य करार भी होंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : भारत और पाकिस्तान के बीच चल सम्पत्ति के बारे में कई वर्ष पूर्व एक करार हुआ था और पिछले वर्षों इस पर निरन्तर पुनरीक्षण होता रहा है। अनेक बातों को निपटाना था। यह बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हल हुई है। क्रियान्विति समिति की अगली बैठक कराची में एक सप्ताह बाद होगी जबकि हम अन्य शेष बातों पर विचार करेंगे।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : श्रीमान्, बैंक खातों का क्या हुआ ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर का पूर्वांश ध्यान से नहीं सुना। मैंने उसमें इसका उल्लेख किया था।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या अब भी कोई मामले अनिश्चित पड़े हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मुझे किसी की जानकारी नहीं है। हो सकता है यहां वहां कोई मामला अनिश्चित पड़ा हो।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि रुपये पैसे के हिसाब से कितने की चीजें हमने पाकिस्तान को भेजी और कितने की पाकिस्तान ने हमको भेजीं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जहां तक इन पैकेजेज और लाकर्स का ताल्लुक है, सेफ डिपाजिट्स तो सील्ड हैं। जहां तक लाकर्स का सवाल है, उनको हमने खोला। जो लाकर्स वहां तोड़े उन को सील कर के ले आये। अब किस में कितना है, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमने दिये हैं वह सिर्फ १३५ लाकर्स और सेफ डिपाजिट्स हैं। जो हमारे लाकर्स वगैरह आये हैं वह ७५० हैं, और कुछ बाकी भी हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमारे लाकर्स और सेफ डिपाजिट्स हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा होगी। लेकिन मैं बहुत तफसील से कुछ नहीं कहना चाहता और न मुझे उसका इल्म है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ छोटी मोटी बातें अनिश्चित पड़ी थीं। क्या माननीय मंत्री शेष छोटी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिये कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने अभी बताया है कि अभी अनेक समस्याओं को सुलझाना है और ११ दिसम्बर को कराची में क्रियान्विति समिति की बैठक हो रही है। इसमें हम अन्य मामलों पर विचार करेंगे। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस मामले पर पूरी तरह से कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि हम इन सबको शीघ्र ही सुलझाना चाहते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि बन्द हुये बैंकों के लौकरों की भी अदला बदली करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री को व्यक्तिगत पत्र लिखा है और उन्हें बताया है कि करार में उन बैंकों के लौकर व सुरक्षित निक्षेप भी सम्मिलित हैं जो बन्द हो गये हैं। मुझे निजी तौर पर यह पता लगा है—सरकारी तौर पर नहीं—कि इस मामले पर विचार कर रहे हैं। इसमें मझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। वर्तमान स्थिति यह है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाथ से काते गये रेशमी धागे पर छूट

†*५०३. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथ से काते गये रेशमी धागे पर कोई छूट दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी छूट दी जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार रेशम के कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी कोई योजना चलाने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). नहीं, श्रीमान् ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या पहिले ऐसी कोई छूट दी गई थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हाथ से काते गये रेशमी धागे पर कोई छूट नहीं दी जाती परन्तु हाथ से काते गये रेशमी धागे से बने कपड़े की फुटकर बिक्री के समय छूट दी जाती है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या यह अब भी मिलती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह दी जा रही है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : इसलिये छूट बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अतः वह छूट समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है, परन्तु छूट कम करने का प्रस्ताव है, क्योंकि रेशमी कपड़े को प्रायः धनिक व्यक्ति ही खरीदते हैं। अतः विचार है कि इसे कम किया जा सकता है। हो सकता है कि यह कमी १ अप्रैल, १९६२ से लागू हो ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : जो रेशम बनाते हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने प्रस्ताव पर विचार किया है और उनका विचार है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**श्री तंगामणि** : क्या हथ करघा बुनकरों से कोई प्रस्ताव मिला है कि विदेशों से आयात किये गये नकली रेशमी धागे से बने हथ करघे के कपड़े पर छूट दी जाये ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस प्रश्न का संबंध हाथ से काती गई खादी से है, आयात किये गये धागे से नहीं ।

आकाशवाणी

†*५०४. { **श्री सूपकार** : **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : **श्री अरविन्द घोषाल** : **श्री श्रीनारायण दास** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी सामान्य निर्वाचनों में आकाशवाणी के केन्द्रों से राजनीतिक दलों को प्रसारण करने देने की अनुमति देने के बारे में सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कोई व्यापक योजना बनाई गई है ;

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सरकार निर्वाचन आयोग से निश्चित प्रस्ताव प्राप्त किये बिना कोई निश्चय नहीं कर सकती। मुख्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री से विचार विमर्श किया था। समझा जाता है कि निर्वाचन आयोग इस बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कुछ प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर रहा है। इस आधार पर उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

मैं यह और बता दूं कि ऐसा विचार विमर्श हो चुका है।

†**कुछ माननीय सदस्य:** मंत्री महोदय कहां हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी को आशा नहीं थी कि कल छुट्टी होगी और बैठक होगी। उनमें से अधिकतर ने आज के लिये कुछ अन्य काम निश्चित कर लिये थे और वे उनमें परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। अतः कुछ मंत्रियों ने मुझे लिखा था और मैंने इस सभा में उनका काम अन्य मंत्रियों या सभा सचिवों को करने की अनुमति दे दी थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** जो कोई भी उनकी ओर कार्य करते हैं, उन्हीं को सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रत्येक प्रश्न का नहीं। एक मंत्री किसी का भी सारा काम एक दम नहीं संभाल सकता। आगे, मैं उन्हें अवसर दूंगा।

†**श्री सूपकार** : क्या माननीय सदस्य यह बता सकते हैं कि इन प्रसारणों के लिये कुल कितना समय नियत किया जायेगा--अर्थात् अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के प्रसारण के लिये ?

†**श्री दातार:** माननीय सदस्य कुछ समय तक प्रतीक्षा करें। सारी बात स्पष्ट हो जायेगी। उचित निश्चय किया जायेगा और उसकी सभा में घोषणा कर दी जायेगी।

†**श्री सूपकार:** क्या यह घोषणा सभा उठने से पहिले होगी, क्योंकि आगामी सत्र सामान्य निर्वाचन होने के बाद होगा ?

†**श्री दातार:** सिफारिशें प्राप्त करने के बाद यथाशीघ्र घोषणा की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सत्र समाप्त भी हो जाता है, तो भी सरकार को निर्वाचन होने से पहिले घोषणा करने से कोई नहीं रोक सकता।

†**श्री त्यागी** : क्या दलों के बीच कटु पारस्परिक टीका टिप्पणी को रोकने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ? क्या वे अन्य दलों की ही नीतियों व कार्यक्रमों पर टीका-टिप्पणी करेंगे या सरकार की भी ?

†**श्री दातार** : मामले के इस पहलू पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। वास्तव में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी प्रसारणों के बारे में उपयुक्त हल निकालने का प्रयत्न कर रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पिछली बार इन दलों की बैठक निर्वाचन आयोग के साथ हुई थी और बात चीत बीच में ही समाप्त हो गई थी। इस बात चीत के समाप्त होने के कारणों पर स बार विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** मैं माननीय सदस्य से आज का समाचारपत्र देने का निवेदन करता हूं। प्रकाशित समाचार अधिक विश्वासकारी प्रतीत होता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यह विशेष छूट केवल राजनीतिक दलों को दी जायेगी। प्रगतिशील स्वतन्त्र व्यक्तियों के बारे में क्या होगा क्या उन्हें भी अवसर दिया जायेगा ?

†**श्री दातार :** यह दलों के बारे में है।

†**श्री तंगामणि :** क्या निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श में कांग्रेस दल के अतिरिक्त सब दलों ने प्रस्ताव किये थे कि कांग्रेस दल का समय इस बात को ध्यान में रख कर कम कर दिया जाये कि माननीय मंत्रियों के अनेक वक्तव्य पहिले से ही छपते थे ?

†**श्री दातार :** विचार विमर्श हाल में ही हुआ है और मेरे पास विचार विमर्श का सारांश नहीं है।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव अभियान के समय आकाशवाणी चुनाव प्रचार के लिये अपनी अगर कोई कर्मासियल सर्विस जारी कर दे तो इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या यह प्रसारण की दी जाने वाली सुविधा का एक अंग है कि आकाशवाणी पर कार्यवाही का प्रसारण करते समय विरोधी सदस्यों की पूर्णतया छोड़ दिया जाता है

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न से पैदा नहीं होता।

वार्षिक योजनायें बनाना

†*५०५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे के अन्दर वार्षिक योजनाएं बनाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) क्या १९६२–६३ की योजना बनाने का काम पूरा हो चुका है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) तथा (ख). १९६२–६३ की वार्षिक योजना अब बनाई जा रही है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के वार्षिक योजना के लिये प्रस्ताव उनके वार्षिक बजट में सम्मिलित होते हैं। वार्षिक योजनाओं का बनाना आयोजना की कई वर्ष से प्रथा रही है और उनसे संबंधित ढंग आदि का सुधार किया जा रहा है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** वार्षिक योजना बनाने में पिछले कुछ वर्षों का क्या अनुभव है? माननीय मंत्री ने कहा था कि ढंगों में सुधार किया जा रहा है। क्या सुधार किये गये हैं? ये योजनायें किन आधारों पर बनाई जाती हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** अनुभव यह रहा है कि कार्यान्विति में इससे बड़ा लाभ रहा है। इससे हमें पिछले वर्षों में की गई प्रगति का पुनरीक्षण करने में भी सहायता मिलती है और आगामी

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष के लिये साधनों का अनुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। अतः हर तरह से यह बहुत ही लाभदायक रहा है। प्रविधियों की व्याख्या करने में मुझे अधिक समय लगेगा और प्रश्न काल में इतना समय नहीं मिल सकता।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी:** क्या योजनाओं की प्राथमिकताओं में भी कोई परिवर्तन किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** क्या योजना में निर्धारित प्राथमिकताएं वार्षिक योजनाओं में बदल दी जायेगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** नहीं, श्रीमान। योजना में निर्धारित कुल प्राथमिकताओं के अन्तर्गत ही वार्षिक योजनाये बनाई जा रही हैं। परन्तु हो सकता है कि किसी विशेष वर्ष में किन्हीं कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना पड़े। उदाहरणार्थ, आगामी वर्ष ज़ोर कृषि उत्पादन, छोटी सिंचाई, रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं या इसी प्रकार की अन्य बातों पर दिया जाये। परन्तु ये सब योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अन्तर्गत ही होगा।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपनी आगामी वार्षिक योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित करें जो कि आरम्भ में सम्मिलित नहीं किये गये थे जब कि योजना तैयार की गई थी ? यदि हां, तो वे विषय क्या हैं।

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मैं अभी ऐसी किसी योजना का विचार नहीं कर सकता। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि कुछ ऐसी योजनायें थीं जो उस समय बहुत ही अनिश्चित स्थिति में थीं और कार्यान्विति के लिये अधिक विस्तृत बातों की आवश्यकता है। उस ब्योरे के तैयार होने पर वे नई बातें प्रतीत हो सकती हैं परन्तु उन्हें कुछ ऐसी योजनाओं से सम्बन्धित होना पड़ेगा जो कि उस समय विचाराधीन थीं।

†**श्री रंगा** : क्या बजट में सम्मिलित होने वाले प्रस्ताव या उस से संबंधित प्रस्ताव किसी प्रकार की उस वार्षिक योजना की अपेक्षा गौण रहेंगे जो योजना आयोग बनायेगा या योजना आयोग की योजना बजट में सम्मिलित की जायेगी जो संसद् में पेश किया जायेगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग उसी के अनुसार है जो हम कर रहे हैं। वार्षिक योजनायें वार्षिक बजट में सम्मिलित होती हैं।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार की ओर से वित्त मंत्री या योजना आयोग अन्तिम निश्चय करते हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : माननीय वित्त मंत्री भी योजना आयोग के सदस्य हैं। अतः वार्षिक योजनायें बनाने में उनका उचित हाथ रहता है।

†**श्री रंगा** : माननीय वित्त मंत्री अनेक सदस्यों में केवल एक सदस्य हैं।, जब माननीय वित्त मंत्री बजट बनाते हैं और उसे इस सभा में पेश करते हैं, तो वह उसे अपनी व्यक्तिगत स्थिति में पेश नहीं करते, अपितु समूची सरकार की ओर से पेश करते हैं। क्या प्राथमिकतायें निर्धारित करने में माननीय वित्त मंत्री का निर्णय अन्तिम होता है ? इसका निश्चय कौन करता है, माननीय वित्त मंत्री या योजना आयोग ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय वित्त मंत्री योजना आयोग के सदस्य हैं। वह माननीय सदस्य और योजना आयोग सहित किसी से भी परामर्श ले सकते हैं।

†**श्री रंगा :** नहीं, श्रीमान्। योजना आयोग के अन्य सदस्य उनके मत का खण्डन कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** निश्चय ही वह ऐसा कर सकते हैं; वह ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री रंगा :** ोजना आयोग उनके मत को अस्वीकार कर सकता है परन्तु मैं नहीं कर सकता।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** श्रीमान, माननीय सदस्य आयोजन के विरुद्ध हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह स्पष्ट करूंगा। एक योजना आयोग है जो इस पर विचार करता है। फिर, अन्य सचिव हैं। कोई यह नहीं कहता कि योजना आयोग मंत्रालय या मंत्रिमण्डल से बढ़कर है। माननीय वित्त मंत्री भी योजना आयोग के सदस्य हैं। वह मामले पर चर्चा करते हैं और उसे बजट में मिला लेते हैं। हमें यह अवश्य समझना चाहिये कि अन्त में यह जिम्मेदारी माननीय वित्त मंत्री की है। यहां वह अपनी जिम्मेदा के साथ आते हैं। हम उस परामर्श के ब्यौरे पर विचार नहीं करते जिसे वह स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि वह स्वीकार कर लेते हैं; तो हमारे लिये वह उनका परामर्श होता है। हमें योजना आयोग की सिफारिशों से मतलब नहीं है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि क्या गंडक परियोजना का महत्व हट गया है या विद्यमान है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** यह विस्तार को बात है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य आगामी वार्षिक योजना का उल्लेख कर रहे हैं या चालू वर्ष की योजना का। अलग अलग बातों के लिए मैं पर्व सूचना चाहता हूं।

समाचारपत्रों का पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण

+

*५०६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री सूपकार :
श्री गोरे :
श्री जोकीम आल्वा :
श्री तंगामणि :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार पत्रों के पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई दूसरा अधिनियम बनाने का है ; और

(ग) न्यायालय द्वारा अधिनियम अवैध घोषित किये जाने के आधार क्या थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ग). भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार-पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, १९५६ और तदधीन बनाए गए दैनिक समाचार-पत्र (मूल्य और पृष्ठ) आर्डर, १९६० को असांवैधानिक और व्यर्थ इस आधार पर घोषित किया है कि ये भारत के संविधान की धारा १९(१) (क) के अधीन दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हस्ताक्षेप करते हैं।

(ख). जी, नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : समाचार पत्रों के पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण के लिए जब सरकार ने अधिनियम बनाया था, तो अधिनियम बनाते समय क्या ऐसे कारण उपस्थित हुए थे कि जिस के लिये यह आवश्यकता उत्पन्न हुई ?

†श्री दातार : जब अधिनियम पारित किया गया तो कुछ नियम निर्मित करना आवश्यक हो गया । इसी कारण ये नियम निर्मित किए गए। परन्तु जब रिट पेटीशन दायर किया गया तो उसका क्रियान्वयन रोक दिया गया और समस्त योजना अवैध घोषित कर दी गई ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के पश्चात् क्या सरकार को कुछ ऐसे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिस से प्रतीत होता हो कि इस अधिनियम की फिर आवश्यकता है अथवा इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं रही ?

†श्री दातार : अभी सरकार का इस संबंध में कोई विधेयक पेश करने का विचार नहीं है ।

†श्री गोरे : पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण का उद्देश्य छोटे समाचार पत्रों को बड़े समाचार-पत्रों के साथ प्रतियोगिता से बचाना था। क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इस मामले में कुछ कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती है जिस से छोटे समाचार पत्रों की रक्षा हो सके।

†श्री दातार : इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे सामने है । फिर भी सरकार माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेगी।

†श्री सूपकार : क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् इस समस्या पर इस दृष्टि से पुनर्विचार किया है कि क्या संविधान के अनुच्छेद १९ के उपबन्धों की सीमाओं के अन्तर्गत इस समस्या के हल के लिये दूसरा विधेयक लाया जा सकता है जिस के लिए मूल अधिनियम पारित किया गया था ?

†अध्यक्ष महोदय : यह दूसरे शब्दों में श्री गोरे का प्रश्न है ?

†श्री गोरे : यदि सरकार के लिए इस अवस्था में दूसरा विधेयक लाना कठिन है तो क्या सरकार के लिए पृष्ठ–मूल्य अनुसूची के अनुसार बड़े समाचार पत्रों को कोटा देना संभव नहीं है ?

†श्री दातार : यह भी एक सुझाव है।

श्री तंगामणि : क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए कम से कम हिन्दी के समाचार पत्रों के लिए ––समस्त समाचार पत्रों के लिए नहीं जैसा कि भूतकाल में किया गया था––आवश्यक आदेश जारी करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पर्यालोकन के अन्तर्गत रहेगी। जो कुछ संभव होगा वह अवश्य ही किया जाएगा। परन्तु मैं कोई वचन नहीं दे सकता ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : चूंकि सरकार ने पाठ–मूल्य अनुसूची एक विशेष उद्देश्य से बनाई थी और उच्चतम न्यायालय ने उसे अवैध घोषित कर दिया है तो उस उद्देश्य का क्या होगा ? क्या उसे किसी अन्य प्रकार से प्राप्त किया जाएगा ?

†**श्री दातार** : फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता है।

पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि

†५१०. **श्री अगाड़ी** : क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने इस बीच प्रत्यर्पण संधि का मसविदा मंजूर कर लिया है और उस पर हस्ताक्षर कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई आपत्तियां उठायी गयी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जो आपत्तियां उपस्थित की गयी हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्। मसविदा अभी पाकिस्तान सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अगाड़ी** : क्या किसी वर्ग के अपराधियों के संबंध में कोई आपत्ति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आपत्ति क्या है ? बिलम्ब का क्या कारण है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे नहीं मालूम कि देर क्यों हो रही है। वह पाकिस्तान सरकार के पास है। हमने वह मसविदा १९५९ में भेजा था परन्तु हमें अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई विशेष आपत्ति की गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या प्रत्यर्पण विधयक, जो इस समय सभा के समक्ष है, के पारित हो जाने पर कोई नया संदेश भेजा जाएगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसके सम्बन्ध में हम विधयक के पारित हो जाने पर विचार करेंगे। प्रत्यर्पण विधेयक अभी सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पूछ रहे हैं कि क्या प्रत्यर्पण विधेयक के पारित हो जाने पर पुनः प्रार्थना की जाएगी ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : राष्ट्र मंडल के देशों को विशेष सुविधायें दी जाती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मामला उनके हाथ में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-व्ययक सत्र के लिये कार्यक्रम

†*५१३. **श्री नौशीर भरूचा** : क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२ के आम चुनावों के कारण आय-व्ययक सत्र और आय-व्ययक पेश किये जाने का कार्यक्रम बदल दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो १९६२ का आय-व्ययक सत्र किस तिथि से आरम्भ होगा और सरकार का आय-व्ययक पेश करने का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) क्या आम चुनावों के कारण कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : (क) से (ग). प्रधान मंत्री ने २३ नवम्बर, १९६१ को लोक-सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें यह कहा गया था कि वर्तमान लोक-सभा मार्च, १९६२ के उत्तरार्ध में "न्यूनतम वित्तीय कार्यवाही करने जैसे कि रेलवे और सामान्य बजटों का उपस्थापन और आवश्यक लेखानुदान प्राप्त करने के लिये" समवेत होगी ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या मार्च के सत्र में प्रश्नों का घंटा रहेगा ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : जी हां, निस्संदेह ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे बजट और सामान्य बजट 'लेम डक' सत्र के दौरान उपस्थित किये जायेंगे ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : जी हां ; लेखानुदान ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : बजट नहीं ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : लेखानुदान । मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेखानुदान भी बजट का अंग है । अगला प्रश्न ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इसे 'लेम डक' सत्र क्यों पुकारा जाता है ? कोई अच्छा नाम दिया जाना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रोफेसर स्वयं बतायें कि क्या नाम अच्छा रहेगा ? श्री अरबिन्द घोषाल : अनुपस्थित, श्री इन्द्रजीत गुप्त : अनूपस्थित । यह सत्र भी 'लेम डक' बनता जा रहा है । श्री राम कृष्ण गुप्त ।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना

†*५१६. { +**श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : संयंत्र और प्रक्रियाओं और अंतिम उत्पादों के सम्बन्ध में समस्त ब्यौरा निश्चित हो गया है। भारत के उर्वरक निगम और जापानी सार्थों के संघ, जो संयंत्र और उपकरण का संभरण करेगा, के बीच कार्य और जिम्मेदारी के विभाजन का फैसला हो गया है। कार्य प्रारम्भ करने के लिये सहमत प्रबन्ध के आधार पर संघों के सार्थ से कोटेशन प्रतीक्षित हैं। एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : जापानी सार्थ द्वारा पेश की गई शर्तों का ब्योरा क्या है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने बताया कि वे शर्तें प्रतीक्षित हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने कहा कि प्रस्ताव प्रतीक्षित है। क्या उत्पादन होगा, प्रक्रिया क्या होगी और उसका स्थान क्या होगा इन सबका ब्योरा तय हो चुका है। परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जापानी सार्थ संघ को हमें परियोजना के लिये प्रविधिक सहयोग देने के कितनी राशि का भुगतान करना होगा उसका अभी निर्णय किया जाना है और उसके प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं।

†**श्री त्यागी** : यह कारखाना बरेली में स्थापित होगा या देहरादून में?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इन दोनों में से किसी भी स्थान में नहीं। यह कारखाना गोरखपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। परन्तु मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि हाल में कुछ कठिनाई सामने आई है। यह स्थान हवाई अड्डे के निकट चुना गया था। कठिनाई यह है कि क्या हवाई अड्डे के तुरन्त निकट कोई कारखाना स्थापित किया जा सकता है? हो सकता है कोई अन्य स्थान चुनना पड़े।

†**श्री त्यागी** : क्या उसके लिये चूने के पत्थर की जरूरत पड़ेगी?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी नहीं। उसमें यूरिया का उत्पादन होगा जिसके लिए चूने के पत्थर को जरूरत नहीं होती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर प्रदेश में है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस संयंत्र के लिये केन्द्र द्वारा कितनी राशि मंजूर की जा रही है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कुल अनुमानित लागत लगभग २६ करोड़ रुपये है जिसमें से १२ करोड़ विदेशी मुद्रा में होंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस संयंत्र का प्रारंभिक कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ होगा और क्या उसकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्व हो जाने की संभावना है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त के पूर्व उत्पादन प्रारंभ हो जाने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस उर्वरक कारखाने के लिये जापान से जो विदेशी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है क्या उसमें उत्पादन की कोई नई पद्धति होगी ? क्योंकि हम उर्वरक संयंत्रों के लिये कब तक विदेशी सहयोग प्राप्त करते रहेंगे ?

†श्री सतीश चन्द्र : अभी देश में यूरिया का कोई भी कारखाना नहीं है । हां, सिन्दरी संयंत्र में एक छोटा-सा संयंत्र जोड़ा गया है । इसके अतिरिक्त इस कारखाने में यूरिया का उत्पादन बरौनी के नेफ्था पर आधारित होगा जो देश में एक सर्वथा नई प्रक्रिया है । गोरखपुर में जो उर्वरक बनाए जायेंगे वे देश में अभी बनाए जाने वाले उर्वरकों से बहुत भिन्न होंगे ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या ट्राम्बे के कारखाने और विशाखापटनम् में बन रहे कारखाने में नेफ्था से उर्वरक बनाए जायेंगे ?

†श्री सतीश चन्द्र : जी, हां ; परन्तु वे भी अभी स्थापित किये जा रहे हैं । अभी तक हमें उन प्रक्रियाओं का कोई अनुभव नहीं है ।

मैंगनीज की खान के मालिकों को निर्यात का प्रोत्सहन

+

†*५१६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दामानी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज की खान के मालिकों को निर्यात का प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). निर्णय शीघ्र ही घोषित कर दिया जायेगा ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सरकार को मैंगनीज की खानों के मालिकों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है ?

†श्री सतीश चन्द्र : मैंगनीज की खानों के मालिकों ने अपनी बातें अनेक बार हमारे सामने रखी हैं तथा उन्होंने अनक प्रकार की मांगें रखी हैं । वर्तमान प्रस्ताव, जैसा कि मैं पहले के एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, रेलवे भाड़े में कुछ अतिरिक्त रियायत देने का है और शीघ्र ही निर्णय घोषित किए जाने की संभावना है ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । यह प्रश्न जिन पांच सदस्यों ने भेजा है वे सभी अनुपस्थित हैं । तो फिर प्रश्न संख्या ५२१ । श्री प्र० चं० बरुआ और श्री दी० चं० शर्मा दोनों अनुपस्थित हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं उपस्थित हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तिरुमल राव : क्या कोई माननीय सदस्य नाम पुकारे जाते समय सभा से बाहर जा सकते हैं ? कुछ देर पहले वह यहां उपस्थित थे परन्तु जब आप उनका नाम पुकारने वाले थे तो वह बाहर चले गये।

†श्री बी० चं० शर्मा : मुझे कार्यवश जाना पड़ा था।

छोटे पैमाने के उद्योगों का यंत्रीकरण

+
†*५२१. { श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुग्रा : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में दिल्ली में अक्तूबर में छोटे पैमाने के उद्योगों के संबंध में एक प्रविधिक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें छोटे उद्योगों के यंत्रीकरण की सिफारिश की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) बैठक ने संबंधित देशों की विशेष परिस्थितियों का विचार करते हुये सामान्य यंत्रीकरण की सिफारिश की थी।

(ग) सरकार द्वारा चालू किये गये विकास कार्यक्रम इस सिफारिश के अनुसार ही है और इस सिफारिश के आधार पर कोई अग्रेतर कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

†श्री बी० चं० शर्मा : भारत सरकार ने इन सिफारिशों का क्रियान्वयन किस प्रकार किया है और जो सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

†श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य जानते हैं कि छोटे पैमाने के उद्योगों के यंत्रीकरण का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वे समस्त देश में स्थापित हो रहे हैं। सौ से अधिक औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित की जा रही हैं। वर्तमान योजना में उनकी संख्या दुगुनी तिगुनी हो जायेगी और ये समस्त उद्योग यंत्रीकरण पर आधारित हैं।

†श्री बी० चं० शर्मा : क्या भारत सरकार यंत्रीकरण के संबंध में कुछ पड़ौसी देशों अथवा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की सहायता कर रही है ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह उन देशों के साथ हुई व्यवस्था पर निर्भर है। अभी तक हमें प्रविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कुछ प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। हम अपने पड़ोसी देशों को प्रशिक्षण आदि के मामले में अधिकतम सुविधायें देने को तैयार हैं जितनी हम अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक-गीत

†*५२२. **श्री तंगामणि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में लोक गीतों के कार्यक्रम हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) त्रिचनापली केन्द्र में क्या कार्य-प्रणाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां, । श्रीमान् । लोक गीतों का प्रसारण आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से किया जाता है तथा विविध भारती कार्यक्रम और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी किया जाता है ।

(ख) ये गीत प्रत्येक केन्द्र में भिन्न प्रकृति के होते हैं परन्तु सामान्यत: उनमें व्यवसायिक, उत्सव संबंधी, कथात्मक और वीररस के गीत सम्मिलित होते हैं ।

(ग) त्रिचनापल्ली केन्द्र की कार्यप्रणाली आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों के समान ही है। कभी कभी दलों को रिकार्डिंग के लिये स्टूडियो में आमंत्रित किया जाता है और कभी कभी आकाशवाणी के रिकार्डिंग दल बाद में प्रसारण किये जाने के लिये लोक संगीत का संग्रह और रिकार्ड करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों को भेजे जाते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि त्रिचिनापल्ली को भेजे गये कुछ लोकगीत नामंजूर कर दिये गये थे परन्तु बाद में वे मद्रास स्टेशन से प्रसारित किये गये ?

†**श्री दातार** : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि श्री वरदाराजन....

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । मुख्य प्रश्न सामान्य प्रकृति का है । यदि कोई मामला माननीय सदस्य की जानकारी में आता है तो उन्हें माननीय मंत्री को सूचित करना चाहिये और वह उसके संबंध में जांच करने का प्रयत्न करेंगे । यदि ऐसी प्रार्थनाओं के बावजूद.......

†**श्री तंगामणि** : मैंने मामले का निर्देश संबंधित अधिकारी से किया था । परन्तु अब मामला जटिल हो गया है क्योंकि वह कलाकार एक दल विशेष से संबंधित है। उनसे गीत गाने के लिये त्रिचिनापल्ली केन्द्र जाने के लिये कहा गया था । फिर किसी व्यक्ति ने यह संकेत किया होगा कि वह एक विशेष दल से संबंधित है । अत: उसके गीत उसे लौटा दिये गये। परन्तु एक सप्ताह पश्चात् वही गीत मद्रास केन्द्र से प्रसारित किये गये । इसलिये मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस केन्द्र में कोई खास कार्य-प्रणाली अपनाई गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वास्तव में किसी भेदभाव के कारण ऐसी चीज हुई है तो मैं ऐसे प्रश्न की अनुमति देने में हिचक नहीं करूंगा । परन्तु यदि इस विभाग के प्रभारी मंत्री भी उपस्थित होते तो वह भी बिना पूर्व सूचना के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। उनसे प्रत्येक चीज के बारे में प्रत्येक चीज जानने की आशा नहीं की जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : मैंने त्रिचिनापल्ली केन्द्र का उल्लेख इसीलिये किया था कि माननीय मंत्री यह जान सकें कि ये लोक गीत किस प्रकार प्रसारित किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। त्रिचिनापल्ली केन्द्र के संबंध में सामान्य प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

दिल्ली में जमीनों के बड़े प्लाटों का छोटे प्लाटो में विभाजन

†५२३. **श्री रामकृष्ण गुप्त**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निवास के विकसित क्षेत्रों में जमीनों के बड़े प्लाटों का छोटे प्लाटों में विभाजन के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिये नियुक्त सात सदस्यों की समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : वे क्षेत्र सहकारी समितियों के कब्जे में हैं अथवा सरकार के कब्जे में ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस समिति को दिल्ली के वर्तमान निर्मित क्षेत्रों का सर्वेक्षण और १२०० वर्ग गज तक के प्लाटों के विभाजन के प्रश्न पर विचार करना है।

साम्यवादियों का सिक्किम में घुस आना

†*५२४. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० गं० देव :
श्री आचार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत से सिक्किम में साम्यवादी घुस आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) हमने समाचारपत्रों में प्रकाशित यह खबर देखी है कि सिक्किम के महाराजकुमार ने कुछ नेपाली साम्यवादियों की सिक्किम यात्रा का निर्देश किया था।

हमें भारत के साम्यवादियों की सिक्किम यात्रा के संबंध में कोई सूचना नहीं है। भारतीय और नेपाली सिक्किम में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते हैं अतः उनके आवागमन का कोई हवाला नहीं रखा जाता है।

सिक्किम की स्थिति सामान्य बताई जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या जो लोग नेपाल से सिक्किम गये थे उन्होंने वहां किसी प्रकार का प्रचार किया था और यदि हां, तो वह किस प्रकार का था ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमें इस बात की कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने को प्रचार किया या नहीं ।

लंका आप्रव्रजन अधिनियम

†*५२६. श्री तंगामणि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका आप्रवजन अधिनियम के अधीन लंका में तलाईभामर में बहुत से व्यक्तियों को रोक लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों की असुविधा कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि १५ नवम्बर, १९६१ को लंका के प्रधान मंत्री ने लंका को संसद् में कहा था कि वहां पर 'एक लाख' के अधिक अवैध आप्रव्रजक हैं तथा भारत से वर्ष में ३००० व्यक्ति आ जाते है ;

(घ) क्या भारत सरकार को आप्रव्रजकों तथा आप्रव्रजक (संशोधन) विधेयक जो लंका की संसद् के सामने लम्बित है के बारे में सूचित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस विधान के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार लंका में तलाईमन्नार कैम्प में रोके गये व्यक्तियों की संख्या १५० है।

(ख) हमारे लंका स्थित उच्चायुक्त लंका के प्राधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क रखते हैं और संदिग्ध अवैध आप्रवासियों के रूप में रोक लिये जाने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, पहुंचने की तारीख आदि के संबंध में आवश्यक जांच यथाशीघ्र समाप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जाते हैं। जैसे ही प्राधिकारियों को इन व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के संबंध में सन्तोष हो जाता है उन्हें मुक्त कर दिया जाता है अथवा भारत वापस भेज दिया जाता है। अगस्त, १९६१ के अन्त में तलाईमन्नार कैम्प में रोके हुये ऐसे व्यक्तियों की संख्या ४२७ थी और अब वह जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया जा चुका है, केवल १५० रह गई है।

(ग) सरकार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार देखे हैं।

(घ) जी, हां ।

(ङ) हमें कुछ नहीं कहना है ।

†श्री तंगामणि : क्या सरकार ने लंका स्थित भारतीय उच्चायोग से यह मालूम किया है कि १००,००० की संख्या बहुत अधिक है और वह किसी भी तरह १०,००० से अधिक नहीं होगी ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि वह १०,००० से अधिक नहीं होनी चाहिये ?

†श्री तंगामणि : लंका की प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था, मैंने अपने प्रश्न के भाग (क) में विशेषरूप से उसी का निर्देश किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य वह कहना चाहते हैं कि वह १०,००० से अधिक नहीं होनी चाहिये ?

†**श्री तंगामणि** : यह धारणा उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है कि अवैध अप्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है जबकि वास्तव में उनकी संख्या किसी भी तरह १०,००० से अधिक नहीं हो सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनकी संख्या १०,००० से अधिक नहीं हो सकती है । माननीय सदस्य के अनुसार वे यह धारणा उत्पन्न करने का प्रयन कर रहे हैं कि वहां अप्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : केवल इतने ही अवैध अप्रवासी पकड़े गए हैं । बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो पकड़े नहीं गए हैं और जिनके संबंध में कोई कुछ भी नहीं जानता है ।

†**श्री तंगामणि** : भारत सरकार को भी इस आशय के अभ्यावेदन किए गए हैं कि लंका की प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधि सभा में जो संख्या बताई है वह बहुत अधिक है । क्या सरकार की कोई सूचना प्राप्त हुई है और उन्हें इस संबंध में कुछ कहना है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : नहीं, श्रीमान । हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ है ।

†**श्री तंगामणि** : यदि वहां पेश किया गया विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उससे नेक-नियत नागरिकों को बहुत कठिनाई होगी, उन व्यक्तियों को भी जिन के पास भारतीय पार पत्र होंगे । ऐसी स्थिति में उस सरकार से उच्चायोग के माध्यम से क्या अभ्यावेदन अथवा विरोध किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमने इस मामले के संबंध में लंका सरकार को विस्तारपूर्वक लिखा है । जिस खण्ड से अतिरिक्त कठिनाई होने की आशंका है उस के संबंध में हमें यह आश्वासन प्राप्त हुआ है कि सरकार इस खण्ड का प्रयोग अप्रवासियों को तंग करने के लिए नहीं करना चाहती है । जहां तक अवैध अप्रवासियों का संबंध है, भारत सरकार को भी उसकी जानकारी है और वह लंका में अवैध प्रव्रजन को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रही है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को लंका के भारतीय निवासियों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन मामलों में तथा उन से संबद्ध मामलों में भारतीय उच्चायोग संसार के विभिन्न भागों के अन्य उच्चायोगों की तरह सहायक नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं इस बात का कड़ा विरोध करती हूं । ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं आया किया गया है । इसके विपरीत हमारा लंका स्थित उच्चायोग भारतीयों की समस्याओं —उनकी नागरिकता, राज्य विहीन व्यक्तियों और अवैध अप्रवासियों के संबंध में बहुत ध्यान देता है ।

†**श्री तंगामणि** : मैं कुछ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मैं स्वयं तीन सप्ताह पूर्व वहां के उच्चायोग कार्यालय में गया था और मैंने प्रधान मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा है जिसके साथ विभिन्न अभ्यावेदनों की प्रतियां भी भेजी हैं । मैं बिना उसका निर्देश किए यह पूछ रहा था कि क्या लंका के संगठनों को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कोलम्बो

†मूल अंग्रेजी में

स्थित उच्चायोग इन निवासियों, विशेषकर दक्षिण से आने वालों के लिये बहुत कम सहायक है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : नहीं, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतः माननीय मंत्री को माननीय सदस्य द्वारा लिखे गये पत्र अथवा उनकी लंका यात्रा की जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये अभ्यावेदन किन निकायों ने किए हैं ?

†**श्री तंगामणि** : एक स्वयं मने भेजा था । मैंने अन्य अभ्यावेदनों की प्रतियां भी भेजी हैं जो मुझे प्राप्त हुई थीं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं सभा को यह बता देना चाहती हूं कि जब उच्चायोग को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो उनकी जांच हम करते हैं और जब भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो वे उच्चायोग को निर्दिष्ट किए जाते हैं । हम उन से यह भी पता लगाते हैं कि क्या ऐसी बात वास्तव में हुई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्टतः माननीया मंत्री को माननीय सदस्य द्वारा लिखे गये पत्र की जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : किसी विशेष पत्र की नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए उन्हें उसकी जांच करनी चाहिए ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूटान में जलढाका नदी

†*४६३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री बलराज मधोक :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और भूटान की सरकारों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिस में भूटान के रास्ते पश्चिम बंगाल में बहने वाली जलढाका नदी के पानी के इस्तेमाल की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तों का क्या ब्यौरा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) करार के अन्तर्गत जलढाका नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव है ताकि भूटान और पश्चिमी बंगाल के संबद्ध क्षेत्रों के लिए बिजली का प्रजनन और संभरण किया जा सके । उससे १८,००० किलोवाट बिजली पैदा होने की आशा है और इस परियोजना में ४.५ करोड़ रुपये की लागत लगने का अनमान है जो पश्चिम बंगाल सरकार देगी । बांध का निर्माण पश्चिम बंगाल विद्युत् बोर्ड करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रांगारिक रसायन[1]

†*४९७. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्बन ब्लैक, पी० वी० सी० आदि जैसे प्रांगारिक रसायनों के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रत्येक योजना कार्यान्विति की किस अवस्था में है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). पी० वी० सी०, कार्बन ब्लैक, पालीथिलीन और अन्य सावयव रसायनों की तीन योजनाओं के संबंध में विदेशी सार्थों से प्रविधिक/वित्तीय सहयोग के लिए प्रस्ताव आ चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है । एक अन्य प्रार्थी से नैफ्था क्रैकिंग क्षमता बढ़ाने की प्रार्थना आई है तथा उस के संबंध में क्रैकर की किस्म और क्षमता की छानबीन की जा रही है । पालीथिलीन, संश्लिष्ट रबड़ और फेनोल आदि की शेष तीन योजनाओं के संबंध में हमें पक्षों द्वारा उठाए गए निश्चित कदमों के बारे में अगले महीने के मध्य तक सूचना मिलने की आशा है ।

अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग

†*५००. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के कपड़ा उद्योग को सितम्बर, १९६१ से कोयले की कमी के परिणामस्वरूप बन्द होने के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को टालने के लिये का क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सितम्बर, १९६१ में अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में भाप के कोयले की कमी हुई थी ।

(ख) मिलों का कोयले का आवंटन बढ़ा दिया गया है तथा अतिरिक्त परिवहन सुविधायें की व्यवस्था की गई है ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†*५०६. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने के लिये १३ करोड़ रुपये की कोई योजना अभी हाल में बनायी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Organic chemicals.

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बर्मा में नौकरी करने वाले डाक्टर

†*५०७. श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बर्मा में नौकरी करने वाले भारतीय डाक्टरों की कठिनाइयों के बारे में समाचारों की जांच की है; और

(ख) क्या भारत सरकार बर्मा सरकार से यह प्रार्थना कर रही है कि वह बर्मा में उनकी सेवा के ठेके के लिए और अधिक अच्छी शर्तें प्रदान करें ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) बर्मा में काम करने वाले भारतीय डाक्टरों को होने वाली कठिनाइयों की सरकार को जानकारी नहीं है । परन्तु बर्मा में पहले काम करने वाले डाक्टरों से कुछ शिकायतें मिलीं थीं जिनकी जांच कर ली गई है ।

(ख) बर्मा सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने, बर्मा सरकार द्वारा १०४ भारतीय डाक्टरों की भरती करने की स्वीकृति दे दी हैं । नये समझौते में भारतीय डाक्टरों के हितों की रक्षा का उपबन्ध कर दिया गया है ।

शिवकाशी में सदर्न इण्डिया एक्सपोर्टिंग कम्पनी फायरवर्क्स में विस्फोट

†*५०८. श्री तंगामणि : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ सितम्बर, १९६१ को शिवकाशी में सदर्न इंडिया एक्सपोर्टिंग कंपनी फायर्स वर्क्स में विस्फोट हुआ था ;

(ख) क्या उस दुर्घटना में किसी की मृत्यु हुई ; और

(ग) उस दुर्घटना की जांच का क्या परिणाम निकला ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना के फलस्वरूप पांच व्यक्ति मर गये थे ।

(ग) विस्फोट के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि अर्द्ध-निर्मित 'चक्रम' का बेरियमनाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, तथा पापरों अलुमोनियम पावडर के गीले मिश्रण से मुंह बन्द करते समय विस्फोट हुआ था ।

"एशिया मैगजीन"

†*५११. श्री जोकिम अल्वा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग में प्रकाशित होने वाली "एशिया मैगजीन" ने भारत सरकार से अपनी पत्रिका के भारत में प्रकाशन की अनुमति मांगी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार जानती है कि यह पत्रिका अब भी "टाइम्स आफ इंडिया" के रबिवारीय संस्करण के साथ वितरित की जाती है; और

(ग) भारत में इस प्रकार की पत्रिकाओं के प्रकाशन अथवा वितरण के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी नहीं। परन्तु टाइम्स आफ इंडिया ने यह अनुरोध अवश्य किया था कि भारत में इस मैगज़ीन के प्रकाशन तथा मुद्रण के लिये एशिया मैगज़ीन लिमिटेड और मैसर्स बैनेर कौलमैन एण्ड कम्पनी के बीच समझौते की अनुमति दी जाये।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार की यह सामान्य नीति है कि भारत में विदेशी स्वामित्व प्राप्त समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जाये। प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ के अधीन यह आवश्यक है कि समाचार अथवा पत्रिका के प्रकाशक और सम्पादक भारत के निवासी हों। हमारी सामान्य नीति के अनुसार अनुरोध की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली के पुराने किले में विस्थापित परिवार

†*५१२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग ३०० शरणार्थी परिवार नई दिल्ली के पुराने किले के अन्दर पुराने कमरों में रह रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन परिवारों के पुनर्वास की पात्रता का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कमरों की खतरनाक हालत को दृष्टि में रखते हुये इन परिवारों के पुनर्वास के लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). १९५३ में पुराने किले के कमरों की दीवारें साफ की गई थीं और वहां के निवासियों को वैकल्पिक स्थान दे दिया गया था। इन कमरों में जो भी अनधिकार प्रवेश की कोशिश करेगा उसके साथ दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई करने के समान व्यवहार किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

प्रबन्ध कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†*५१४. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रबन्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कोई संस्था स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्यों ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्यूबा को पटसन के बोरों और टाट का निर्यात

†*५१५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा से एक क्रय मिशन भारत आया था ;

(ख) क्या यह सच है कि क्रय मिशन ने बड़ी मात्रा में पटसन के बोरे तथा टाट खरीदने की इच्छा जाहिर की थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्रय मिशन की जांच के क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) मिशन ने खोज के लिये बातचीत की थी । उससे क्यूबा के क्रय कार्यक्रम को ब्यौरा मालूम नहीं हुआ था ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

न्यूयार्क का अंतर्राष्ट्रीय अयस्क और उर्वरक निगम

†*५१७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम में न्यूयार्क के अन्तर्राष्ट्रीय अयस्क और उर्वरक निगम ने वस्तु विनिमय समझौता किया है कि जिसके अधीन अमरीका को पटसन की वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा तथा विश्व के विभिन्न भागों से उर्वरक का आयात किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है; और

(ग) समझौते से लाभ तथा हानि क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग), अभी समझौता नहीं हुआ है ।

फरीदाबाद में भूमि का विकास

†*५१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने फरीदाबाद में भूमि के अर्जन तथा विकास के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी योजनावधि में राज्य की भूमि अर्जन तथा विकास योजना की क्रियान्विति के लिये पंजाब सरकार के लिये १५० लाख रुपयों का आवंटन किया गया था । राज्य सरकार इस रकम में से फरीदाबाद में भूमि अर्जन तथा विकास के लिये धन व्यय कर सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आवास योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा धन विनियोजन

†*५२०. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दामानी : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम का धन आवास योजनाओं में लगाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये कितना आवंटन किया गया है और योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां। तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में आवास कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये ६० करोड़ रुपये की रक़म व्यय करने की जीवन बीमा निगम से आशा है।

(ख) इस रक़म का राज्यवार/योजनावार आबंटन अभी नहीं किया गया है।

रबड़ टायरों का निर्माण

†*५२५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में लाइसेंस प्राप्त रबड़ टायरों के निर्माण की तीनों योजनाओं में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) जब इन तीनों कारखानों में पूरा उत्पादन होने लगेगा तब तक क्या भारत आत्मनिर्भर हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) योजनाओं की क्रियान्विति के लिये पक्ष कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). आशा है कि तीसरी योजना में देश टायर तथा ट्यूब के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा। मोटरगाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों के तीसरी योजना के लक्ष्य बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

गुजरात में लघु उद्योग

†१००१. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ से १९६० तक १९६० से १९६१ में अब तक गुजरात राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना के लिये भारत सरकार ने कोई लाइसेंस जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) छोटे पैमाने का उद्योग स्थापित करने के लिये किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। परन्तु उद्योग राज्य निदेशालय द्वारा जारी किए गये अत्यावश्यक प्रमाण पत्रों के अधार पर कच्चे माल का आवंटन किया गया है। इसी उद्देश्य से एककों से उद्योग राज्य निदेशालय के पंजीयन करने को कहा गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण

†१००२. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ वर्ष में महाराष्ट्र में छोटे उद्योग सेवा संस्थाओं में व्यापार प्रबन्ध में कौन व्यक्ति प्रशिक्षण दे रहे थे ; और

(ख) उन पर कितनी रक़म व्यय की गई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९६०-६१ में महाराष्ट्र में व्यापार प्रबन्ध में १६६ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था।

(ख) अतिथि वक्ताओं को २७० रुपये दिये गये थे।

महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को छूट

†१००३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के छूट की बकाया रकम का अभी भुगतान नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो १ अक्तूबर, १९६१ को कितनी रक़म का भुगतान नहीं हुआ था ; और

(ग) भुगतान के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सूती कपड़ा उद्योग में विदेशी समवाय

†१००४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में कौन-कौन तथा कितने विदेशी समवाय सूती कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं ; और

(ख) १९६०-६१ में इन्होंने लाभ की कितनी रक़म बाहर भेजी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). इस प्रकार की जानकारी तथा सांख्यकी नहीं रखी जाती है इसलिये उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी बंगाल से शरणार्थी

†१००५. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रहने वाले पूर्व बंगाल के शरणार्थियों को राज्य में आई हाल की बाढ़ के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उनको क्या सहायता दी गई थी ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). उड़ीसा में मुसंडपुर में पूर्व पाकिस्तान से आये लगभग ६०० कृषक परिवारों को बाढ़ के कारण कष्ट उठाना पड़ा था। उड़ीसा सरकार स्थानीय जनता के समान ही इनको भी सहायता दे रही है। उड़ीसा का पुनर्वास विभाग लगभग एक वर्ष पहले बन्द कर दिया गया था।

श्रीलंका में भारतीय हथकरघों का आयात

†१००६. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने भारतीय हथकरघों के आयात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो मामले के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि श्रीलंका ने भारतीय हथकरघों को आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगा रखा है। यदि प्रश्न हथकरघों के कपड़े के बारे में है तो श्रीलंका ने अभी प्रतिबन्ध नहीं हटाया है। श्रीलंका से हुई हाल की बातचीत में इस प्रश्न को उठाया गया था जिसके परिणामस्वरूप लंका ने हथकरघा कपड़ों पर से प्रतिबन्ध हटाना स्वीकार कर लिया है।

लद्दाख तथा तिब्बत से व्यापार

†१००७. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में ही लद्दाख और तिब्बत के बीच कितना व्यापार हुआ था ; और

(ख) उस क्षेत्र में कितनी वस्तुओं का आयात तथा निर्यात हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). व्यापार सांख्यिकियों में लद्दाख और तिब्बत के बीच व्यापार के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

आयात-निर्यात लाइसेंस

†१००८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ में निर्यात तथा आयात के लाइसेंस लेने में कदाचार का प्रयोग करने वाली कितनी सार्थों को पंजाब में काली सूची में रखा गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : कोई भी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन जाने के लिए भारतीतों को जारी किए गए पासपोर्ट

†१००९. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार महीनों में चीन जाने के लिये कितने भारतीयों को पासपोर्ट दिये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जुलाई, अगस्त, सितम्बर, तथा अक्तूबर, १९६१ के चार महीनों में चीन की यात्रा करन के लिये १०३ भारतीयों को पासपोर्ट दिये गये थे । इनमें से १०२ सरकारी तथा राजनैतिक पासपोर्ट थे ।

दण्डकारण्य परियोजना

†१०१०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९६१ तक दण्डकारण्य में कितने परिवार बसाये गये ;

(ख) शरणार्थी परिवारों के बसाने के लिये कितने गांव तथा मकान तैयार हैं ;

(ग) क्या स्थानीय आदिम जाति जनता के लिये कोई गांव अथवा मकान तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तब कितने आदिम जाति परिवारों ने अब तक इस योजना का लाभ उठाया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १ अक्तूबर १९६१ तक दण्डकारण्य में ३४६३ परिवार पहुंच गये थे । २३२९ परिवार गांवों में बसाय दिये गये ।

(ख) ७५ गांवों को बसाने के लिये स्थानों का चुनाव कर लिया गया था जिनमें ३५७ मकान तैयार कर लिये हैं तथा १७२० मकान स्वयं विस्थापित व्यक्तियों द्वारा बनाय जा रहे हैं ।

(ग) और (घ). संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा आदिम जाति के लोगों को बसाया जा रहा है । उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश सरकारों को दी गई ४२९४ एकड़ भूमि में से ३९०६ एकड़ भूमि ४८४ आदिम जाति परिवारों में वितरित कर दी गई है ।

भारत में तिब्बती शरणार्थी

†१०११. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कितने तिब्बती शरणार्थी हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत में इस समय ३२,२९६ तिब्बती शरणार्थी रह रहे हैं ।

पंजाब में रजिस्टर्ड बेरोजगार व्यक्ति

†१०१२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अब तक १९६१–६२ में काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ; और

(ख) १९६१–६२ में अब तक कितने रजिस्टर्ड बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, १९६१ में १,३६,६२०।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, १९६१ में २५,५४६।

दिल्ली के होटलों में गोमांस का परोसा जाना

१०१३. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल (नई दिल्ली) में गोमांस के परोसने और बनाने आदि पर सर्वथा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली के और ऐसे कितने होटल हैं जिनमें गोमांस दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने उन होटलों के मालिकों को भी बहु-संख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुये गोमांस के प्रयोग पर रोक लगाने का सुझाव दिया है ; और

(घ) क्या सरकार के पास इस संबंध में आंकड़े हैं कि गत पांच सालों में जनपथ होटल और वैस्टर्न कोर्ट में कितना कितना गोमांस आया ?

निर्माण, आवास और संभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) हां।

(ख) संभव है कुछ होटलों में गोमांस दिया जाता हो। उनकी संख्या मालूम नहीं है।

(ग) नहीं।

(घ) होटल जनपथ और वस्टर्न कोर्ट में कभी गोमांस नहीं दिया गया।

उद्योग में व्यवसायिक खतरे

†१०१४. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण : }

क्या श्रम और रोजगार, मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग में व्यवसायिक खतरों का अध्ययन करने और उनको रोकने के लिये सरकारी कार्यक्रम के ब्यौरे क्या हैं ?

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) :** उद्योगों के कार्यवहन के वातावरण का स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव की जांच, १९४९ में स्थापित कारखाने के मुख्य सलाहकार संगठन में औद्योगिक हाईजीन यूनिट ने २० विस्तृत सर्वेक्षण किये हैं। संगठन इस समय निम्नलिखित सर्वेक्षण कर रहा है :—

(क) जावर जस्ता तथा जिंज खाने, उदयपुर में सिलिकोसिस ;

(ख) मैंगनीज अयस्क का लदान करने वाले गोदी मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कुछ रसायनिक तथा रंग उद्योगों में व्यवसायिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ;

(घ) कलकत्ता गोदी में कोयला ढोने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव।

इन सर्वेक्षणों के आधार पर की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों को बता दिया गया है तथा खान मालिक कारखानों की दशा सुधारने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

कानपुर में उद्योगपतियों को ऋण

†१०१५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक कानपुर के कुछ उद्योगपतियों को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से ऋण दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ऋण की कितनी रकम थी ;

(ग) किन किन उद्योगपतियों को ऋण दिया गया है ; और

(घ) किन कार्यों के लिये ऋण दिया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सरकारी उपक्रमों पर वित्तीय नियंत्रण

†१०१६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, सरकारी संकल्प द्वारा स्थापित सरकारी, उपक्रमों तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कार्यों के विनियमन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिये विधान प्रस्तुत करने के सुझाव की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता।

पंजाब में कपड़े की मिलें

†१०१७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में कपड़ा मिलों को आरम्भ करने के लिये लाइसेंस देने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले ;

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). राज्य को आवंटन के विरुद्ध लाइसेंस देने की पंजाब सरकार की सिफारिशें मिल गई हैं। उन पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता निवारण संबंधी फिल्म

†१०१८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अष्पृश्यता निवारण सम्बन्धी फिल्मों के निर्माण में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : लिपि का अभी भी विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में अल्यूमीनियम का कारखाना

†१०१९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच मध्य प्रदेश में एक अल्यूमीनियम का कारखाना खोलने के लिए एक गैर-सरकारी फर्म के प्रार्थना-पत्र पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में हंगरी की सहायता से एक कारखाना स्थापित करने पर सक्रिय विचार किया जा रहा है। अतः मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में अल्यूमीनियम का दूसरा कारखाना खोलने की संभावना नहीं है।

सरकारी दफ्तरों को दिल्ली से बाहर ले जाना

१०२०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से कुछ एक सरकारी कार्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) किन-किन दफ्तरों को स्थानान्तरित करने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). इस विषय में प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए वर्तमान स्थिति में यह नहीं बताया जा सकता कि कौन कौन से कार्यालय कहां कहां भेजे जायेंगे। परन्तु यह प्रस्ताव है कि फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए १ लाख वर्ग फुट स्थान की व्यवस्था करने के लिए इमारतें बनाई जायें। वहां कौन से कार्यालय भेजे जायें, इस के विषय में निश्चय यथासमय किया जायेगा।

कर्सियांग में शार्ट वेव स्टेशन

१०२१. { **श्री भक्त दर्शन :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम के निकट कर्सियांग में शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : स्टूडियो और ट्रांसमीटर की दोनों इमारतों पर यंत्र लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। स्टूडियो में ध्वनि-सम्बन्धी व्यवस्था भी हो रही है। तकनीकी फर्नीचर बनाया जा रहा है और उपकरणों की वायरिंग भी हो रही है।

जहां तक ट्रांसमीटर का सम्बन्ध है, इसकी इमारत में बनावट के कुछ सुधार किये जा रहे हैं और ट्रांसमीटर तथा ग्रहण-केन्द्र दोनों के उपकरण पहुंच चुके हैं। आकाशी यंत्र भी लग रहे हैं।

एक केन्द्र निदेशक कुछ आवश्यक स्टाफ़ के साथ कुर्सियांग पहुंच चुके हैं, और उम्मीद है कि यह केन्द्र फ़रवरी/मार्च, १९६२ तक चालू कर दिया जायेगा।

ग्यान्त्से (तिब्बत) में भारतीय व्यापार एजेंसी का भवन

१०२२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अगाड़ी :

क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यान्त्से (तिब्बत) में भारतीय व्यापार एजेन्सी का भवन बनाने का कार्य इस बीच प्रारम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक इसके निर्माण में अड़चन दूर हो जाने की आशा की जाती है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस तथ्य को देखते हुए कि एजेंसी जिस स्थान पर बननी है, उस के पट्टे के सम्बन्ध में १९५८ से लेकर अब तक बातचीत चलती ही जा रही है और चीनियों ने यह बातचीत पूरी करने तथा पट्टे को अंतिम रूप देने के बारे में कोई रजामंदी नहीं जाहिर की हैं, फिलहाल यह कह सकना असंभव है कि व्यापार एजेंसी की इमारत का बनना, अगर शुरू होगा भी तो कब होगा। चीनियों ने यह संकल्प कर लिया है कि इस मामले में कोई प्रगति न हो। जब एक बाधा दूर होती है, तो दो और खड़ी कर दी जाती हैं। सब से हाल की बाधा यह है कि चीनी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एजेंसी की जमीन के पट्टे को अंतिम रूप देने से पहले हम किराये के आवास का पट्टा कर लें। इसके अलावा, उन्होंने पट्टे पर दी जाने वाली जमीन की भौगोलिक सीमा को लेकर भी एक नया झगड़ा खड़ा कर दिया है, जब कि जाहिरा तौर पर यह मामला दोनों पक्षों के लिए संतोषप्रद रूप में सुलझ चुका था

लाओस सम्बन्धी जनेवा कान्फ्रेंस

†१०२३. **श्री राधा रमण :**
श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाओस सम्बन्धी जेनेवा कान्फ्रेंस समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय हुए ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग बनाने और उस के काम करने की शर्तें निश्चित हो गई हैं;

(घ) क्या भारत का सम्बन्ध इस आयोग से किसी रूप में रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो वह सहयोग कैसा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) और (ङ) भारत लाओस के मूल तथा पुनर्गठित अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण तथा नियंत्रण आयोग का सभापति है ।

केरल का आर्थिक विकास

†१०२४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राजनीतिक दल के सदस्यों ने कोई ज्ञापन भेजा है जिस में शिकायत की है कि केन्द्रीय सरकार केरल के आर्थिक विकास में असहानुभूतिपूर्ण और भेदभाव का व्यवहार करती है; और

(ख) इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) प्रतीत होता है कि केरल के राज्यपाल को इस बारे में एक ज्ञापन भेजा गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला धोने का संयंत्र

†१०२५ { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला धोने के संयंत्र बनाने के लिए कोई परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना सरकारी क्षेत्र में स्थापित होगी या गैर-सरकारी क्षेत्र में;

(ग) कोयला धोने के कारखाने की कितनी मांग है; और

(घ) इस मांग में से कितनी मांग की पूर्ति स्वदेशीय संभरण से होती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) विशेष रूप से कोयला धोने के संयंत्र बनाने के लिए कारखाना स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है । गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को कोयला धोने के संयंत्र बनाने के लाइसेन्स दे दिये गये हैं । इन संयंत्रों के निर्माण के लिए दो अन्य योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं । वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार देश को लगभग ५ करोड़ रु० के मूल्य के कोयला धोने के संयंत्रों की प्रति वर्ष आवश्यकता होगी । आजकल देश में इसका कोई निर्माण नहीं करता परन्तु आशा है कि उपरोक्त योजनाओं के लागू होने पर मांग पूर्णतया पूरी हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्विट्ज़रलैंड को चमड़े की वस्तुओं को निर्यात

†१०२६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटज़रलैण्ड में चमड़े की निर्मित वस्तुओं की अधिक मांग है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस देश को चमड़े की वस्तुओं का निर्यात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार वस्तुओं का निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अच्छी किस्म के यात्रा-थैलों, हाथ के थैलों, बैलटों, छोटे-छोटे संदूकों (ब्रीफ केसेज़) आदि की मांग है।

(ख) और (ग). चमड़े की वस्तुओं का निर्यात करने की गैर-सरकारी व्यापारियों को पूरी छूट है। निर्यात किये गये उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं सीमा शुल्क वापस देने की सामान्य सुविधा निर्यात करने वालों को दी जाती है। निर्यातकर्ताओं को ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए उनके निर्यात-कार्य के आधार पर माल आयात करने के अतिरिक्त लाइसेन्स भी मिलते हैं। बर्न में हमारे राजदूतालय का वाणिज्यिक विभाग व्यापार सम्बन्धी पूछताछ में व्यापारियों की सहायता करता है। चमड़े की निर्यात संवर्द्धन परिषद् को भी चमड़े और चमड़े की बस्तुओं के निर्यात के लिए मांग पैदा करने का काम दिया जाता है।

कागज़ के संयंत्र

†१०२७. { श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज़ के बड़े संयंत्र बनाने के प्रस्ताव हैं ;

(ख) प्रस्तावों को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ;

(ग) क्या ये संयंत्र सरकारी क्षेत्र में बनाये जायेंगे या गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(घ) क्या इन संयंत्रों के निर्माण के लिये नये कारखाने खोले जायेंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) कागज़ बनाने के संयंत्र बनाने के कारखाने स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। सात फर्मों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कागज़ बनाने के पूरे संयंत्र बनाने के लिये लाइसेन्स दे दिये गये हैं। इन संयंत्रों की क्षमता ५० या इस से अधिक प्रति दिन होगी। कागज़ के बड़े संयंत्र की देश में मांग की उस समय पूरी होने की आशा है जबकि इन कारखानों का पूर्ण उत्पादन आरम्भ हो जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अफ्रीकी देशों को सहायता

†१०२८. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में भारत ने अफ्रीकी देशों को कितनी सहायता दी है ; और

(ख) उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). १९६०–६१ में भारत द्वारा अफ्रीकी देशों को दी गई सहायता दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]

स्वतंत्र विश्व का साझा बाजार

†१०२९. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा भुगतान सम्बन्धी सीनेट हाउस की आर्थिक उपसमिति के उस सुझाव की ओर आकर्षित हुआ है जो उसके यूरोपियन साझा बाजार जैसे प्रादेशिक साझा बाजारों के स्थान पर एक स्वतंत्र विश्व का खुला साझा बाजार बनाने के बारे में दिया है और जिस का समाचार दिनांक २९ अगस्त, १९६१ के 'स्टेटसमैन' में छपा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) विश्वव्यापी मुक्त व्यापार उस समय ही हो सकता है जबकि संसार के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में विद्यमान असमानतायें बहुत कुछ दूर हो जाये ।

लुधियाना में ऊन परिशोधन कारखाना

†१०३०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुधियाना में अखिल भारतीय ऊन परिशोधन संस्था ने एक ऊन परिशोधन कारखाना स्थापित करने में कितनी प्रगति की है ; और

(ख) भारत सरकार ने अब तक कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सहकारी समिति ने कारखाने के लिये अपेक्षित कुछ भूमि ले ली है और मशीन आयात करने की कार्यवाही कर रही है ।

(ख) कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केरल में नारियल-जटा उद्योग

†१०३१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा उद्योग के चटाई बनाने के भाग का यंत्रीकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) और (ख). चटाई बनाने में लगे उन नारियल-जटा कारखानों का, जो अपने उत्पादन के कुछ भाग का यंत्रीकरण करना चाहते हैं, चुनाव किया जा रहा है ।

ईरान के साथ व्यापार

†१०३२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २ मई, १९६१ को हुए करार के अन्तर्गत भारत और ईरान के बीच कितना व्यापार बढ़ा है ; और

(ख) क्या प्राप्त अनुभव को ध्यान में रख कर दोनों सरकारों के बीच करार की शर्तों का कोई पुनरीक्षण किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) २ मई, १९६१ को किये गये करार के फलस्वरूप हुई प्रगति का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण

†१०३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण अपने साधनों से देने की योजनायें बनायें ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) हां

(ख) उड़ीसा और जम्मू तथा काश्मीर की सरकारों से अभी कोई उत्तर नहीं मिला है । अन्य सभी राज्य सरकारें अपने अपने नियमों के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण दे रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में क्वार्टरों का निर्माण

†१०३४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना काल में और क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना मे (वर्णानुसार) कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कार्यक्रम के अतिरिक्त दिल्ली में ६,००० और बम्बई तथा कलकत्ता में ३००, ३०० क्वार्टर तीसरी योजना में बन कर रहने के लिये देने के लिये तैयार हो जायेंगे। तीसरी योजना में और क्वार्टर बनाने का कार्यक्रम विचाराधीन है। क्वार्टरों को मद्रास और फरीदाबाद में भी बनाने का विचार है। भूमि अधिग्रहण और उस का विकास का कार्य किया जा रहा है। निर्माण का वास्तविक कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं हुआ है। अतः ठीक से यह बताना संभव नहीं है कि प्रति वर्ष कितने क्वार्टर बनाने का विचार है।

कालीन उद्योग का सर्वेक्षण

†१०३५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कालीन उद्योग का सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान।

(ख) अखिल भारतीय शिल्पकला बोर्ड ने कालीन उद्योग का सर्वेक्षण किया था और उस की रिपोर्ट संकलित हो रही है।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१

†१०३६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन उद्योगों को अपने हाथ में लेने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अधिक अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न किस स्थिति में है, जो आन्तरिक झगड़ों के कारण बन्द हो जाते हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मामला विचाराधीन है।

लघु उद्योग बोर्ड

†१०३७. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड की कच्चा माल उपसमिति की बैठक सितम्बर, १९६१ में नई दिल्ली में हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उप-समिति ने क्या सिफारिशें की थीं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या३३८४/६१ ।]

औद्योगिक बस्तियां

†१०३८. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कितने उद्योग निर्धारित करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश दिये गये हैं ; और

(ख) क्या पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों की स्थिति के बारे में सूचना दे दी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि औद्योगिक बस्तियों सहित छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कुल आवंटन का न्यूनतम ७५ प्रतिशत ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में व्यय होना चाहिये । इसका दो तिहाई (अर्थात्, कुल का लगभग ५० प्रतिशत) ५,००० से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय होना चाहिये ।

(ख) पंजाब सरकार का विचार तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ७२ ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां बनाने का है, जिनमें से १० बस्तियां १९६१–६२ में निम्नानुसार बनेंगी :—

स्थान	जिला
१. धर्मपुर	शिमला
२. ड्रका कलां	जलंधर
३. ओटालोन	लुधियाना
४. सुराब नाग	फीरोजपुर
५. पंज ग्राइन	भटिण्डा
६. घुमन	गुरदासपुर
७. सोहाना	गुड़गांव
८. धड़वाला	हिसार
९. बनूर	पटियाला
१०. जवाली	कांगड़ा

तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनने वाली अन्य बस्तियां के स्थानों का निश्चय यथासमय होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय शीशे की मांग

†१०३९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीशा निर्माणकर्ताओं के उस प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो १९६१ के आरम्भ में पाकिस्तान, मध्य पर्व और पूर्वी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गया था ; और

(ख) प्रतिनिधि मण्डल की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मुख्य सिफ़ारिशें—

१. बोतलों, औषधियों की शीशियों और छोटी शीशियों, घरेलू शीशे के बर्तनों, शीशे की चादरों, दर्पणों, सुरक्षित शीशे, शीशे की चूड़ियों और कुछ प्रयोग शाला में प्रयोग होने वाले शीशों तथा आकन्दों का निर्यात करने पर ध्यान देना चाहिये ।

२. नमूने भेजकर और विस्तृत रूप से विज्ञापन देकर समुद्रपार के व्यापार में पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिये ।

३. रसायन तथा तत्संबंधी उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् की शीशा-तालिका की एक उप-समिति को निर्यात-बंडलों के मानक बनाने चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन मानकों का उस समान रूप से प्रयोग किया जा ।

४. स्पर्धाका ी देशों द्वारा बताये गये मूल्यों को ध्यान में रख कर मूल्यों का समायोजन होना चाहिये ।

५. रेलवे और जहाज के किराये में कमी करने की आवश्यकता है ।

६. निर्यात-कर्ताओं को विदेशी क्रयादेश पर शीघ्र माल भेजना चाहिये ।

७. कलकत्ता बन्दरगाह और कराची बन्दरगाह के बीच नियमित माल-सेवा होनी चाहिये ।

८. सभी व्यापार करारों में शीशा और शीशे के बर्तनों को भारत से निर्यात होने वाली एक वस्तु के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

९. वस्तुओं की एकरूपता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

१०. भारतीय निर्माणकर्ताओं को पश्चिमी एशियाई और पूर्वी अफ्रीका देशों में बिक्री के थोक एजेन्ट नियुक्त करने चाहिये ।

कनाट सर्कस, नई दिल्ली में केन्द्रीय पार्क

†१०४०. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ५ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कनाट सर्कस के केन्द्रीय पार्क को इस दृष्टि से छोटा करने के बारे

†मूल अंग्रेजी में

में कोई निर्णय किया गया है कि राजधानी में मोटर, आदि खड़ी करने के लिए अधिक स्थान उपलब्ध किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है और वह कब लागू होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तृतीय योजनाकाल में करारोपण

†**१०४१. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई में भारतीय व्यापारी मंडल ने भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि तीसरी योजना अवधि में अतिरिक्त करारोपन के लिये निर्धारित उच्च लक्ष्यों और करारोपण के बारे में सरकार की नीति का विशेषज्ञों द्वारा पुनः परोक्षण किया जाना चाहिये ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** करारोपण के बारे में सरकार की नीति का विशेज्ञों द्वारा परीक्षण कराये जाने का सुझाव बंबई के भारतीय व्यापारी मंडल के प्रधान के द्वारा सितम्बर १९, १९६१ में एक भाषण में सुझाव दिया था। तीसरी योजना तैयार की जाने से पूर्व इस विषय पर पूर्ण रूपेण विचार किया गया था।

पश्चिम जर्मनी और ईरान में चाय सलाहकारों की नियुक्ति

†**१०४२. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय निर्यात संवर्धन के हेतु पश्चिम जर्मनी और ईरान में चाय सलाहकारों की नियुक्ति करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उसके पश्चात् क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). यह फैसला किया गया है कि इस समय पश्चिम जर्मनी में कोई पृथक चाय सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। ईरान में ऐसा अधिकारी नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार ने हाल में विचार नहीं किया है।

हरिजन औद्योगिक बस्तियां

१०४३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक प्रत्येक राज्य में कितनी हरिजन औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी ऐसी बस्तियां स्थापित होने जा रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). एक विवरण साथ में नत्थी है।

विवरण

अनुसूचित वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अभी तक कोई भी औद्योगिक बस्ती नहीं बसाई गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

फरवरी, १९६१ में अनुसूचित वर्गों के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने ३० लाख रु० की कुल लागत (३ लाख प्रत्येक बस्ती के लिये) से १० औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की एक योजना मंजूर की थी। और आशा है कि इन औद्योगिक बस्तियों को बसाने का काम तीसरी योजना की अवधि के पहले दो वर्षों में पूरा हो जायेगा। ये बस्तियां निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित की जा रही है :—

१. फैजाबाद

२. वाराणसी

३. फतेहपुर

४. हरदोई

५. रामपुर

६. मुजफ्फरनगर

७. हल्द्वानी

८. छिटौनी

९. कोसी कलां

१०. कालपी

ये बस्तियां अनुसूचित वर्ग के लोगों को बिना कुछ किराया लिये दी जायेंगी। इन बस्तियों में उद्योग चलाने का काम अनुसूचित वर्ग के लोगों की सहकारी समितियां करेंगी और यदि आवश्यक समझा गया तो १० प्रतिशत गैर-हरिजन भी रहेंगे। गैर-अनुसूचित जाति के लोगों को इसमें शामिल करने का विचार नहीं है किन्तु कुछ मामलों में इन जातियों से बाहर के कुछ ऐसे उद्यमी लोगों को भी शामिल किया जा सकेगा जिनके आस-पास हरिजनों द्वारा चलाये जाने वाले कारखाने पनप सकें। इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा कि इन बाहरी उद्यमियों की संख्या कम से कम रहे और वह प्रत्येक मामले में १० प्रतिशत से अधिक न हो। इन कारखानों में से ९० प्रतिशत सहकारी समितियों के लिये सुरक्षित रहेंगे और केवल १० प्रतिशत व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले हरिजनों के लिये रहेंगे।

चल-चित्रों का आयात

१०४४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से जो फिल्में भारत में आती हैं वे सब सारे देश में नहीं दिखाई जातीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). विभिन्न स्थानों पर फिल्मों का प्रदर्शन फिल्म उद्योग के हाथों में है और सरकार इस बारे में उन पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाती।

अध्यापक प्रशासक

१०४५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड के अध्यापक प्रशासकों की योजना के अन्तर्गत जितने लोगों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था उसमें कमी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योग

†१०४६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि अल्प स्तर उद्योग क्षेत्र के छोटे उपक्रमी लोगों को ऋण की कोई असुविधा नहीं मिलती जब वित्त निगम २०,००० रुपये से कम ऋण नहीं देता ; और

(ख) यदि हां, तो उनको उनके द्वारा निर्यात वस्तुओं पर ऋण देने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी नहीं । छोटे उद्योगपतियों को सरकारी ऋण राज्य सरकारों के द्वारा उनके उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत दिये जाते हैं । सहायता की उदार व्यवस्था के अधीन राज्य सरकारें व्यक्तिगत बन्ध नामों पर १,००० रुपये तक ऋण दे सकती हैं । राज्य सरकारें दी गयी प्रत्याभूति के ७५ प्रतिशत मूल्य पर, जिसमें भूमि, इमारत, मशीनरी और ऋण से पैदा की गई अन्य आस्तियां शामिल होती हैं, ५,००० रुपये तक ऋण दे सकती हैं । छोटे उद्योगपतियों को उत्तम समन्वय और सेवा देने के लिये यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें साधारण तौर पर १५,००० रुपये तक ऋण दे सकती हैं तथा राज्य वित्तीय निगम अधिक राशि के लिये सरकारी कार्यकर्त्ता के तौर पर काम कर सकता है ।

(ख) राज्य सहायता ऋणों के अतिरिक्त, स्टेट बैंक कच्चे माल या तैयार माल के बन्धक पर कार्यकारी पूंजी का ऋण प्रदान करता है ।

पंजाब सरकार को मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम के ऋण

†१०४७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में मकान बनाने के लिये खर्च करने के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है तथा इस बारे में निगम ने क्या फैसला किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). जीवन बीमा निगम राज्यों को, निर्माण आवास तथा संभरण मंत्रालय की सिफारिशों पर मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत धन देता है । पंजाब सरकार ने जीवन बीमा निगम से, इस योजना के अन्तर्गत मंत्रालय से मांगी गई ३५ लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त, चंडीगढ़ में मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत ऋण के तौर पर बांटने के लिये ४५ लाख रुपये की राशि मांगी थी । संगत तथ्यों अर्थात् अन्य राज्यों की मांगों और उपलब्ध धन की मात्रा, को दृष्टिगत रखते हुये, अर्थात् मंत्रालय के द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब सरकार को अब तक चालू वर्ष में राज्य में योजना को कार्यान्वित करने के लिये ३५.१५ लाख रुपये की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार यह फैसला करेगी कि इस प्रकार आवंटित राशि में से कितनी राशि चंडीगढ़ में मकान बनाने के लिये ऋण के रूप में बांटी जानी चाहिये।

दिल्ली में प्लाटों का हस्तान्तरण

†१०४८. **श्री सोमजी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, जोर बाग, गार्कलिंग, और डिफेंस कालोनी में प्लाटों की पट्टे की शर्तों में दूसरे लोगों को प्लाटों का हस्तांतरण करने पर निषेध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि इन बस्तियों में बहुत से प्लाट हस्तांतरित कर दिये गये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) जी नहीं।।

(ख) प्लाट पट्टा देने वाले अर्थात् सरकार की पूर्व अनुमति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किये जा सकते हैं।

चिली को चाय का निर्यात

†१०४९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिली स्थित भारतीय राजदूतावास ने अनुरोध किया है कि भारत के चाय निर्यातकों और भारतीय चाय बोर्ड को कुछ निधि उस देश में केवल वाणिज्यिक प्रचार के लिये अपने अभिकर्ताओं के लिये, उस देश में चाय निर्यात को बढ़ाने के उन के संयुक्त प्रयत्न के लिये, आ-बंटित करनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां।

(ख) चिली सस्ती चाय का बाजार है और उस देश में भारतीय चायों के प्रचार के लिये विशेष प्रयत्नों का क्षेत्र सीमित है। इस कार्य के लिये कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।

चाय का उत्पादन

†१०५०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष भारत में चाय का उत्पादन अधिक होने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष अनुमानित उत्पादन क्या है ;

(ग) इसमें कितनी चाय निर्यात की जाने का अनुमान है ;

(घ) क्या (ग) भाग में उल्लिखित निर्यात करने के लिये सरकार चाय निर्यात पर से शुल्क हटाने का विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस का क्या निर्णय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). सितम्बर, १९६१ तक भारत में ५५०,६ लाख पौंड उत्पादन का अनुमान है जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में उत्पादन ४८७३ लाख पौंड था। उत्पादन के वर्तमान रुख के आधार पर, १९६१ में उत्पादन, ७६०० लाख पौंड होने का अनुमान है।

(ग) निर्यात के वर्तमान रुख को देखते हुये, यह आशा की जाती है कि १९६१ में कुल निर्यात ४७५० लाख पौंड के लगभग होगा।

(घ) और (ङ) चाय उद्योग की कर व्यवस्था पर समय समय विचार किया जाता है और जब कभी आवश्यक होता है, सार्वजनिक घोषणायें की जाती हैं।

अनुशासन संहिता संबंधी गोष्ठी

†१०५१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालिकों की संघ ने सितम्बर, १९६१ में उद्योग में अनुशासन संहिता संबंधी गोष्ठी का अयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में क्या मुख्य विचार व्यक्त किये गये थे और शिफारिशें की गई थीं ; और

(ग) उन सिफारिशों की दृष्टि से संहिता में संशोधन करने के लिये यदि सरकार ने कोई निर्णय किये थे, तो वे क्या थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी हां, । अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी संगठन और मालिकों की फैडरेशन दोनों ने संयुक्त रूप से ।

(ख) (१) सब राज्यों में अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता देने के लिये संघों की सदस्यता का शीघ्रतापूर्ण सत्यापन होना चाहिये ।

(२) प्रबन्धकों को अधिकार होना चाहिये कि वे संघों की मान्यता स्थगित या रोक सकें जब तक उनके द्वारा किये गये उल्लंघनों के बारे में कार्य परिगति व्यवस्था द्वारा विचार न किया जाये ।

(३) ऐसी प्रथा चलाई जानी चाहिये कि जहां मान्य संघों और मालिकों के बीच नौकरी की सामान्य शर्तों सम्बन्धी समझौते किये जायें, अमान्य संघों को इन में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिये ।

(४) संहिता भंग किये जाने के बारे में तुरन्त और मौके पर जांच होनी चाहिये ।

(५) कार्य परिगति समिति को किसी भी हालत में ऐसे मामले को नहीं लेना चाहिये जो सामान्य तौर पर सरकार के औद्योगिक संबंध तंत्र के क्षेत्राधिकार में आता हो या जो विधि के निर्वचन के बारे में हो ।

(६) कार्यपरिणति समिति को, विभिन्न श्रम विधियों के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकारयों को सौंपे गये काम को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये ।

(ग) संहिता में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एशिया के योजना निर्माताओं का सम्मेलन

†१०५२. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री कोडियान : }

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर में नई दिल्ली में एशिया के योजना निर्माताओं का इकेफ द्वारा आयोजित सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य विषयों की चर्चा की गई थी ; और

(ग) उस सम्मेलन में क्या मुख्य विचार व्यक्त किये गये थे या सिफारिशें की गई थीं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . एशिया के आर्थिक योजना निर्माताओं के सम्मेलन द्वारा नियुक्त प्रविधिक समिति के प्रारूप, प्रतिवेदन तथा विषयावली की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या ३३८५/६१] ।**

तारापुर के समीप अणुशक्ति केन्द्र

†१०५३. { **श्री दामानी :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई के पास स्थापित किये जाने वाले पहले अणु शक्ति केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में किन देशों से टेंडर आये थे और क्या इसके बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** तारापुर के समीप एक अणु-शक्ति केन्द्र के निर्माण के लिये दिये विश्वजनीन टेंडर के प्रत्युत्तर में सात टेंडर चार देशों अर्थात कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और अमरीका से प्राप्त हुये हैं । अभी टेंडरों की छानबीन की जा रही है और कोई निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

जनपथ होटल, नई दिल्ली

†१०५४. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनपथ होटल को चलाने के ऊंचे व्यय के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) व्यय को घटाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों के दावे

†१०५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९६१ तक पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित दावेदारों के कितने मामलों का निपटारा करना शेष था ;

(ख) इनका निपटारा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या यह कार्य मंत्रालय के बन्द किये जाने से पूर्व पूरा कर दिया जाएगा ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) पुनर्वास अनुदान प्रार्थना पत्रों को मिलाकर कुल ५.३ लाख सत्यापित दावों में से, केवल ६००० मामलों का १–१०–६१ तक निपटारा करना शेष था ।

(ख) अगले चन्द महीनों में ।

(ग) अभी तक मंत्रालय को बन्द करने के बारे में कोई तिथि निश्चित नहीं की गई ।

आयात तथा निर्यात नीति

†१०५६. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीन आयात तथा निर्यात नीति बनाने के लिये स्थापित की गई रामस्वामी मुदालियर समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर 'न' है तो प्रतिवेदन कब पेश किये जाने की संभावना है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) शीघ्र ही प्रतिवेदन पेश किया जाने वाला है ।

रायचूर जिला मैसूर राज्य म सूत कातने की मिलें

†१०५७. **श्री अगाड़ी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि मैसूर राज्य के रायचूर जिला में एक सहकारी सूत कातने का कारखाना आरम्भ करने के लिये लाइसेंस लेने के लिये राज्य सरकार की सिफारिश के साथ एक प्रार्थना पत्र भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई फैसला किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कब फैसला किया जाएगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका में सीटल नामक स्थान पर प्रदर्शनी

†१०५८. **श्री पहाड़िया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अगले वर्ष अमरीका में सीटल नामक स्थान पर लगने वाली "सैंचरी २१ ऐम्सपोज़ीशन" प्रदर्शनी में भाग लेने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रदर्शनी में कौन सी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) प्रदर्शनी में रखी जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं की महत्वपूर्ण श्रेणियों की सूची संलग्न है।

१. कच्चा माल, खनिज, खनिज पदार्थ, वनस्पति तेल आदि अर्थात् :

खनिज अयस्क, अभ्रक, अत्यावश्यक तेल, हड्डियां और चमड़ा, कच्ची और बेकार रुई और ऊन, तेल और तिलहन, माइरो बालान आदि।

२. मशीनरी तथा इंजीनियरी का सामान

(१) टेलीफोन तथा टेलीफोन का सामान

(२) बिजली तथा इंजीनियरी के मापने के औजार

३. पेय, खाद्य पदार्थ और अन्य खाने की चीज़ें, तम्बाकू से बनी चीज़ें अर्थात् :

चाय, काफी, काजू, काली मिर्च और अन्य मसाले, डिब्बा बन्द खुराक, डिब्बा बन्द फल और फलों का रस, सिगार, सिगरेट, चुरुट, चीनी, जमाए हुए तेल आदि।

४. कपड़े :—मिल के बने और हथकरघा के बने हुए जिनमें सूती कपड़े, रेशमी और रेयन के कपड़े, ऊनी कपड़े और खादी शामिल है।

५. दस्तकारियां

६. विविध पदार्थ अर्थात् :

नारियल जटा और उसकी चीज, पटसन और उसकी बनी चीज़ें, चमड़ा और जूते, खेल का सामान, एलास्टिक और लिनोलियम की चीज़ें, गाने बजाने के वाद्य, दरियां, रसायन और फार्मेसी की दवाइयां, प्रसाधन सामग्री तथा खुशबूएं।

७. पर्यटन तथा व्यापार सूचना :

पुस्तकें तथा प्रकाशन, नमूने, चार्ट और ग्राफ, फोटोग्राफ, चित्र और मूर्तिकला की चीज़ें।

दिल्ली क्लाथ मिल के रासायनिक कारखाना, दिल्ली में दुर्घटना

†१०५९. **श्री कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल के रासायनिक कारखाना, दिल्ली में हुई दुर्घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच का विवरण सरकार को मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या फैसला किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†१०६०. श्री क्रोडियान : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना के अन्दर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक हस्पताल बनाने की कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उसकी कितनी लागत का अनुमान है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के ३२ नये तथा वर्तमान हस्पतालों में २५ संलग्न हस्पतालों में ६००० रोगियों के उपचार के लिये व्यवस्था की गई है।

(ग) लगभग १२ करोड़ रुपये।

कच्ची फिल्मों का कारखाना

†१०६१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में उटाकमंड में एक कच्ची फिल्मों का कारखाना स्थापित करने की योजना सम्बन्धी काम आरम्भ किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाना स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) जैसा कि १६-८-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में बताया गया है : हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कम्पनी सीमित नाम की एक सरकारी कम्पनी इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये पंजीबद्ध की गई है।

फैक्टरी के लिये स्थान को समतल करने का काम पूरा हो चुका है और उत्पादन इमारतें तथा पहुंचने की सड़कें आदि बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। फ्रांस का मैसर्स बौचेट, जो इस परियोजना में सहयोग दे रहे हैं, ऐसी आयात की गई चीजें भेजने का प्रबन्ध कर रहे हैं, जो उनका उत्तरदायित्व बनता है। अन्य संयंत्र तथा उपकरण के लिये मूल्य सूचियां मांगी गई हैं।

वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ किये जाने से पहले, पदार्थों तथा सामान को मान के अनुसार करने के लिये एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है और आशा है कि यह दिसम्बर, १९६१ तक काम करना आरम्भ कर देगी।

सोलह प्रविधिक अफसरों का एक दल सितम्बर, १९६१ में छः महीने से ग्यारह महीने तक की भिन्न भिन्न अवधियों के लिये रचनात्मक प्रशिक्षण लेने के लिये बौचेट एंड साई फ्रांस के कारखानों में भेजा गया है और कुछ अन्य अफसर शीघ्र ही जाने वाले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूरोपीय साझा बाजार

†१०६२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वीडन यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होना चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो उससे भारत के उस देश को निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) भारत से वहां प्राय: क्या सामान भेजा जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव का पता नहीं है ।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले चार वर्षों में भारत द्वारा स्वीडन को किये गये निर्यात का विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७**]

इंडोनेशिया से व्यापार मण्डल

†१०६३. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० गं० देब : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया का एक व्यापारिक मण्डल इस वर्ष नवम्बर के आरम्भ में भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके साथ बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). इंडोनेशिया के एक तथ्यान्वेषक दल ने भारत के साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध की भली भांति जानकारी के लिये ६ से २६ नवम्बर, १६६१ तक भारत की यात्रा की । इस दल ने विभिन्न औद्योगिक तथा वाणिज्यिक केन्द्रों को देखा और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा की । इस यात्रा और चर्चा से यह दल जिस उद्देश्य से आया था उसमें सफल हुआ ।

टैक्सी के मीटरों का आयात

†१०६४. **श्री अगाड़ी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६-६०, १६६०-६१ और १६६१-६२ में अब तक प्रत्येक देश से टैक्सी के कितने मीटरों का आयात किया गया ;

(ख) भारत पहुंचने पर सीमा-शुल्क, यदि कोई लगा हो, सहित प्रति मीटर क्या कीमत थी और इन मीटरों का आयात और वितरण किस के जरिये किया गया ;

(ग) क्या इन मीटरों की कीमत और वितरण पर क्या कोई नियंत्रण है ;

(घ) यदि हां, तो नियंत्रित मूल्य और वितरण व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आयातक आयात किये मीटरों का काला बाजार करने के लिये उन्हें अपने पास ही रख लेते हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). १९५९-६० से १९६१-६२ (जुलाई, १९६१ तक) प्रत्येक देश से आयात किये गये टैक्सी मीटरों की संख्या और उन की कीमत बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**। भारत पहुंचने पर इन मीटरों की कीमत के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। इन मीटरों के आयातकों तथा वितरकों का ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह मद आई० टी० सी० अनुसूची के अधीन अलग से नहीं दी गई है।

(ग) से (च). टैक्सी के मीटरों के मूल्यों और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। किन्तु, किसी फर्म द्वारा लिये गये मूल्य के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिस की जांच की जा रही है।

दिल्ली में श्रीनिवासपुरी और पिंजरापोल में गृह-निर्माण

†१०६५. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की श्रीनिवासपुरी और पिंजरापोल बस्तियों में गृह-निर्माण के प्लान तैयार करने में कितना समय लगा है ;

(ख) ठेकेदारों को अन्तिम भुगतान कब किया गया ;

(ग) क्वार्टर कब दिये गये ; और

(घ) क्वार्टर देने के बाद बिजली के कनेक्शन कब दिये गये ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]**

मुहम्मदपुर-मुनीरका बस्ती

†१०६६. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुहम्मदपुर-मुनीरका बस्ती के निर्माण के लिये ठेकेदारों को भुगतान कब किया गया ;

(ख) निर्माण की अन्तिम अवस्था कब पूरी हुई ;

(ग) मुहम्मदपुर-मुनीरका बस्ती के निर्माण के बाद मरम्मत के लिये कितना धन खर्च किया गया ; और

(घ) इस बस्ती में बने क्वार्टर देने में अब और कितना समय लगेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). रामकृष्णपुरम् में बने क्वार्टरों में से अब तक कोई भी क्वार्टर पूरी तरह नहीं बना है ; निर्माण-कार्य या क्वार्टरों में सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य जारी है। १९६ क्वार्टरों के सम्बन्ध में ठेकेदार को अन्तिम भुगतान १९ मई, १९६१ को किया गया।

(ग) मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया।

(घ) इस बस्ती में छना पानी, गन्दे पानी को बाहर ले जाने वाला नाला और बिजली आदि आवश्यक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद ही क्वार्टरों में रहा जा सकता है। इन सेवाओं

†मूल अंग्रेजी में

की व्यवस्था का कार्य जारी है और दिल्ली नगरपालिका निगम को आशा है कि यह काम इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा। यह काम समाप्त होते ही क्वार्टर देना शुरू किया जायगा।

लाजपतनगर, नई दिल्ली के दोमंजिले क्वार्टरों में दूसरी मंजिल के क्वार्टरों का दिया जाना

†१०६७. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है लाजपतनगर तथा अन्य बस्तियों में दो मंजिले क्वार्टरों के दूसरी मंजिल के क्वार्टरों के वंटनियों से ज़मीन की क़ीमत उसी दर से वसूली की जा रही है जिस दर से पहली मंजिल के वंटनियों से ली जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). दिल्ली की लाजपतनगर बस्ती तथा अन्य क्षेत्रों में बने दोमंज़िले क्वार्टरों की संख्या बहुत ज्यादा है। यदि किसी विशिष्ट क्वार्टर या ब्लाक के सम्बन्ध में जानकारी अपेक्षित हो तो वह दी जा सकती है।

लाजपतनगर, नई दिल्ली में 'सी' टाइप क्वार्टर

†१०६८. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपतनगर में पुराने दोमंजिले 'सी' टाइप क्वार्टरों के वंटनियों से २२½ रुपये प्रति वर्ग गज की दर से ज़मीन की कीमत वसूल की जा रही है जबकि पड़ोस की बस्ती में 'काटेज' टाइप क्वार्टर, सस्ते क्वार्टर और अमर कालोनी में जमीन की कीमत क्रमशः १८, १३½ और १५ रुपये प्रति वर्ग गज की दर से वसूल की जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पड़ोस की बस्ती में ज़मीन की कीमत दोमंज़िले क्वार्टरों की कालोनी की ज़मीन की कीमत से कहीं अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो लाजपतनगर में अधिक दर से कीमत वसूल करने के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). लाजपतनगर में दोमंज़िले 'सी' टाइप क्वार्टरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये क्वार्टर अलग अलग समय पर बनाये गये थे और इन पर खर्च भी एक जैसा नहीं हुआ। यदि किसी विशिष्ट क्वार्टर या ब्लाक के बारे में जानकारी अपेक्षित हो तो वह दी जा सकती है।

लाजपतनगर --२, नई दिल्ली में क्वार्टर

†१०६९. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपतनगर-२ में बने दो कमरों के क्वार्टरों के लिये ५,००० रुपये और इस से अधिक कीमत मांगी जा रही है जबकि वंटनियों को स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक क्वार्टर के लिये उन से ४,००० रुपये लिये जायेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी बस्ती में बने इसी तरह के क्वार्टरों के लिये ४,००० रुपये से कहीं अधिक कीमत मांगी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) (ख) और (ग). लाजपतनगर में बने दो-कमरों के क्वार्टरों की संख्या बहुत ज्यादा है। वे अलग-अलग समय पर तथा अलग अलग लागत से बनाये गये हैं। यदि किसी विशिष्ट क्वार्टर या ब्लाक के बारे में जानकारी अपेक्षित हो तो वह दी जा सकती है।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

†१०७०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विस्थापित व्यक्तियों की राजेन्द्रनगर, न्यू राजेन्द्रनगर, लाजपतनगर, पटेलनगर, निजामुद्दीन ईस्ट और वेस्ट में अर्जित जमीन के लिये प्रति वर्ग गज क्रमशः कितनी-कितनी कीमत दी गई थी ;

(ख) इन विभिन्न बस्तियों में प्रति वर्ग गज विकास व्यय कितना था ; और

(ग) इन बस्तियों में बने क्वार्टरों के विस्थापित बंटनियों से ज़मीन की प्रति वर्ग गज क्या कीमत वसूल की जा रही है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क), (ख) और (ग) विभिन्न बस्तियों में और विभिन्न ब्लाक्स के लिये अर्जित भूमि की कीमत में काफी अन्तर है। यदि किसी विशिष्ट ब्लाक के बारे में जानकारी अपेक्षित हो तो वह दी जा सकती है।

नकली मोती और हीरे

१०७१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिक्किम में किसी भारतीय फर्म के सहयोग से कृत्रिम मोती और हीरे बनाने का कारखाना खोलने की योजना कार्यान्वित की जा रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : २४ अक्टूबर १९६१ को महाराज सिक्किम ने, उद्घोषणा संख्या २ के ज़रिये, यह घोषित किया कि सिक्किम सरकार ने सिक्किम इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक क़रार पर हस्ताक्षर किये हैं, जिस के अन्तर्गत यह कार्पोरेशन औद्योगिक कार्यों के लिये नकली 'जेवेल' और 'जेवेल बेयरिंग' बनाने पर सहमत हुआ है। इस कार्पोरेशन की स्थापना कामानी ग्रुप कर रहा है।

गुलमर्ग दर्रे के निकट एक गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण

१०७२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में पाकिस्तानियों के एक सशस्त्र दल ने गुलमर्ग दर्रे के क्षेत्र में युद्ध-विराम रेखा के पास स्थित एक ग्राम पर आक्रमण कर लूटमार की ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हां। २६ अक्टूबर १९६१ को पाकिस्तान/पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर के एक सशस्त्र कर्मचारी दल ने युद्ध-विराम रेखा की हमारी दिशा में, गुलमर्ग के लगभग १२ मील दक्षिण की ओर, हमारे गश्तीदल पर गोलियां चलाईं। आत्मरक्षा के लिये हमारे गश्तीदल ने भी गोली चलाई। एक आक्रमणकारी की मृत्यु हुई और एक घायल हुआ। शव को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल व्यक्ति सहित शेष आक्रमणकारी भाग निकले।

†मूल अंग्रेजी में

कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग सम्बन्धी परिषद्

†१०७३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग सम्बन्धी परिषद् के कृत्य और शक्तियां क्या हैं;

(ख) इस उद्योग में लगे देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना में भारत में इस उद्योग की समग्र स्थिति क्या है;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग की कितनी प्रगति होने की संभावना है; और

(घ) भारत में इस उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्र कौन से हैं और उनकी उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) कांच के और चीनी मिट्टी के बर्तन के उद्योग में लगे अनुसूचित उद्योगों के लिये २६ अक्तूबर, १९६१ को एक विकास परिषद् की स्थापना की गयी है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की दूसरी अनुसूची में दिये गये सभी कृत्य इस परिषद् को सौंप दिये गये हैं। यह विकास परिषद् अन्य विकास परिषदों के समान परामर्शदात्री निकाय है जिसे उद्योग के विकास तथा विनियमन के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिये गठित किया गया है।

(ख) गत दशक में भारत के कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग ने बहुत प्रगति की है। कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को छोड़ कर अन्य सभी वस्तुएं भारत में बनाई जाती हैं। आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि की समाप्ति तक कांच और मिट्टी की सभी चीजें भारत में बनने लगेंगी।

(ग) मंजूर की गई अथवा विचाराधीन योजनाओं के कार्यान्विय से देश तीसरी योजनावधि की समाप्ति तक कांच और मिट्टी की बनी चीज़ों में न केवल आत्मनिर्भर हो जायेगा वरन् आस पास के देशों को इनका निर्यात कर पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकेगा।

(घ) जिन राज्यों में कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग अच्छी प्रगति कर रहा है उनके नाम तथा उनकी उत्पादन-क्षमता बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

भारत के रिजर्व बैंक का "प्रत्याभूति संगठन"

†१०७४. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक का "प्रत्याभूति संगठन" ("गारन्टी आर्गेनाइजेशन") कैसे काम करता है;

(ख) प्रत्याभूति की योजना अब तक किन-किन जिलों में लागू हुई है;

(ग) क्या रिजर्व बैंक से अगाऊ धन पाने वाली सब संस्थायें पुरानी नामी संस्थायें हैं;

(घ) प्रत्याभूति के आवेदन-पत्रों की किस ढंग से जांच की जाती है और विशिष्ट मामलों में प्रत्याभूति देने की कसौटी क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या उधार देने वाली संस्थाओं के आवेदनकर्ताओं के सम्बन्ध में उन के लघु उद्योग एकक होने के बारे में दिये गये शपथ-पत्र उन्हें प्रत्याभूति देने के लिए पर्याप्त प्रमाण समझे जाते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या यह रिजर्व बैंक के ध्यान में आया है कि कुछ मामलों में शपथ-पत्र झूठे होते हैं; और

(छ) प्रत्याभूति संगठन इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों की कैसे सहायता करता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक नोट संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ग) उधार देने वाली संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत भारत के रिजर्व बैंक से अग्रिम धन नहीं मिलता । इस योजना के अन्तर्गत जिन संस्थाओं को ये सुविधायें दी जाती हैं वे सब पुरानी नामी संस्थायें हैं ।

(घ) बम्बई स्थित भारत के रिजर्व बैंक में एक विशेष विभाग प्रत्याभूति योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों की छानबीन करता है । विशिष्ट मामलों में प्रत्याभूतियां देने की कुछ एक महत्वपूर्ण कसौटी ये हैं :—

(१) इस योजना में "लघु उद्योग एकक" की जो परिभाषा दी गई है आवेदनकर्ता औद्योगिक एकक को उस के अनुसार एक लघु उद्योग एकक होना चाहिये, अर्थात् एकक की कुल लागत पूंजी, जिस में किराये पर लिए हुए मकान की कीमत भी शामिल है, यदि कोई ऐसा मकान हो तो, परन्तु जिस में मजदूरों के लिए मकान बनाने और उन्हें सुविधायें देने पर खर्च की गई राशि सम्मिलित नहीं है, पांच लाख पये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(२) उस एकक का माल बनाने, तैयार करने या अन्य कार्यों का प्रधान स्थान इस योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट जिले या जिलों में होना चाहिए ।

(३) सम्बन्धित एकक का प्रार्थना-पत्र सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट किसी उधार संस्था अथवा किसी अन्य उधार संस्था द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट उधार संस्था के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(४) जिस ऋण के सम्बन्ध में प्रत्याभूति मांगी गई हो वह १ जुलाई, १९६० को या उसके बाद मंजूर किया हुआ होना चाहिए जिससे कि वह औद्योगिक एकक चालू ूजी के लिए निश्चित आस्तियां या उपकरण प्राप्त कर सके । किन्तु यदि कोई ऋण १ जुलाई, १९६० से पहले मंजूर किया गया हो, तो उस तारीख के बाद किसी ऋण का सामान्य अथवा सच्चा पुनर्नवीकरण अथवा उसे बढ़ाया जाना, यदि उस ऋण का रिकार्ड अच्छा हो तो, इस प्रकार का पुनर्नवीकरण आदि भी इस योजना के अन्तर्गत प्रत्याभूति के लिए अर्ह होगा ।

(५) किसी प्रत्याभूति के लिए आवेदन-पत्र देते समय प्रत्याभूति संगठन द्वारा उस एकक के सम्बन्ध में किसी पुरानी प्रत्याभूति के लिये दिये गये अग्रिम धन अथवा व्यय की पूरी तरह वसूली हो चुकी होनी चाहिए ।

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) और (च). उधार देने वाली संस्थाओं को शपथ-पत्र नहीं देना पड़ता। उन्हें केवल यह प्रमाण-पत्र देना होता है कि आवेदनकर्ता एकक एक लघु उद्योग एकक है। प्रत्याभूति देने से पहले आवेदन-पत्र में बताये गये ब्यौरे की जिसमें सम्बन्धित एकक के लेखे का विवरण और उसका नवीनतम सन्तुलन-पत्र भी होता है, ध्यान से जांच कर ली जाती है। सरकार के ध्यान में झूठी घोषणा का कोई मामला नहीं आया है।

(छ) उधार प्रत्याभूति योजना अभी तक पिछड़े हुए औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू नहीं की गई है।

अखबारी कागज

†१०७५. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितना अखबारी कागज बाहर से मंगवाया गया और उस पर कुल कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) दो वर्षों में कुल कितनी खपत हुई और उन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) दो वर्षों में देश में अखबारी कागज का कितना उत्पादन हुआ और उस में नेपा मिल्स का कितना हिस्सा था; और

(घ) कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). आयात की गई राशि और उस का मूल्य नीचे दिया जाता है। ऐसा समझ लिया गया है कि विदेशों से आयात की गई सारी राशि की खपत हो गई और इस बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है :—

	राशि (टनों में)	मूल्य ('०००' रुपयों में)
१९५९–६० . .	८३,३०८	६५,५४७
१९६०–६१	७२,३६३	५९,४६४।

(ग) स्वदेश में सारा उत्पादन नेपा मिल्स का होता है। और इस मिल का गत दो वर्षों का उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

१९५९–६०	२२,४११ टन
१९६०–६१	२३,०२९ टन

(घ) मांग और स्वदेश के उत्पादन में जो कमी रह जाती है वह आयात द्वारा पूरी की जाती है।

देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए तीन कारखानों के लाइसेन्स दिये गये हैं, जिन में प्रति वर्ष १.८ लाख टन अखबारी कागज तैयार किया जायेगा। यह उस ३०,००० टन वार्षिक की क्षमता के अतिरिक्त है, जिसके लिए नेपा मिल्स को लाइसेन्स मिला हुआ है और जो तैयार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कस्तूरबा नगर में क्वार्टर

†१०७६. **श्री बलराज मधोक:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि कस्तूरबा नगर के क्वार्टरों की पहली मंजिल में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गर्मी के मौसम में सीढ़ियां न होने के कारण छतपर नहीं सो सकते और वे काफ़ी समय से यह मांग कर रहे हैं कि सीढ़ियों की व्यवस्था की जाये;

(ख) इस उचित मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां, १५२८ क्वार्टरों में ।

(ख) और (ग). जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या १६८४ के २६ मार्च, १९५८ को दिये गये उत्तर में बताया गया था छतें कमजोर होने के कारण इन क्वा ों में सीढ़ियों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

कहवा बोर्ड का पुनर्गठन

†१०७७. **श्री बलराज मधोक:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कहवा बोर्ड ने अपने कार्य का पुनर्गठन करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनर्गठन योजना तैयार करते समय कहवा बोर्ड के कर्मचारियों की राय ली गई थी;

(घ) क्या यह सच है कि योजना बना कर पुनर्गठन करने से कहवा बोर्ड के बहुत से कर्मचारियों को छंटनी करना पड़ेगा;

(ङ) क्या कहवा बोर्ड के कर्मचारियों ने प्रस्तावित पुनर्ग न के विरोध में एक अभ्यावेदन दिया है; और

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (च). कहवा बोर्ड विपणन् और प्रचार विभागों को मिलाने सम्बन्धी विपणन् विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप बोर्ड ने दोनों विभागों के कार्य की जांच करने के लिये एक पुनर्गठन उपसमिति नियुक्त की थी । उपसमिति ने विपणन् विभाग के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और प्रचार विभाग संबंधी रिपोर्ट उन की मिलना बाकी है । उप-समिति की सिफारिशें एक विशेषज्ञ समिति को सौंपी जायेंगी ताकि उन्हें कार्यान्वित करने के उपाय सुझाये जायें । इसलिये अभी यह बताना संभव नहीं कि कुछ लोग छंटनी करने पड़ेंगे और यदि करने पड़ेंगे तो कितने। भारतीय कहवा बोर्ड कर्मचारी संघ ने छंटनी की आशंका के कारण अभ्यावेदन भेजा था अतः उन्हें उपरोक्त स्थिति बता दी गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में लघु उद्योग

†१०७८. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से १९६० तक पंजाब सरकार को रेशम कीट पालन, कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि दी गई ;

(ख) उक्त राशि में से इन वर्षों के लिये पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में इन के विकास के लिये कितनी राशि अलग रखी गई थी ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इनके विकास के लिये पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कितनी राशि अलग रखने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उद्योगों में सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार

†१०७९. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय पुरस्कार पाने की क्या शर्तें हैं ; और

(ख) पहले-पहल यह किन-किन उद्योगों पर लागू होगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की एक प्रारूप योजना पर सरकार विचार कर रही है । ब्यौरा अभी तय नहीं हुआ है ।

प्याज और सूखी मछली का श्रीलंका को निर्यात

†१०८०. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने हाल ही भारत से प्याज और सुखाई हुई मछली के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ; और

(ग) क्या श्रीलंका को इन वस्तुओं के निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). श्रीलंका सरकार ने अपनी दिनांक २ मार्च, १९६१ की अधिसूचना द्वारा प्याज के मूल्य निश्चित कर दिये । इस का भारत से प्याज के निर्यात पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है । श्रीलंका सरकार ने दिनांक ६ अप्रैल १९६१ की अधिसूचना द्वारा सुखाई हुई मछलियों के अधिकतम थोक मूल्य निर्धारित किये थे । भारतीय निर्यातकर्ताओं द्वारा ये मूल्य बहुत कम पाये गये और सूखी मछली के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । श्रीलंका में सूखी मछली का आयात सहकारी थोक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है ।

बागान उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†१०८१. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान मजूरी बोर्डों ने अन्तर्कालीन सहायता के लिये अन्तर्कालीन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो अन्तर्कालीन और अन्तिम रिपोर्ट कब तक मिलने की आशा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण में यू० पी० ए० एस० आई० के साथ बोनस का करार किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी नहीं ।

(ख) यह बताना सम्भव नहीं कि बोर्डों को कितना समय लगेगा ।

(ग) और (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह मामला राज्य के क्षेत्र में पड़ता है ।

स्थगन प्रस्ताव

निपानी में पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियां

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री नाथ पाई और श्री गोरे से एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह इस प्रकार है :

> "२७ नवम्बर १९६१ को जबकि संघ सरकार द्वारा नियुक्त ४ व्यक्तियों का आयोग, मैसूर और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर जानकारी देने के लिये निपानी गया हुआ था, पुलिस की ज्यादतियों के फलस्वरूप ५० से अधिक व्यक्ति घायल हुए जिन में निपानी नगरपालिका के अध्यक्ष और वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष भी शामिल हैं ।"

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): मुझे श्री देवचन्द्र शाह, विधान परिषद् के एक कांग्रेसी सदस्य से इस आशय का एक तार प्राप्त हुआ है कि निपानी में पुलिस की ज्यादतियों की तत्काल न्यायिक जांच करवाई जाये । इस के अतिरिक्त मेरे पास कई कांग्रेसी समाचारपत्रों के कटिंग भी हैं जिन में उक्त घटना की ओर ध्यान दिलाया गया है । यह आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था । वे लोग जनता के अभ्यावेदन सुनने के लिये आये तथापि उन पर लाठी चलाई गई । हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि इन मामलों में किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पावे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब संघ सरकार द्वारा कोई आयोग सीमान्त विवाद का निपटारा करने जाता है तो वहां की जनता को आयोग के समक्ष अपनी शिकायतें रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : भारत सरकार को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है । समाचार पत्रों से यह स्पष्ट है कि मैसूर के मुख्य मंत्री ने, मैसूर विधान सभा में एक विस्तृत वक्तव्य दिया। यह समिति मैसूर और महाराष्ट्र सरकार की सहमति से नियुक्त की गई थी । यह समिति अपना काम कर रही है । अतः भारत सरकार का इस से कोई सम्बन्ध भी नहीं है । यह विधि और व्यवस्था का मामला है । इस मामले के सम्बन्ध में वहां के गृहमंत्री अपना वक्तव्य दे चुके हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि स्थिति और अधिक बिगड़ने न दिया जाये । अतः कुछ व्यक्तियों को वहां जा कर मामले की जांच करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शंकरैया** (मैसूर) : यह समिति पिछले एक वर्ष से दौरा कर रही है। अभी तक ऐसा कोई संकट नहीं हुआ था। इस विशेष घटना में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। उन का उद्देश्य अनावश्यक रूप से अफवाहें फैलाकर प्रचार करना है।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): सच्चाई यह है कि जब श्री पाटस्कर और श्री भट्ट अपनी कारों पर बाहर गये तो उन की कारों पर पत्थर फैंके गये। वस्तुतः ये अल्पसंख्यक भाषा भाषी लोगों का पूरा अधिकार है कि वे अपना अभ्यावेदन देवें।

†**श्री रामपुरे** (गुलबर्गा) : श्री खाडिलकर ने यह बताया है कि महाराष्ट्र के सदस्यों पर पत्थर चलाये गये। मैं स्वयं उस समय उन की कार में था और मैं कह सकता हूं कि कहीं भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से संयुक्त समिति के काम में रोड़ा डालना एक गम्भीर बात है। क्योंकि यह समिति दोनों सरकारों की सहमति से बनी थी। अतः समिति को इस विवाद का निपटारा करने का पूरा पूरा मौका दिया जाये। तथापि जब यह मामला मैसूर विधान सभा में लाया गया तो यह उत्तर दिया गया कि ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया था।

मेरा सुझाव है कि समिति के सभी सदस्यों को साथ साथ ही जाना चाहिये। इस से उन्हें दूसरे पक्ष के भी विचार ज्ञात हो जायेंगे। यह अधिक अच्छा है कि वे अपने को दो समूहों में विभाजित न करें।

अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान मोटर्ज को विशेष रेलगाड़ी का दिया जाना

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान इस विषय की ओर दिलाता हूं कि पूर्व रेलवे ने हिन्दुस्तान मोटर्स को अपने कारखाने में हड़ताल तोड़ने के लिये लोगों को ले जाने केनिमित्त हावड़ा से हिन्द मोटर हाल्ट तक एक विशेष रेलगाड़ी देने की व्यवस्था की।

†**रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १७-११-६१ को हिन्दुस्तान मोटर्स से सोमवार, २० नवम्बर,१९६१ को हावड़ा से हिन्द मोटर्स हाल्ट तक ६०० कर्मचारियों को ले जाने के लिये एक विशेष रेलगाड़ी चलाने के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त हुआ था। पूरा शुल्क वसूल करने के बाद एक विशेष रेलगाड़ी के २०-११-६१ को हावड़ा से रात के १२ बज कर ३० मिनट पर चलने की व्यवस्था कर दी गई थी। हिन्द मोटर्स से २१-११-६१ को ५०० कर्मचारियों के लिये बुधवार,२२ नवम्बर, १९६१ को हावड़ा स्टेशन से एक विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था करने के लिये दूसरा आवेदन प्राप्त हुआ। तदनुसार पूरा शुल्क वसूल करने के बाद विशेष रेलगाड़ी २२११-६१ हावड़ा से रात के १२ बज कर ३० मिनट पर चली।

सम्बन्धित दलों की प्रार्थना पर चलाई गई रेलगाड़ियों से कौन यात्रा करते है इस बात पर रेलवे न तो कोई रोक लगाती है और न लगा सकती है।

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इण्डियन रिफाइनरीज़ लि० का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा समीक्षा

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : मैं श्री के० दे० मालवीय की ओर से निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

कम्पनीज़ अधिनियम १९५६ की धारा ६१९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-३३७९/६१]

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० का वार्षिक प्रतिवेदन

†वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-३३८०/६१]

पुनरीक्षण आवेदन पत्र (प्रक्रिया) नियम

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) : डा० ब० गोपाल रेड्डी की ओर से मैं इंडियन बायलर्ज, अधिनियम, १९२३ की धारा २८ क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७१ में प्रकाशित पुनरीक्षण आवेदन-पत्र (प्रक्रिया) नियम, १९६१ की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-३३८१/६१)

दिल्ली दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

दिल्ली दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, १९५४ की धारा ४७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली दुकानें तथा प्रतिष्ठान नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ सितम्बर १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० २० (६)/६१–लेब (१) की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-३३८२/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत उक्त एक्ट की अनुसूची १ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एट० टी०—३३६२/६१]

संख्या एल/टी/३३८३।६१]

राज्य सभा से सन्देश

†सचिव: मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(१) कि राज्य सभा अपनी २९ नवम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २० नवम्बर, १९६१ को पास किये गये प्रसूति लाभ विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(२) कि राज्य सभा अपनी २९ नवम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये कहवा (संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(३) कि राज्य सभा २९ नवम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २३ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(४) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये वेतनों में स्वेच्छा से कटौती (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक, १९६१ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

(५) कि राज्य सभा ने अपनी ३० नवम्बर, १९६१ की बैठक में भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पास कर दिया है।

(६) कि राज्य सभा ने अपनी ३० नवम्बर, १९६१ की बैठक में विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पास कर दिया है।

(७) कि राज्य सभा अपनी ३० नवम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक—सभा पटल पर रखे गये

†सचिव: मैं निम्न विधेयकों को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखता हूं :

(१) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६१।

(२) विमान निगम (संशोधन) विधेयक १९६१।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य की गिरफतारी

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे न्यायिक उपदंडाधीश, त्रिचूर से दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ का निम्न तार मिला है :

"श्री वारियर को भारतीय दंड संहिता की धारा १०९ और ११७ के साथ पठित धारा १४३, १४५, १४७, ३४१, ३५३ और ४४७ के अधीन दर्ज एक मामले के सम्बन्ध में ३० नवम्बर, १९६१ को गिरफ्तार किया गया था और १ दिसम्बर, १९६१ को उनके समक्ष पेश किया गया था और जांच पूरी होने तक सात दिन के लिये वियर की विशेष सब-जेल में हिरासत में रख दिया गया ।"

भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कृत्यों और गतिविधियों के बारे में वक्तव्य

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** मैं एक वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३३८९/६१)**

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** आपकी अनुमति से मैं सोमवार, ४ दिसम्बर, को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार होगा :

(१) सोमवार, ४ दिसम्बर को प्रश्नों को निबटाने के बाद श्री वाजपेयी तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाई जाने वाली भारतीय राज्य-क्षेत्र में नवीनतम चीनी अतिक्रमणों पर चर्चा ।

(२) आज के आदेश-पत्र से बची हुई सरकारी कार्यवाही की किसी भी मद पर विचार ।

(३) निम्न लिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१

लौह अयस्क खाने श्रमिक कल्याण उप-कर विधेयक, १९६१

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, १९६१

मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१ को प्रश्नों को निबटाने के बाद संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ लिया जायेगा ।

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६१

प्रत्यर्पण विधेयक, १९६१ , संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६१

विश्वभारती (संशोधन) विधेयक, १९६१

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६१, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९६१, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(४) श्री नित्यानन्द कानूनगो द्वारा सूचना दिये गये लाख पर लगाये गये निर्यात शुल्क पर अनुमोदन प्राप्त करने के संकल्प पर चर्चा ।

(५) मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१ को ४ म० प० बजे श्री नाथ पाई तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाई जाने वाली कलिंग एयर लाइंस को बम्बई और बड़ौदा के बीच नियमित वायु सेवा आरम्भ करने के लिये दिये गये लाइसेंन्स के बारे में चर्चा ।

(६) गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९६१ को प्रश्नों को निबटाने के बाद प्रधान मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति के बारे में चर्चा ।

राज्य वित्तीय निगम संशोधन विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९६१ अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करन वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अबिद अली** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मैं डा० का० ला० श्रीमाली की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

अनूपूरक अनुदानों की मागें (रेलवे), १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वर्ष १९६१–६२ के आय-व्ययक (रेलवे) से सम्बन्धित अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगी। श्री सुब्रह्मण्यम् ।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम् (बेलारी)** : अनुपूरक मांग संख्या २ के अन्तर्गत, रेलवे ने विविध व्यय और कुछ रेलवेज के सर्वेक्षण के लिये राशि मांगी है। टिप्पणी में कहा गया है कि ये सर्वेक्षण इसी चालू वर्ष में किये जायेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

दक्षिण रेलवे में गुंटाकल और होस्पेट के बीच बी० जी० लाइन को दोहरा करने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसलिये कि बेलारी के लौह अयस्क को दोनों तटों तक पहुंचाना आवश्यक है। उसके परिवहन की मांग इतनी बढ़ जायेगी कि दोहरी लाइन को हुबली और कारवार तक बढ़ाना पड़ेगा। आशा है कि परिवहन तथा संचार मंत्रालय मंगलौर-हसन लाइन सम्बन्धी निर्णय में शीघ्रता कराने के लिये मंगलौर पत्तन सम्बन्धी अपनी सहमति भेजने में विलम्ब नहीं होने देगा।

लौह अयस्क के अधिकाधिक परिवहन की दृष्टि से मंगलौर पत्तन को प्रथम श्रेणी का पत्तन बनाया जायेगा। बेलारी क्षेत्र में लौह अयस्क की बहुतायत है। उसी को पत्तन तक पहुंचाने के लिये हसन-मंगलौर और कोट्टूर-हरिहर नयी लाइनें डाली जा रही हैं। रेलवे मंत्री को कोट्टूर-हरिहर लाइन का निर्माण हसन-मंगलौर लाइन के निर्माण के साथ जोड़ना चाहिये।

मैसूर और मद्रास दोनों राज्यों के लिये सैलम-बंगलौर लाइन बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। बेलारी के लौह-अयस्क सम्पन्न क्षेत्र तक लिगनाइट पहुंचाना अविलम्बनीय है जिससे वहां लोहे और इस्पात के कारखाने खड़े किये जा सकें। इसलिये मैं इस नयी लाइन के सर्वेक्षण के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। इनमें शीघ्रता करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका (झुंझनूं) : मैं केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। व्याख्यात्मक टिप्पणी में खेतड़ो-चिरवा लाइन के इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण के लिये २४,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह नयी लाइन खेतरी की तांबे की खानों को विकसित करन के लिये बनाई जा रही है। इसलिये यातायात सर्वेक्षण का इसके लिये अधिक महत्व नहीं है। खेतड़ी की तांबे की खानों को तो हर हालत में विकसित करना है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें इस सम्बन्ध में आश्वस्त करे कि इस सर्वेक्षण-कार्य में कोई विलम्ब नहीं होने दिया जायेगा।

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अनुपूरक मांगों का कुल जोड़ ८.३९ करोड़ रुपये होता है। ये मांगें वर्ष १९६१–६२ की आय-व्ययक सम्बन्धी ८९२.७८ करोड़ रुपये की मांगों के अतिरिक्त हैं। कुल स्वीकृत अनुदानों की मांगों की .९३ प्रतिशत ही हैं ये अनुपूरक मांगें। इसलिये इन मांगों को अधिक नहीं कहा जा सकता।

मैं सब से पहले माग संख्या १५ और १६ की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मांग संख्या १५ के द्वारा तोन लाख और मांग संख्या १६ के द्वारा एक लाख रुपये की राशि मांगी गई है। श्री विट्ठलराव और श्री तंगामणि ने विशेष तौर पर पूछा है कि इन सर्वेक्षणों के लिये इतनी कम राशि को व्यवस्था क्यों को गई है। ये अनुपूरक मांगें अतिरिक्त निधियों के लिये नहीं हैं। ये तो सांकेतिक मांगें हैं, जिनका उद्देश्य इन नयी परियोजनाओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना है, संविधान के अनुच्छेद ११५(१)(क) की अपेक्षा की पूर्ति के लिये।

मांग संख्या १५ के अन्तर्गत सांकेतिक व्यवस्था इसलिये की गयी है कि चालू वर्ष में ही पानवेल-अप्टा, बंगलौर-सलम, मनमदुरै-विरुद्धनगर और सिंगरौली कोयला क्षेत्र से ओबरा तक नयी लाइनों का निर्माण शुरू किया जा सके। तृतीय योजना और नयी लाइनों के रेलवे कार्यक्रम में इनको सम्मिलत किया जा चुका है।

श्री विट्ठलराव और श्री टे० सुब्रह्मण्यम् दोनों ही को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सांकेतिक मांगें इसीलिये रखी हैं कि इन नयी लाइनों पर चालू वर्ष में ही निर्माण-कार्य शुरू किया जा सके। इसलिये इनमें विलम्ब नहीं होने दिया जायेगा। श्री विट्ठलराव को मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि सैलम-बंगलौर लाइन का निर्माण तृतीय योजना-काल में अवश्य पूरा हो जायेगा। यदि सामग्री प्राप्त करने में कोई कठिनाई न पड़ी, तो शायद उससे भी पहले पूरी तैयार हो जायेगी।

चूंकि माननीय सदस्यों को इन नयी लाइनों से काफी दिलचस्पी है, इसलिये मैं इनका ब्यौरा सभा के सामने रखता हूं।

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : कोंकण लाइन के बारे में भी।

†श्री शाहनवाज खां : मनमदुरै-विरुद्धनगर लाइन लगभग ४१ मील लम्बी होगी और उसकी अनुमित लागत ढाई करोड़ रुपये होगी। उसका निर्माण इसलिये अविलम्बनीय है कि उसके निर्माण के बाद मनमदुरै और विरुद्धनगर सैक्शन में दोहरी लाइनें नहीं डालनी पड़ेंगी। मनमदुरै और विरुद्धनगर के बोच एक नयो संयोजक लाइन बन जाने से तृतीय योजना काल में मदुरै के दक्षिण में यातायात में बड़ो सुविधा हो जायेगो। इससे मदुरै-मनमदुरै और मदुरै-विरुद्धनगर मौजूदा लाइनों पर दबाव कम हो जायेगा। तृतोय योजना के रेलवे कार्यक्रम में इस नई लाइन को सम्मिलित किया गया है। चालू वर्ष में ही इसके सर्वेक्षण और निर्माण की व्यवस्था की गई है। अन्तिम स्थिति सर्वेक्षण के तुरन्त बाद ही इसका निर्माण आरम्भ किया जा सकता है। इसलिये कि उसकी लम्बाई थोडो ही है। इसमें विलम्ब को गुंजाइश नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुब्रह्मण्यम, श्री तंगामणि और श्री विट्ठलराव ने मंगलौर-हसन लाइन के सम्बन्ध में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। उसका सर्वेक्षण परिवहन और संचार मंत्रालय की ओर से मंगलौर पत्तन के विकास की प्रगति की सूचना मिलने के बाद ही आरम्भ हो सकेगा। योजना आयोग ने उसके लिये यही शर्त रखी है। उस सूचना के परिवहन और संचार मंत्रालय के सचिव को लिखा जा चुका है। शीघ्र ही उत्तर आने की संभावना है। फिर भी, मैं माननीय सदस्यों को आशवस्त करता हूं कि हमने इसी बीच में उस लाइन की स्थिति का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है। हम उस लाइन का निर्माण यथाशीघ्र पूरा करना चाहते हैं। कठिनाई केवल इतनी है कि मंगलौर पत्तन के विकास के बिना उस लाइन से हमें पर्याप्त आय नहीं हो पायेगी। हम पत्तन के विकास के साथ-साथ आगे बढ़ते रहेंगे।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मंगलौर-हसन लाइन के लिये कोई भी सांकेतिक मांग नहीं की गई है। क्यों ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं। यह राशियां केवल कुछ महीनों के लिये हैं, केवल अगले आय-व्ययक के पेश होने तक के लिये। कुछ महीनों बाद ही निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय हो सकेगा। इसलिये इसे अगले आय-व्ययक में सम्मिलित किया जायेगा।

श्री अरविन्द घोषाल ने हल्दिया पत्तन-खड़गपुर लाइन का उल्लेख किया था। स्थिति यह है कि तृतीय योजना के रेलवे कार्यक्रम में यह नई लाइन भी सम्मिलित है। कलकत्ते के जरिये उड़ीसा के खनन क्षेत्रों से लौह अयस्क के निर्यात के लिये इस लाइन की बड़ी आवश्यकता है। हल्दिया के प्रस्तावित पत्तन और परादीप पत्तन के लिये ऐसा एक सर्वेक्षण आवश्यक है। इसलिये हम जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू करना चाहते हैं। अनुपूरक मांगों में इसके सर्वेक्षण की व्यवस्था की गई है।

श्री मुरारका ने खेतड़ी-चिरवा लाइन के बारे में पूछा था। योजना आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह लाइन तृतीय योजना में सम्मिलित 'सिंचाई और विद्युत् तथा खनिजीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्थित रेलवे सुविधाओं' की मद में रखी जायेगी। हम उसका महत्व समझते हैं और उसे शुरू करने जा रहे हैं।

†**श्री मुरारका** : काम कब शुरू होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मांग स्वीकृत होते ही।

†**श्री नाथ पाई** : कोंकण लाइन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया।

†**श्रीमती कृष्णा मेहता** : मैं यह जवाब चाहती हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जम्मू और काश्मीर तक रेल ले जायेगी या नहीं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : लाइन के निर्माण में जो विलम्ब हो रहा है उसका पूरा दोष रेलवे पर नहीं है। हम अभी राज्य सरकार के इस निर्णय की राह देख रहे हैं कि सहायक लाइन पूर्व की ओर हो, या पश्चिमी भाग में। इसके बारे में लिखा-पढ़ी चल रही है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : लेकिन मुख्य लाइन के निर्माण पर तो उसका प्रभाव नहीं पडता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज खां : आपटा के निकट कुछ रासायनिक संयंत्र की शुरूआत करने के कारण पनवेल और आपटा के बीच बड़ी लाइन तुरन्त बनाना आवश्यक है । चूंकि यह उद्योग राष्ट्रीय महत्व का है और ऐसी आशा है कि यह १९६२ से काम करना भी शुरू कर देगा ।

सिंगरौला-ओब्रा लाइन का प्रति मील निर्माण व्यय अधिक है, क्योंकि यह पूरी लाइन अत्यन्त ऊबड़ खाबड़ प्रदेश में बनाई जा रही है । इस रास्ते में बहुत से नदी एंव नाले हैं जिन पर पुल भी बनाये जायेंगे । इसके अलावा अन्तिम सर्वेक्षण करना भी अभी शेष है । फिर भी यह प्रयत्न किया जायेगा कि इस लाइन के निर्माण में कम से कम व्यय किया जाये ।

जहां तक ढिल्लन डिपो में आग लगने का प्रश्न है । यह डिपो पिछले ५० या ६० साल से इसी स्थिति में काम कर रहा है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि यह आग जान बूझकर लगाई गई थी क्योंकि वहां स्लीपर आदि की बहुत कमी थी अतः इस बात को छिपाने के लिये ऐसा किया गया । लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अभी एक महीना हुआ तब इस डिपो की जांच की गई थी और वहां स्लीपर आदि अतिरिक्त मात्रा में ही पाये गये थे ।

उद्योग मेले में रेलवे का भवन स्थायी होगा ताकि उसमें रेलवे द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा सके । ऐसी स्थिति में अधिक खर्च होना स्वाभाविक ही है । जहां तक उस व्यय के ब्यौरे की बात है । मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे साइडिंग पर ५०,००० और भूमि के किराये पर ही ३ लाख रुपये व्यय होंगे ।

जहां तक रेलवे शताब्दी समारोह के बिल का सम्बन्ध है । उसका भुगतान अभी हुआ है यह तो ठीक है लेकिन उसका कारण यही था कि दो विभागों में बराबर बातचीत चल रही थी । हम यह सोचे हुए थे कि शायद यह किराया देना ही न पड़े ।

डिजल इंजन का कारखाना सरकारी क्षेत्र में वाराणसी में स्थापित किया जाने वाला है । इस कारखाने की इमारत तैयार है और वहां मशीनें आदि भी हैं । इस कार्य में सहयोग देने वालों के साथ वार्ता पूरी होते ही हम कारखाने की स्थापना के लिये कदम उठायेंगे । जहा तक इस कारखाने के स्थान की बात है इस सम्बन्ध में कोई क्षेत्रीय भावना अथवा इस प्रकार की कोई दूसरी भावना नहीं है ।

जहां तक विभागीय भोजन व्यवस्था का सम्बन्ध है । हम पैकिटों में भोजन देने की पद्धति को प्रोत्साहन दे रहे हैं । कुछ नये प्रयोग भी किये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में सरकार ने विभिन्न रेलवे में भोजन व्यवस्था सम्बन्धी समितियां बना दी हैं । राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता परामर्श दात्री समिति और रेलवे की क्षेत्रीय उपभोक्ता समिति के सदस्यों को भोजन-व्यवस्था प्रतिष्ठानों की जांच करने और अपने सुझाव देने का अधिकार दिया गया है । हम यह चाहते हैं कि विभागीय भोजन व्यवस्था अच्छी हो । हमने कुछ महिलाओं को भी यह प्राधिकार दिया है कि वे इस विभागीय भोजन व्यवस्था की जांच करें और हमें सुझाव दें । जहां तक खाने की मात्रा में कमी करने का सवाल है म उसकी जांच करूंगा ।

रेलों में कोयले की खपत बढ़ रही है । उसका कारण यही है कि रेलों को जो पहले अच्छी किस्म का कोयला मिला करता था अब वह कहीं दूसरी जगह भेजा जा रहा है और आजकल हमें घटिया क़िस्म का कोयला मिल रहा है । जिसमें धूल और रेता मिला होता है । घटिया किस्म का कोयला

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रयोग में लाने के कारण ही लोकोमोटिव भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इस का एक मात्र कारण यह है कि कोयला धोने के कारखानों की स्थापना की जाये। कुछ कारखानों की स्थापना की भी जा रही है। सरकार एक जांच संगठन गठित कर रही है जो विभिन्न रेलों को दिये जाने वाले कोयले की जांच करेगा। यह काम विभिन्न कोयला खानों के सहयोग से किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि कोयले की चोरी होती है। हम उसे रोकने के लिये प्रयत्न भी कर रहे हैं।

चोला बिजलीघर में बिजली के उत्पादन पर अधिक व्यय पानशेत बांध के बाढ़ से टूट जाने के लिये किसी हद तक उत्तरदायी है। टाटा को जितनी बिजली रेलों ने दी है उस का भुगतान रेलों को पूरा पूरा मिलेगा।

जहां तक भूमि के अर्जन, अथवा दुर्घटना अथवा किसी अन्य प्रयोजनार्थ क्षतिपूर्ति तुरन्त करने का सवाल है मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अर्जित भूमि के लिये मुआवजा देने में रेलवे ने कोई देर नहीं की है। किन्तु उसे मुआवजे का भुगतान राज्य सरकारों के माध्यम से करना होता है। हम यह भरसक प्रयत्न करते हैं कि क्षतिपूर्ति के भुगतान में कम से कम समय लिया जाये।

रेलों में मालिक मजदूर सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण है। जिन लोगों ने हड़ताल में भाग लिया था उन के विरुद्ध बदला लेने की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में केवल सरकार की नीति का निष्ठापूर्ण पालन किया गया है। दिल्ली को उच्च श्रेणी का शहर बनाने का निर्णय अभी हाल में ही किया गया है। यह निर्णय अकेले रेलवे मंत्रालय का ही नहीं है वरन् केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिये किया गया है। इस निर्णय को १ जुलाई, १९५९ से लागू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जहां तक मद्रास को उच्च श्रेणी बनाने का सवाल है। उस सम्बन्ध में तो यही कहना है कि मद्रास की जनसंख्या अभी इतनी नहीं है कि उसे 'ए' श्रेणी का नगर बनाया जाये।

मदुरै नगरपालिका को चालू वर्ष में तो हम भुगतान कर रहे हैं। कुछ बकाया राशि का ही झगड़ा है। डा० मेनन ने रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों के वेतन में हुई वृद्धि के बारे में शिकायत की है। लेकिन मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि हम ने इस सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की थी।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : श्रीमन्, मैं जानना चाहती हूं कि जो कुछ मैं ने कहा था, उस के बारे में जो फैसला किया गया है, उस को बताते हुए झिझक वह क्यों अनुभव करते हैं। मैं चाहती हूं कि उसको वह साफ इस सदन में बता दें क्योंकि यह बहुत जरूरी चीज है। मेरी उस बात का कुछ भी उत्तर नहीं मिला है।

श्री शाहनवाज खां : पहले तो आप फरमाया करती थीं कि काश्मीर में रेलवे लाइन है ही नहीं और जो उन का मुतालिबा था वह पूरा हो गया। काश्मीर में रेलवे लाइन बन रही है कटुआ तक और एक बड़ा शानदार पुल रावी पर एक करोड़ से ज्यादा की लागत पर बन रहा है। आगे जैसे जैसे वहां पर ट्रैफिक नजर आयेगा और जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट मुतालिबा करेगी, उस पर भी गौर किया जायेगा। सुना है वहां बहुत सी मिनरल्ज पाई गई हैं। अगर यह सही है और प्लानिंग कमिशन ने हमें इजाजत दी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।

श्रीमती कृष्णा मेहता : यह छः मील का फासला है और तीन साल से मैं इसकी मांग कर रही हूं। काश्मीर तो बहुत दूर है। जम्मू तक ही मैं मांग रही हूं।

श्री शाहनवाज खां : मैं ने जम्मू के लिए कहा है कि जब प्लानिंग कमिशन इजाजत देगा तब करेंगे।

श्रीमती कृष्णा मेहता : तीसरे प्लान में वह कम्पलीट होगी या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप जरूर 'न' में ही जवाब लेना चाहती हैं ? अगर तसल्लीबख्श जवाब होता तो वह जरूर दे देते । शायद वह तसल्लीबख्श नहीं है, इस वास्ते आप इसको रहने दीजिये यहीं पर ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं कटौती प्रस्ताव अलग अलग से मतदान के लिये रखूं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १५ अलग से मतदान के लिये रखा जाये ।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक अन्य मत दान के लिये रखूंगा ।**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मत दान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	रेलवे बोर्ड	३,०५,०००
२	विविध व्यय	२८,६१,०००
७	कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन)	४,९१,३२,०००
९	कार्यवहन व्यय—विविध व्यय	३,०२,२५,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण	३,००,०००
१६	खुली लाइन के कार्य—परिवर्धन	१,००,०००

बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा हाल में हुई बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेलवे मंत्री द्वारा २० नवम्बर, १९६१ को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

रेलवे मंत्री ने तीन बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य दिया था । रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में आज की स्थिति वही है जो इस से पहले के रेलवे मंत्री द्वारा त्याग पत्र देने के समय थी । सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है । एक वर्ष की अवधि में सभी प्रकार की कुल मिला कर आठ हजार दुर्घटनायें हुई हैं । इन में से अधिकांश दुर्घटनायें प्रशासन की लापरवाही के फलस्वरूप हुई हैं । यह स्थिति बहुत ही शोचनीय है और असाधारण है । सरकार ने आश्वासन दिया था कि सभी प्रकार के उपकरणों में सुधार करने के लिये कदम उठाये जायेंगे किन्तु जहां तक परिणामों का सम्बन्ध है हमारा ख्याल है कि अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है ।

†मूल अंग्रेजी में

निरीक्षक की जांच में एक बुनियादी त्रुटि है। उसे गवाहों को बुलाने और उन से जिरह करने की कोई शक्तियां नहीं हैं उस के द्वारा दिये जाने वाले प्रतिवेदनों में स्थिति की वास्तविक जानकारी नहीं होती। इस तर्क के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है कि दुर्घटनायें तोड़ फोड़ के कारण हुई हैं। इन में से अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण लापरवाही है। प्रत्येक दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिये। प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड को नहीं वरन् संसद् को प्रस्तुत किया जाये। लापरवाही के लिये जो व्यक्ति दोषी पाये जायें उन्हें भयोत्पादक दंड दिया जाये और उन्हें दंड देते समय रेलवे प्रशासन में पद क्या है इस बात की ओर ध्यान न दिया जाये।

यदि रेलवे मंत्री के डिब्बे के साथ, जिस को चलने के पूर्व कड़ी जांच की जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो इस से यह स्पष्ट है कि किसी न किसी रेलवे कर्मचारी की सरासर असावधानी है।

कई रेलवे कर्मचारियों ने मुझे यह भी बताया है कि गाड़ी परीक्षकों के पास इतना समय नहीं होता है कि वे गाड़ी के पहियों, ऐक्सेल इत्यादि को भली भांति जांच कर सकें। मेरे विचार से रेलवे के लिये यह उचित नहीं है कि ऐसे उत्तरदायी कार्य को इस प्रकार असावधानी से करें। इस प्रकार की सरासर उपेक्षा कभी क्षमा नहीं की जा सकती है।

प्रत्येक दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिये। उसका प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड को नहीं संसद् को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

लापरवाही के लिये जो भी व्यक्ति दोषी सिद्ध हो, चाहे वह कोई भी क्यों न हो उसे कड़ा दंड दिया जाना चाहिये। इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये कि उस व्यक्ति का पद क्या है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है :

"मूल प्रस्ताव में यह जोड़ दिया जाय :

यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि वह इन दुर्घटनाओं की अदालती जांच कराने की वांछनीयता के सम्बन्ध में विचार करे।"

रेलवे मंत्री जी के वक्तव्य में तीन बड़ी दुर्घटनाओं का उल्लेख किया गया है। यह तीनों दुर्घटनायें २० दिन के भीतर हुई हैं, जिन में ७५ व्यक्ति मरे हैं और २४० बुरी तरह घायल हुए हैं। इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेल यात्रियों का इस बात में विश्वास हिल गया है कि रेलवे उन्हें गन्तव्य स्थान तक सुरक्षा के साथ पहुंचा सकती है। रेलवे प्रशासन यात्रियों को बैठने की जगह नहीं दे सका है, जो माल ढोया जाता है उसे भी ठीक तरह से पहुंचाने में रेलवे विफल रही है, रेल कर्मचारी भी पर्याप्त सुविधायें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किन्तु कम से कम यह आशा तो की जाती है कि जो यात्री रेलगाड़ी में बैठ कर यात्रा करते हैं उन्हें वह अपनी जगह पर पहुंचा देगी। यह प्रमुख कार्य है जिसे रेलवे अभी तक नहीं कर पा रही है।

मुझे रेलवे मंत्री जी के वक्तव्य में रांची एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं उन्हें पढ़ कर बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरा निवेदन है कि इस वक्तव्य में जो आंकड़े दिये गये हैं उन का जोड़ ठीक नहीं बैठता। वक्तव्य में कहा गया है कि ४५ लोग मर गये और ६ बाद में मर गये। इस के अलावा ११ लोगों को बुरी चोटें लगीं। १८४ व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें हलकी चोटें लगीं। जिन में से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपयी]

७१ व्यक्ति फर्स्ट एड के बाद छोड़ दिये गये, ९२ व्यक्तियों को अस्पताल में चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया, और ३२ व्यक्ति ऐसे हैं जोकि जिस दिन उन्हों ने वक्तव्य दिया था उस दिन भी अस्पताल में थे। अब अगर यह ३२ व्यक्ति, ७१ व्यक्ति और ९२ व्यक्ति को हम जोड़ दें तो उन का जोड़ १९५ होता है, १८४ नहीं। जो लोग अस्पताल में हैं उन्हें भी अगर शामिल कर लिया जाय, तो भी जोड़ १९५ होता है और रेलवे मंत्री जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को चोटें लगीं उन की संख्या १८४ थी, और इस में हलकी चोटों वाले भी शामिल हैं। मैं जानना चाहूंगा कि किस आधार पर यह आंकड़े दिये गये हैं जोकि रेलवे मंत्री के वक्तव्य में दिये गये आंकड़ों पर ठीक नहीं बैठते, और इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन की ओर से जो बातें कही जाती हैं उन्हें किस तरह से ठीक माना जा सकता है ?

रांची एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में कहा जाता है कि वह तोड़ फोड़ का परिणाम है और इसके लिये गवाही दी जाती है रेलवे इन्स्पेक्टर की। कहा जाता है कि रेलवे इन्स्पेक्टर रेलवे से सम्बन्धित नहीं है, वह ट्रांस्पोर्ट और कम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री के हैं। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि रेलवे इन्स्पेक्टर दूसरे मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, केवल इसी आधार पर उन की रिपोर्ट को ठीक नहीं कहा जा सकता। अभी तक रेलवे मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया है कि आखिर तोड़ फोड़ करने का मन्तव्य क्या था। उस क्षेत्र में इस से पहले तोड़ फोड़ की कोई घटनायें नहीं हुईं। हां, जम्मू तथा काश्मीर की सीमा के निकट पंजाब के क्षेत्र में तोड़ फोड़ की कार्रवाइयां हुई हैं जिन में कुछ लोगों पर सन्देह करने का कारण हो सकता है। लेकिन उस क्षेत्र में जहां पर कि रांची एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा, इस प्रकार का सन्देह करने के कोई कारण नहीं हैं, और अगर हों तो मैं रेलवे मंत्री जी से कहूंगा कि वे रेलवे इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट दिखला कर जनता के मन में जो सन्देह पैदा हो गये हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। उन को दूर करने का एक ही तरीका है कि इस दुर्घटना की जांच किसी हाई कोर्ट के द्वारा कराई जाय। समाचार पत्रों में इस प्रकार की बातें छपी हैं कि दुर्घटना की बात को मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में अपनी कुछ राय देना नहीं चाहता, लेकिन मेरा निवेदन है कि दुर्घटना की बात कह कर आप लोगों का समाधान नहीं कर सकते। अगर तोड़ फोड़ हुई है तो किस ने की ? उस का उद्देश्य क्या था ? किसी भी सन्देह से परे यह बात साबित होनी चाहिये कि यह दुर्घटना तोड़ फोड़ का परिणाम है, अन्यथा इस पर विश्वास करना सम्भव नहीं होगा।

मैं मुख्य रूप से मैनपुरी के निकट जो दुर्घटना हुई है उस के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं ने घटनास्थल पर जा कर के भी कुछ जानकारी प्राप्त की है, मैं ने रेलवे कर्मचारियों से भी कुछ बात की है। यह जो दुर्घटना हुई है इसका कारण दिया गया है कि रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और रेल मंत्री जी कहते हैं कि नियमानुसार ३० मील की रफ्तार से इस इंजिन को नहीं चलना चाहिये था। उन का कहना है कि तेज रफ्तार से चल रही थी। लेकिन उन के वक्तव्य से यह प्रकट नहीं होता कि कितनी तेज रफ्तार से चल रही थी। जहां तक मेरी जानकारी है, और मैं ने रेलवे कर्मचारियों से बातचीत कर के पता लगाया, है जहां तक मेरा अनुमान है, रेल गाड़ी १२ घंटे प्रति मील की रफ्तार से चल रही थी। जिस स्टेशन से रेलगाड़ी चली, अगर आप उस का हिसाब लगायें कि कितने घंटे पर रेलगाड़ी वहां पहुंची, कितने बजे वहां पहुंची और कितने बजे वहां से छूटी तो आप को सारी बातें मालूम हो जायेंगी। यह दुर्घटना किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं हुई थी, बीच में हुई थी। बहरहाल सवाल यह उठता है कि यह रेलगाड़ी अगर तेज रफ्तार से चल रही थी तो क्यों चल रही थी। अगर यह मान लिया जाय कि रेलगाड़ी तीस मील की रफ्तार से चल रही

थी तो क्यों चल रही थी ? क्या रेलगाड़ी लेट थी ? कितनी लेट थी ? क्या ड्राइवर को आदेश दिया गया था कि रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चलाई जाय ?

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

रेलगाड़ी में जो मुसाफिर थे, मैं ने उन से भी बात की थी और उन्हों ने कहा कि रेलगाड़ी तेज रफ्तार से नहीं चल रही थी। जिस वक्त दुर्घटना हुई है वहां आस पास खेतों में काम करने वाले लोग भी कहते हैं कि रेलगाड़ी बहुत तेज रफ्तार से नहीं चल रही थी। जहां तक मुसाफिरों का सम्बन्ध है, अगर मुसाफिर किसी गाड़ी में बैठते हैं और वह गाड़ी तीस मील प्रति घंटे के हिसाब से ज्यादा तेज चलती है तो पैसेंजरों के लिये यह पहचानना कठिन नहीं है कि रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है। अगर उस रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री कहते हैं कि रेलगाड़ी तेज़ रफ्तार से नहीं चल रही थी। अगर यह मान भी लिया जाय कि तेज चल रही थी तो क्यों चल रही थी ? फिर रेल मंत्री जी कहते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। मैं पूछना चाहता हूं कि ब्रेक क्यों लगाया गया ? क्या रेल मार्ग पर कोई बाधा पैदा हो गई ? बीच में कोई आदमी आ गया, कोई बैलगाड़ी आ गई, कोई और संकट आ गया मार्ग में ? आखिर ड्राइवर को ब्रेक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी ?

यहां पर ए० ब्ल्यू० डी० एंजिनों की चर्चा की गई। क्या यह बात सच नहीं है कि अगर इस एंजिन पर एक दम से ब्रेक लगा दिया जाय तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती ? जो ड्राइवर इन एंजिनों को ले जाते हैं, मैं ने उन से बातचीत की, और उन्हों ने कहा कि अगर एक दम से ब्रेक लगा भी दिया जाय, यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि एक दम से ब्रेक क्यों लगाया गया, लेकिन अगर यह मान भी लिया जाय कि एक दम से ब्रेक लगा दिया गया, तब भी इतनी बड़ी दुर्घटना होने का कोई कारण नहीं ह।

मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री जी इन बातों पर प्रकाश डालें। केवल इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और गाड़ी पटरी पर से उतर कर चली गई। इस सम्बन्ध में रेल मंत्री जी का वक्तव्य तथ्यों पर प्रकाश नहीं डालता। रेलवे इंस्पेक्टर की जांच पर विश्वास कर के हम नहीं बैठ सकते।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि रेलवे ड्राइवरों को गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ? रेलवे गजट देखने से पता चलता है कि ड्राइवरों को इस बात के लिये इनाम दिये जाते हैं कि वे गाड़ी को तेज रफ्तार से ले गये और मैं एक ऐसा मामला भी जानता हूं कि जिस में एक ड्राइवर के खिलाफ इसलिये कार्रवाई की गई कि वह गाड़ी लेट हो गई थी। यह कहा गया कि तेज रफ्तार से चलाओ तो उस ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तेज रफ्तार से नहीं ले जा सकता यह मेरी शक्ति में नहीं है तो उस रेलवे ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गयी। अगर आप रेलवे ड्राइवरों को इसलिये प्रोत्साहन देंगे कि वे गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलायें तो फिर दुर्घटनाओं से नहीं बचा जा सकता।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि यह इंजिन जिस ट्रैक पर चल रहा था वह ट्रैक इतने भारी इंजिन का बोझा नहीं सह सकती थी। यह ट्रैक ९० पाउंड की थी जबकि इस प्रकार के इंजिन के लिये १२६ पाऊंड की ट्रैक होनी चाहिये। क्या इस बात का पता लगाया गया है कि इस ट्रैक की ठीक से जांच नहीं की गई थी। मुझे पता चला है कि पिछले तीन साल से इस लाइन पर ट्रैक रिकार्डिंग नहीं किया गया है। इस ट्रैक रिकार्डिंग मैशीन के द्वारा ट्रैक की छान बीन की जाती है, पर यह पिछले तीन साल से नहीं की गई थी। डी० एस० की स्पेशल भी इस लाइन पर कई महीने

[श्री वाजपेयी]

से नहीं पहुंची । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तथ्य क्या हैं ? और यदि ट्रैक खराब थी तो रेलवे का जो ड्राइवर मारा गया उस के माथे पर सारा दोष थोप कर रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते ।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और ड्राइवर को ब्रेक लगाना था तो हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वह एक अनुभवी व्यक्ति था और अगर इंजिन को ब्रेक लगाने से गाड़ी के लौट जाने और मुसाफिरों और ड्राइवर के मारे जाने की आशंका होती तो वह ऐसा कभी न करता क्योंकि कोई भी ड्राइवर अपनी जान की और यात्रियों की जान की चिन्ता किये बगैर नहीं रह सकता और अगर एक दम से ब्रैक लगाने से गाड़ी के उलट जाने की सम्भावना हो तो ड्राइवर इस को जान सकता है ।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस ट्रैक पर गाड़ी ले जाने से पहले ड्राइवर ने शिकायत नहीं की थी कि यह ट्रैक ठीक नहीं है, इस में मुझे कठिनाई का अनुभव होता है आप का आज तो ऐसा कहना सरल है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई । मगर मुझे छान बीन से पता लगा है कि इस तरह की शिकायतें पहले ड्राइवरों ने की थीं मगर कोई कार्रवाई नहीं की गयी, ट्रैक की जांच पड़ताल नहीं की गई और इस का परिणाम यह है कि यह दुर्घटना हमारे सामने आ गई ।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि इंजिनों के फेल होने की ठीक रिपोर्ट नहीं की जाती । क्या यह सच नहीं है कि शैड से डिफेक्टिव इंजिन दिये जाते हैं और क्या यह सच नहीं है कि अगर कोई ड्राइवर शिकायत करता है कि यह इंजिन खराब है मैं इस को नहीं ले जाऊंगा तो उस के खिलाफ कार्रवाई की जाती है । मुझे मालूम है कि एक ड्राइवर को ऐसे डिफेक्टिव इंजिन की शिकायत करने के लिये और उसे न ले जाने के लिये चार्जशीट दिया गया ।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं इस केस को जानना चाहूंगा ।

श्री वाजपेयी : मैं इस मामले को आप के सामने रखूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ऐसी शिकायतें बहुत हैं ।

श्री वाजपेयी : मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए अन्त में यही मांग करूंगा कि इन रेल दुर्घटनाओं की अदालती जांच की जाय । रेलवे की विभागीय जांच या सरकार के दूसरे मंत्रालय से सम्बन्धित अधिकारी की जांच जनता में पैदा हुए सन्देहों को दूर नहीं कर सकती ।

मैं ने रांची एक्सप्रेस के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है यद्यपि उस के बारे में भी कहने की बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैनपुरी दुर्घटना के सम्बन्ध में जो तथ्य सामने आये हैं उन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि रेलवे प्रशासन तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहा है । सही बात किसी के सामने नहीं आने देना चाहता और इस प्रकार अपने पापों पर परदा डालना चाहता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक इस मामले की अदालती जांच नहीं होगी रेलवे प्रशासन जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के अपने दोष से नहीं बच सकता ।

अभी मेरे मित्र श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिये गये त्यागपत्र के उदाहरण का अनुकरण करते हुए हमारे वर्तमान रेल मंत्री जी त्यागपत्र दें । लेकिन उन से ऐसी आशा नहीं है यद्यपि यह त्याग पत्र देने का समय है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं । जिस समय श्री शास्त्री

ने त्यागपत्र दिया था उस समय कहा गया था कि हम स्वस्थ लोक तंत्री परम्परायें कायम कर रहे हैं और उसका ढिंढोरा पीटा गया था। उस समय प्रधान मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा था :

"मैं समझता हूं कि इस मामले में हमें एक उदाहरण रखना चाहिये।"

शास्त्री जी ने त्यागपत्र दिया तो कहा गया कि हम उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं, यद्यपि प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि शास्त्री जी किसी पुल के टूट जाने के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अब वे लोकतंत्री परम्पराएं कहां गईं, रेलवे मंत्री उस उदाहरण का अनुगमन क्यों नहीं करते अपने प्रशासन और रेलवे कर्मचारियों को कमजोरियों के लिये और यात्रियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने के लिये। रेलवे मंत्री जी के लिये सम्मानजनक रास्ता यही है कि वे इस समय अपने पद से त्याग पत्र दे दें और उस से पहले इन दुर्घटनाओं की अदालती जांच का आदेश दें।

सरदार अ० सिंह सहगल (जंजगीर) : सभापति महोदय, माननीय रेलवे मंत्री महोदय ने रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में अपना वक्तव्य दिया है। मैं बड़े अदब से उनका ध्यान उस रेलवे डीरेलमेंट की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि १५ अक्तूबर सन् १९६१ को भवनाटंक और खुनसरा के साउथ ईस्टर्न रेलवे में हुआ। इसके मुताल्लिक मैंने एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा, एक पत्र चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लिखा और एक पत्र जनरल मैनेजर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, को लिखा। मैं ने उस में यह दर्शाया था कि एक्सीडेंट होने के बाद ४० घंटे तक मुसाफिरों को वहां पड़ा रहना पड़ा। वहां पर मुसाफिरों को शान्त रखने के लिये जिस प्रकार कार्य किया गया था उसके लिये वहां के स्टेशन मास्टर आदि गवाह हैं। यही नहीं आप के अफसर दलाल साहब भी बतला सकते हैं कि मुसाफिर किस कदर एजीटेटेड थे और उनको संभालना और काबू में रखना एक कांग्रेसी होने के नाते और इस मुल्क की जनता का एक व्यक्ति होने के नाते और जो डिमाक्रेसी आज चल रही है उसके नाते मेरा कर्त्तव्य हो गया था। मुसाफिर लोग गाड़ियों को जला देना चाहते थे वे एजीटेटेड हो गये थे। मैं ने और मेरे कुछ अन्य मित्रों ने उन को समझाया कि आखिर एक्सीडेंट हुआ करते हैं और गलती हो जाया करती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १५ अक्तूबर को एक्सीडेंट हुआ और १७ तारीख को १० बजे खोड्री से गाड़ी वहां से जाती है बिलासपुर के लिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस की तहक़ीक़ात करें और देखें कि इतनी देर क्यों लगाई गई। जो इंजीनियर वहां पर मौजूद थे उन्होंने मौके पर बताया कि गाड़ी १६ को ही ६ बजे, फिर उस के बाद ९ बजे रात को जायेगी फिर उसके बाद ३ बजे रात को रीजनल सुपरिंटेंडेंट साहब से टेलीफोन पर बात करनी चाही क्योंकि हम उनको स्थिति बताना चाहते थे। लेकिन उन से बात करने का अवसर टेलीफोन आपरेटर को नहीं मिला। आप तहक़ीक़ात करेंगे तो आपको मेरी बात की सचाई का पता लगेगा मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे समय में हर एक का कर्तव्य हो जाता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को सहायता पहुंचाई जाय। ऐसे समय बहुत समझदारी से काम लेना चाहिये और अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन करना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाय कि लोग और भड़क उठें। मैं समझता हूं कि ऐसे मौकों पर बिना किसी देर के मंत्रालय को इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सामने आना चाहिये और स्थिति को समझ कर कदम उठाना चाहिये। और मंत्रालय जब आगे आता है तो हमें देखना चाहिये कि कहां तक यह चीज़ ठीक है। प्रेस में दौड़ जाना और वहां पर अपनी ही बात को रखना मैं समझता हूं आजकल के जमाने में अच्छी चीज़ नहीं है। हम प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों पर चल रहे हैं और इन सिद्धान्तों को देखते हुए कोई ऐसी चीज़ की जाय तो वह अच्छी नहीं होगी।

[सरदार अ० सिंह सहगल]

इन सब बातों को देखते हुए हमारा यह पहला फ़र्ज होना चाहिये कि हम देखें कि दरअसल वे क्या कारण थे कि जिन की वजह से ये डिरेलमेंट्स हुए, क्या कहीं पर कोई फिशप्लेट्स तो नहीं निकाली गई हैं या जो हमारे प्वाइंट्समैन हैं, उनकी गलतियों की वजह से तो ये नहीं हुए हैं ? ये सब चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। हमारे यहां के जो पदाधिकारी हैं, वे पहले इन बातों की तहकीकात करते हैं और उनको करना चाहिये।

यहां पर यह मांग की गई है कि ज्युडिशल इनक्वायरी होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर ज्युडिशल इन्क्वायरी की जरूरत होगी तो हमारे माननीय मंत्री जी उसको करवाने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और खुद ही आगे आकर कहेंगे कि ज्युडिशल इन्क्वायरी हो। लेकिन होता यह है कि जब थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ा देते हैं तो बहुत झंझट में पड़ जाते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिये मैं समझता हूं कि हम ठंडे दिमाग से काम लें और देखें कि जो कुछ भी हुआ है उस में दरअसल मंत्रालय की कितनी गलती है।

मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था जब कोई एक्सीडेंट हुआ था। मैं समझता हूं कि अपने-अपने काम करने के तरीके होते हैं। उन्हों ने देखा होगा कि वे इस चीज को बरदाश्त नहीं कर सकते हैं, इस वास्ते उन्हों ने इस्तीफा दे दिया। इसी आधार पर जितने भी मंत्रालयों के लोग हैं उन सभी को अगर आदि कहेंगे कि वे इस्तीफा दे दें तो मैं समझता हूं कि एक गलत चीज होगी। इस तरह से कोई भी सरकार नहीं चल सकती है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों पर आप गौर करें और जो बातें मैं ने रखी हैं, उनकी तहकीकात करने की कृपा करें।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : २० नवम्बर को रेलवे की दुर्घटनाओं के संबंध में एक विवरण मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखा था। हमें यह विश्वास था कि इस बात पर चर्चा स्वयं मंत्री महोदय के द्वारा आरम्भ की जायेगी। दुख का विषय है कि यह चर्चा एक अन्य सदस्य ने आरम्भ की।

२० अक्टूबर के पश्चात् से ही, जबकि पहिली दुर्घटना हुई थी देश के समाचार पत्रों में बड़ी आलोचनायें प्रत्यालोचनायें हो रही हैं। मद्रास के "हिन्दू" ने यह मांग की है कि इस मामले में न केवल न्यायिक जांच होनी चाहिये अपितु उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच होनी चाहिये।

वक्तव्य में जिन तीन बड़ी दुर्घटनाओं का उल्लेख किया गया है उनकी जांच के लिये तत्काल एक न्यायिक समिति नियुक्त की जाये।

यह खेद की बात है कि अरियालूर दुर्घटना की जांच के दौरान न्यायाधीश तथा शाहनवाज़ समिति द्वारा दिये गये प्रशासनों का रेलवे प्रशासन द्वारा अनुसरण नहीं किया गया है।

इंजिनों तथा रेल पटरी को अच्छी प्रकार से कायम नहीं रखा जाता है। मिश्रित डिब्बों के 'इन्टेग्रिल' न होने के कारण टक्कर होने की अवस्था में जाने काफी संख्या में जाती हैं। हमें उन पुराने डिब्बों को बदल देना चाहिये।

मंत्री महोदय यह बताये कि २० नवम्बर को सभा में वर्णित उपायों के अतिरिक्त वह और किन-किन कार्यवाहियों को करने का विचार कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० मो० बनर्जी : रेलवे में जितनी दुर्घटनायें हुई हैं उन में से अधिकांश रेलवे कर्मचारियों की असावधानी, या रेलवे उपकरणों के खराब होने के कारण हुई हैं ।

जहां तक यह आरोप है कि ये दुर्घटनायें ध्वंसात्मक कार्यवाहियों के कारण हुई हैं या यह बिल्कुल गलत हैं और वह प्रमाणित भी नहीं हो सका है ।

एक के बाद एक कई दुर्घटनायें हो गई हैं। मेरे विचार से हमें चाहिये कि हम रेलवे मंत्री से पदत्याग की मांग करें। तथापि इस से भी कोई लाभ नहीं होगा। इस से तो यह अच्छा है कि आने वाले चुनावों में हम उन्हें पराजित करें ।

अब यह समय आ चुका है कि हम प्रशासन को सक्षम बनायें। वस्तुतः रेलवे प्रशासन के जो सदस्य प्रत्यक्षतः उत्तरदायी हैं उन्हें पद त्याग के लिये कहना चाहिये ।

नई रेलवे लाइनों को बनाते समय यह देखना चाहिये कि उन पर बड़े इंजिन तथा "बौक्स" माल डिब्बों का भार डाला जा सकता है ।

दुर्घटनाओं की एक न्यायिक जांच की नितान्त आवश्यकता है। एक समिति भी नियुक्त की जाये जो रेलवे परिवहन में सुरक्षा तथा इंजिनादि और स्थायी मार्ग को वांछित स्तर पर बनाये रखने. के सम्बन्ध में नियमों और विनियमों को बनाने का कार्य करे ।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

नई धारा २३क का रखा जाना

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक को पुरःस्थापित किया जाय ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मैं विधेयक पुःरस्थापित करता हूं ।

चलचित्र उद्योग कर्मचारी (काम की दशा में सुधार) विधेयक

†**श्री गोरे** (पूना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र उद्योग के कर्मचारियों की मजूरी निर्धारित करने और उनके कार्य की दशा में सुधार करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र उद्योग कर्मचारियों की मजूरी निर्धारित करने और उन के कार्य की दशा में सुधार करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री गोरे** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक

धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने को अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक

†**श्री अ० त्रि० शर्मा** (छत्रपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में आयुर्वेद विज्ञान के अध्ययन और विकास को पुनर्जीवित करने और प्रोत्साहन देने के विचार से भारत सरकार के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में आयुर्वेद विज्ञान के अध्ययन और विकास को पुनर्जीवित करने और प्रोत्साहन देने के विचार से भारत सरकार के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अ० त्रि० शर्मा** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ उड़ानों का लाइसेंस देने और विमान निगम, अधिनियम १९५३ की सम्बन्धित धाराओं को रद्द करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ उड़ानों का लाइसेंस देने और विमान निगम अधिनियम, १९५३ की सम्बन्धित धाराओं को रद्द करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अमजद अली** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक—जारी

†**सभापति महोदय** : सभा अब श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा १ सितम्बर, १९६१ को प्रस्तावित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :—

"कि कुछ व्यक्तियों अथवा समुदायों द्वारा अधिकृत धार्मिक पूजा के स्थानों को उन के असली मूल स्वामियों को लौटाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**डा० क० ब० मेनन** (बड़ागरा) : मैं ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री के भाषण को पढ़ा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में पर्याप्त खोज की है तथापि मेरे विचार से ऐसे समय इस विधान का पारित करना समायोचित और देश और काल के अनुरूप नहीं होगा।

इस प्रकार के विधान से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पहुंचने की संभावना है।

स्वतंत्र भारत के नये ढांचे में मुस्लिम और ईसाई सम्प्रदायों की काफी बड़ी संख्या है। हमें इन अल्पसंख्यक जातियों की नई आकांक्षाओं और उत्तरदायिताओं को समझना चाहिये। हमें ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे कि राष्ट्र का समूचे रूप से अहित हो। विधेयक पारित न किया जाये।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब चेयरमैन साहिब, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है यह ज़ाहिर है कि मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता और हिमायत करना भी मैं अपने लिए एक तौहीन का बायस समझता हूं।

मैं इस बिल को नहीं समझ सका और यह नहीं समझ सका कि इसे कैसे और किस मकसद के लिए कबूल किया गया है बहस के लिए। मैं इस बिल को बुनियादी तौर पर हिन्दुस्तान के जम्हूरी आईन और हिन्दुस्तान के इस उसूल के कि यहां पर सैक्युलर गवर्नमेंट है और यहां के तमाम लोगों को बिला लिहाज़ मज़हब और मिल्लत के रहने का हक है, उनको अपने-अपने मज़हब की आजादी है, खिलाफ समझता हूं। अगर इस हाउस में कोई ऐसा बिल नहीं आ सकता है जिसका माना यह हो कि लोगों का उस बिल के ज़रिये, मजहब तबदील कराया जाये क्योंकि मज़हब की तबलीग और जबरन किसी शख्स का मजहब तबदील करना हमारे आईन के खिलाफ है, तो यह जो बिल लाया गया है यह भी नहीं आ सकता। मैं इस बिल में और उस किस्म के बिल में कोई फर्क नहीं समझता हूं।

अगर आज यह कहा जाता है कि आज से चन्द सौ साल पहले जो अबादतगाहें किसी न किसी वजह से किसी और मज़हब के रंग में तबदील की गई थीं, चाहे वे मस्जिदों की शकल अख्तियार कर गई हों, गिरजों की शकल अख्तियार कर गई हों, गुरुद्वारों की शकल अख्तियार कर गई हों, उन को दुबारा उन मज़हब वालों को लौटा दिया जाये तो यह वही बात होगी कि इस एवान के मैम्बर अली मुहम्मद तारिक जो आज मुसलमान हैं और जिसके आबाओ अजदाद ने जो कि किसी ज़माने में हिन्दू थे और डर की वजह से या किसी जब्र के तहत या किसी और वजह से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, लिहाज़ा अली मुहम्मद तारिक को हिन्दुस्तान के आज के जम्हूरी आईन में फिर से हिन्दू बना दिया जाये। मैं जो बिल लाया गया है, उस में और दूसरा जो हिन्दू बनाने के बारे में बिल नहीं लाया जा सकता है, उस में कोई फर्क महसूस नहीं करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे इस बात का इंतिहाई अफसोस है और यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि इस बिल को किन बुनियादों पर इस हाउस ने मंजूर किया है, बहस करने के लिए। मैं समझता हूं कि इस बिल का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हिन्दुस्तान में फिरखा परस्ती को, मजहबी झगड़ों को अज सिरे नौ जगाया जाये और ऐसी शकल दी जाये . . .

श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली) : आप फिरकापरस्त हैं ?

श्री अ० मु० तारिक : मैं फिरकापरस्त हूं या नहीं, इसको जानने के लिए वक्त चाहिये, तारीख चाहिये, लेकिन इस में बिल्कुल भी मुबालिगा नहीं है कि आनरेबल मैम्बर सौ फी सदी फिरकापरस्त हैं और फिरकापरस्त उनका मिशन है।

इन सब बातों के पेशेनजर और इसके पेशेनजर भी कि हम इस मुल्क को बिला लिहाज मजहब और मिल्लत के, आगे ले जाना चाहते हैं, इस मुल्क को तरक्की की मंजिल की तरफ ले जाना चाहते हैं और हाथ में हाथ ले कर, एक दूसरे को साथ ले कर चलना चाहते हैं, इस किस्म का बिल यहां पेश करना किसी लिहाज से भी काबिले तसव्वुर नहीं है।

जनाब चेयरमैन साहिब, मैं आपकी बसातत से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस बिल को किन बुनियादों पर इस हाउस ने मंजूर किया है और हुकूमत ने किन बुनियादों पर . . .

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : मंजूर नहीं किया है बल्कि यह पेश किया गया है।

श्री अ० मु० तारिक : पेश तो किया गया है लेकिन पेश करने से पहले हाउस का सैक्रेटेरिएट ऐसे बिलों की छानबीन करता है और उन्हें बहस के लिए मंजूर करता है। मैं समझता हूं कि यह बिल इस काबिल भी नहीं था कि इस को हाउस की तरफ से छापा जाता और मुशतहर किया जाता। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इस किस्म की चीजें जो मुल्क को गलत रास्ते पर ले जाने वाली होती हैं, यह सैक्रेटेरिएट या हुकूमत किन बुनियादों पर मंजूर करती है ?

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की सख्त लफ़्ज़ों के साथ मुखालिफत करता हूं और मैं समझता हूं कि इस बिल को इस एवान में ला कर इस एवान की तोहीन की गई है।

श्री म० ला० द्विवेदी : आनरेबल मैम्बर ने कहा है कि इसको मंजूर किया है। इस बिल को कहां मंजूर किया गया है, इस पर तो विचार चल रहा है . . .

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री अपने भाषण में इसे बतायेंगे।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : यह विधेयक बहुत विवादास्पद और बहुत अवांछनीय है। यद्यपि हम उनका दृष्टिकोण समझते हैं तथापि मेरे विचार से ऐसे समय हमारे लिये इतिहास को बदलना संभव नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में कोई संवैधानिक कठिनाइयां हैं। प्रस्तावक महोदय यह चाहते हैं कि धार्मिक स्थानों तथा उन से सम्बद्ध सम्पत्तियों को राज्य सरकारों द्वारा ले लिया जाये। तत्पश्चात् ये सम्पत्तियां उन व्यक्तियों अथवा समुदायों को वापस कर दी जायें जो पहिले उसके स्वामी थे। इसके लिये हमें उनके इतिहास का पता लगाना होगा। इसके अतिरिक्त क्या वर्तमान संविधान के अधीन यह सम्भव है कि सरकार कुछ सम्पत्तियों को बलात् अपने अधिकार में ले लेवे।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य ने इस में प्रतिकर का कोई प्रश्न नहीं उठाया है इस पर भी विचार करना होगा। यदि सरकार इन सम्पत्तियों को बलात् लेगी तो इस का क्या प्रभाव होगा। इस पर संवैधानिक रूप से विचार करना होगा। इस दृष्टि से यह संविधान अनुपयुक्त प्रतीत होता है।

एक प्रश्न यह भी है कि क्या इन सम्पत्तियों के स्वामित्व के सम्बन्ध में जांच की जा सकती है। यह जांच न्यायिक आधार पर ही की जा सकती है कार्यपालिका के आधार पर नहीं। माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि जिन पूजा स्थानों का प्राचीन काल में परिवर्तन या रूपभेद किया गया है उसकी जांच की जाये। इस के लिये हमें अत्यन्त प्राचीन काल के इतिहास की छानबीन करनी पड़ेगी इसका निश्चय कौन करेगा। अतः यह कार्य एक असैनिक न्यायिक न्यायाधिकरण ही कर सकता है।

दीवानी विधि के अधीन यदि आप किसी सम्पत्ति के बारह वर्षों से मालिक रहे हैं तो भले ही यह सम्पत्ति आप के पास अनैतिक रूप से आयी हो आप इसके मालिक करार दिये जाते हैं।

यह संभव है कि प्राचीन काल में कुछ धार्मिक स्थानों पर बलात कब्जा किया गया हो। तथापि अब हम उन स्थानों को किस प्रकार वापस ले सकते हैं। इसके लिये दो या तीन उपचार हैं। वस्तुतः सार्वजनिक संस्थानों पर विभिन्न विधियां लागू होती हैं। अवधि अधिनियम की धारा १० के अधीन इनके लिये अधिक अवधि दी जा सकती है।

पीड़ित व्यक्ति या समुदाय आवश्यक कार्यवाही के लिये दीवानी न्यायालय की शरण ले सकता में। तथापि सार्वजानिक प्रन्यासमें में यह बात इस प्रकार लागू नहीं होती जैसी कि गैर-सरकारी प्रन्यास में। तथापि प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार को यह शक्ति दी जा सकती है? संविधान कुछ बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित है। संविधान में निहित उपबन्धों के अधीन हमें इस प्रकार का विधान बनाने का अधिकार नहीं है।

मान लो कि २००० वर्ष पहिले किसी धर्म विशेष की सम्पत्ति पर किसी अन्य धर्म के अनुयायियों ने कब्जा कर लिया और फिर काफी समय तक उस पर काबिज रहे। अब जो भी हमारा कानून है उसमें चिरभोगाधिकार और अवधि विधि का भी प्रश्न है। उसके अन्तर्गत व्यवस्था यह है कि यदि कोई व्यक्ति १२ वर्ष से सम्पत्ति के आधिपत्य में हो तो वह सम्पत्ति का मालिक हो जाता है। इस विधेयक में बहुत ही व्यापक शब्दों का प्रयोग है। क्योंकि प्रस्तावक महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि एक ही धर्म के अन्तर्गत भी कई उपधर्म तथा उपसम्प्रदाय है। अतः मेरा निवेदन है कि सारी प्राइवेट धार्मिक संस्थानों तथा धार्मिक संस्थाओं के सम्बंध में इस प्रकार के क्रान्तिकारी विधेयक को प्रस्तुत करना मैं ठीक नहीं समझता। इसके अतिरिक्त इस दिशा की वैधानिक तौर पर एक और कठिनाई है वह यह कि यह विषय समवर्ती सूची में आता है। और ऐसे विषयों पर प्रथा यह रही है कि जब तक राज्य सरकारों के विचार हमारे सामने न हों तब तक हम कोई विधान पारित नहीं कर सकते। और एक बड़ी बात यह है कि इस विधान से जातियों में रोष के फैलने और उपद्रवों के उत्पन्न होने की संभावना है। देश की शान्ति के लिये अच्छा यही है कि ऐसा न किया जाय।'

यह भी है कि हम राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के रूप में धर्म निरपेक्ष हैं। उस धर्म निरपेक्ष सरकार को देखते हुए यह उचित ही होगा कि जहां तक धार्मिक संस्थाओं का सम्बन्ध, उसे अधिकार अथवा शक्तियां न दी जायें। मुझे इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य ने कुछ प्राकृतिक विधान को समझा नहीं है। हर एक को सुनने का, अपील करने का हक है, और यदि इस विधेयक के उपबन्धों को स्वीकार कर लिया जाय। मेरा मत यह है कि यह विधेयक विवादास्पद तथा अवांछनीय विषय वाला है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य इसके लिये मत विभाजन करने पर जोर नहीं देंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांवा) : सभापति जी, संसद के पिछले अधिवेशन में जब इस विधेयक को मैंने उपस्थित किया था तो मेरे मस्तिष्क में देश का वह वातावरण कार्य कर रहा था जिसको आजकल के हमारे नेता भावात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं और उसी पृष्ठभूमि में मैंने इस विधेयक को संसद के सामने उपस्थित भी किया था ।

इस विधेयक को उपस्थित करते समय मैंने सबसे पहले जानने का यत्न किया कि हमारे देश में हिन्दुओं के अतिरिक्त जो दूसरे सम्प्रदाय हैं उनके कुछ धर्म मन्दिर तो इस प्रकार के नहीं हैं कि उनको बलात् किसी ने अपने अधिकार में करके किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया हो । मैंने भारत सरकार से इस सम्बंध में जानकारी चाही और हमारे पुनर्वास मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान बनने के पश्चात् जो मस्जिदें और मजार उन लोगों के जो पाकिस्तान चले गये थे, पंजाब और दूसरे स्थानों में रह गये थे उनमें अधिकांश उनको वापिस किए जा चुके हैं । उन्होंने उन स्थानों की संख्या भी बतलायी । उन्होंने बताया कि इस प्रकार के २०,६६६ धर्म स्थान हमने उनको वापस किये हैं । १६ के सम्बन्ध में हमारे पुनर्वास मंत्री ने बताया कि बंगाल में अभी कुछ ऐसी मस्जिदें शेष हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी बनने को तैयार नहीं है इसलिये उनको अभी तक किसी को नहीं दिया जा सका । उनका कोई उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो उनको भी वापिस कर दिया जाएगा । अपने विधेयक को उपस्थित करते समय मैंने सरकार को इसी लिये धन्यवाद दिया था कि उसने देश में भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिये एक अनुकूल निर्णय लिया । उसी के साथ साथ मैंने तस्वीर का दूसरा पहलू भी सदन के सामने उपस्थित किया था । मैंने निवेदन किया था कि जब आपने इतनी बड़ी संख्या में उन धर्म स्थानों को जिनके दूसरे के हाथ में जाने से उस धर्म के अनुयायियों के हृदय को चोट पहुंचती वापस कर दिया है तो यह भी आवश्यक है कि दूसरे धर्म उन धर्म स्थानों को भी जिनको भूतकाल में दूसरे धर्म वालों ने परिवर्तित कर लिया हो वापस कर दिया जाए । और मैंने इसके लिए कुछ उदाहरण भी दिये थे जिनमें एक मथुरा का कृष्ण जन्म मन्दिर है जिस पर आज एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है । जब कोई यात्री मथुरा के स्टेशन पर धार्मिक भावना लेकर जाता है और जानना चाहता है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था तो उस स्थान पर इस बड़ी मस्जिद को देख कर उसके हृदय में चोट पहुंचती है ।

इसी प्रकार जब कोई तीर्थ यात्री अयोध्या जाकर भगवान राम का जन्म स्थान देखना चाहता है तो वहां भी एक मस्जिद को खड़ी देख कर उसके मन को ठेस लगती है ।

अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि यह बहुत साधारण सी चीज है इसके लिये इतना बड़ा वातावरण तैयार नहीं करना चाहिए । मैं उनसे उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि अगर यरूसलम में जहां महात्मा ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस स्थान पर जो गिरजाघर बना हुआ है उसको कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने अधिकार में लेकर उस स्थान पर अपने धर्म के अनुसार कोई दूसरा धर्म मन्दिर बनवा दे तो जिस तरह से ईसाई धर्म के अनुयायियों को चोट पहुंचेगी उसी तरह हिन्दुओं को इन मन्दिरों के परिवर्तन के कारण चोट पहुंचती है । यदि यरूसलम के गिरजाघर के बजाए किसी दूसरे गिरजाघर को परिवर्तित कर दिया जाए तो उस धर्म के अनुयायियों को उतनी चोट नहीं पहुंचेगी जितनी कि यरूसलम के गिरजाघर के परिवर्तन से पहुंचेगी क्योंकि उस स्थान पर महात्मा ईसा का जन्म हुआ था । इसी प्रकार राम और कृष्ण को इस देश की जनता का एक बहुत बड़ा भाग अपने महापुरुष मानता है और अगर उन स्थानों पर दूसरे मतों के इबादतगाह या मस्जिदें बनी हों तो देश की जन संख्या के एक बहुत बड़े भाग के हृदय को ठेस लगती है । और इसी दृष्टि से मैंने चाहा था कि हमारी भारत सरकार जो कि एक धर्म निरपेक्ष सरकार है और किसी के धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होने देना चाहती और सबके धार्मिक अधिकारों को संरक्षण देती है हमारे धर्म स्थानों को वापिस दिलवाए । जहां हमारा यह शासन आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सभी दृष्टियों से देश के लोगों को संरक्षण देता है वहां एक धर्म निरपेक्ष शासन होने के कारण उसका यह

नैतिक कर्तव्य है कि देश में लोगों को धार्मिक संरक्षण दे और इस प्रकार भावात्मक एकता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करे।

इसी लिए मैंने चाहा था कि इस विधेयक के द्वारा इस समस्या का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान हो जाए। इस बात को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। पिछली बार इस विधेयक को उपस्थित करते समय मैंने कहा था कि कनिंघम ने अपनी कलम से लिखा है कि अकेले अयोध्या के राम जन्म मन्दिर को पुनः मन्दिर के रूप में परिवर्तित करने के लिए ७४,००० आदमियों को बलिदान देना पड़ा था। यह मन्दिर तीन बार बना और तीन बार बिगाड़ा गया। मैं यह विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रश्न का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ तो देश में धीरे धीरे ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा कि फिर इसका दूसरे ढंग से समाधान किया जाए। लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों में यही अच्छा है कि इसका समाधान शान्तिपूर्ण तरीके से किया जाता। मुझे इन शब्दों के कहने की आज्ञा दीजिये।

मैं अपने संक्षिप्त वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए बड़ी नम्रता से कहता हूं कि हमारी सरकार की यह आदत पड़ती जा रही है कि अगर हिन्दुओं के विपरीत कोई बात कही जाती है तो उसको अल्पसंख्यकों के संरक्षण और अल्पसंख्यक जाति को सुविधा देने के नाम पर तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन अगर कोई बात इस विशाल सम्प्रदाय के संरक्षण की आती है तो उसको साम्प्रदायिक और देश के अन्दर खराब वातावरण पैदा करने वाली कह कर पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की जनता अब इसको ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए मेरा बहुत नम्रता के साथ अनुरोध है कि जो विधेयक मैंने उपस्थित किया है यह बहुत न्यायसंगत विधेयक है इसको स्वीकार किया जावे। इसमें मैंने किसी धर्म विशेष के लिये यह नहीं चाहा है कि उसको कोई विशेष सुविधा दी जाये। मैंने उस समय कहा था कि अगर मुसलमानों की कुछ मस्जिदें हिन्दुओं के कब्जे में हैं तो वे उनको वापस दे दी जायें और इसी तरह से ईसाइयों के कुछ धर्म स्थान दूसरों के अधिकार में चले गए हों, तो वे भी उनको वापस कर दिये जायें। यही बात मैंने दूसरे धर्मों के बारे में कही थी। जब मैं उन के लिये मांग कर सकता हूं तो मैं इसके लिये भी दृढ़तापूर्वक मांग कर सकता हूं कि हिन्दुओं के कोई धर्म-स्थान अगर दूसरों के अधिकार में हैं जिससे उस धर्म के अनुयायियों को चोट लगती है तो वे भी वापिस कर दिये जायें। यह बड़ा संगत विधेयक है और मैं समझता हूं कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी।

इन शब्दों के साथ मैं बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए।

†**सभापति महोदय : प्रश्न यह है :**

"कि कुछ व्यक्तियों अथवा समुदायों द्वारा अधिकृत धार्मिक पूजा के स्थानों को उनके असली मूल स्वामियों को लौटाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन)

†**श्री तंगामणि : (मदुरै)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगमणि]

उद्देश्य और कारणों में यह कहा गया है कि दिल्ली किराया अधिनियम में इस प्रकार संशोधन किया जाय कि धारा १४ की उपधारा (६) की स्थानापन्न उपधारा बनाई जाय जिससे किसी सरकारी कर्मचारी को, जिसने कोई मकान रहने के प्रयोजन के लिये खरीद किया हो, वह कन्ट्रोलर को किरायेदार के निकालने का आदेश देने के लिये प्रार्थना कर सके। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी जिसे सरकारी क्वार्टर मिला हो, उसे क्वार्टर से निकाला जा सकता है अन्यथा उसे मकान का मालिक होते ही दंड के तौर से अधिकतम किराये के देने के लिए कहा जा सकता है। इसके विपरीत एक मकान मालिक जिसने कोई मकान खरीदा हो और उसकी उसे सचमुच अपने रहने के लिए आवश्यकता हो, वह किरायेदार को निकालने की उस समय तक मांग नहीं कर सकता जब तक कि मकान की खरीद से पांच वर्ष न व्यतीत हो जाये। स्थिति यह है कि इस प्रकार की असंगतता में कई मामलों में सख्ती हो गयी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिस ने दिल्ली में मकान खरीदा हो किन्तु उसका कब्जा न ले सकता हो, वह व्यक्ति बेदखल नहीं किया जायेगा अथवा दिये गये क्वार्टर के लिए उस से दंड के तौर पर अधिक किराया वसूल किया जायेगा ? इस लिए मेरा मत यह है कि यदि उससे अधिक किराया वसूल करना ही है तो नियमों में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि कर्मचारी से पांच वर्ष तक अधिक किराया वसूल न किया जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान नियमों के अनुसार ज्यों ही कोई सरकारी कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोईसदस्य मकान ले लेता है, तो सरकारी कर्मचारी को जिस क्वार्टर में वह रहा है उस का "स्टेंडर्ड" किराया देना पड़ता है। मेरे विचार में एक सरकारी कर्मचारी के लिए यह एक बड़ी कठिनाई है जो दूर की जानी चाहिए। मेरी इच्छा है कि सरकार कम से कम यह आश्वासन तो दे दे कि किसी कर्मचारी द्वारा मकान खरीदने पर पांच वर्ष तक उससे अधिक किराया वसूल नहीं किया जा सकता। इन शब्दों से मैं यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली)** : मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दिल्ली में अभी मकानों की कमी है और प्रति वर्ष ३१,००० मकानों की आवश्यकता होती है। परन्तु हमारी सरकार तो अभी १००० मकान प्रति वर्ष भी नहीं बना रही। अवैध निर्माण हो रहे मकानों का यही कारण है इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसी असंगति को दूर करना है जिसके फलस्वरूप कई सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है और इसलिये यह पारित किया जाये। दिल्ली में मकानों की बहुत तंगी है और हर साल जितने मकान बनकर तैयार होते हैं वे मांग को पूरा नहीं कर पाते। इस समय ४१,३५३ सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान नहीं है। यह असंगति इस बात से उत्पन्न हुई है कि कुछ नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी से केवल इस कारण अधिक किराया वसूल कर सकती है कि उसने मकान लिया है जब कि कुछ अन्य नियमों के अनुसार यह कर्मचारी पांच वर्ष तक मकान का कब्जा नहीं ले सकता। यह विधेयक पारित किया जाये ताकि कर्मचारियों को हो रही कठिनाई किसी हद तक दूर की जा सके। मूल अधिनियम में एक अन्य दृष्टिकोण से संशोधन अपेक्षित है कि कुछ किरायेदार अपने मकान बना लेने के बाद भी किराये के मकानों में रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई यह है कि जिन कर्मचारियों की पहुंच होती है वे बिना बारी के क्वार्टर प्राप्त कर लेते हैं जबकि अन्य कर्मचारियों को काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन सब समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिये। अतः यह विधेयक पारित किया जाये ताकि एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सके।

†**श्री सा० मो० बनर्जी (कानपुर)**: मकानों की कमी को देखते हुए यह विधेयक एक आवश्यक विधान है। सरकार सुनिश्चित करे कि सभी कर्मचारियों का कम से कम दो कमरों वाले क्वार्टर दिये जायें। उसे उन कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार करना चाहिए जो प्राइवेट मकानों में रहते हैं और जो सरकार द्वारा निवास-स्थान दिये जाने पर किराये के भत्ते से तो वंचित हो ही जाते हैं किन्तु उन्हें अपने वेतन में से कुछ कटौती भी बरदाश्त करनी पड़ती है। इस प्रकार उन्हें दुगनी हानि होती है। जब दण्ड के तौर पर अधिक किराया देना पड़ता है तो उन्हें और भी हानि उठानी पड़ती है।

सन्तोष का विषय है कि जहां तक सरकार द्वारा मकान दिये जाने का सम्बन्ध है, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के हाल के एक निर्णय के फलस्वरूप अन्य शहरों से दिल्ली आने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता कम न होगी। यह निर्णय लागू किया जाये।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मेरे माननीय मित्र ने विधेयक इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ कठिनाइयां होती हैं। पांच वर्ष की अवधि किरायेदारों के संरक्षण के लिए रखी गई थी ताकि हस्तांतरण होने पर कोई व्यक्ति उस पर कब्जा न कर ले। यह अच्छे सिद्धान्तों पर आधारित है।

माननीय सदस्य का कहना है कि इस से सरकारी कर्मचारियों को कठिनाई होगी। किन्तु मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी मकान खरीदता है या मकान उसे हस्तांतरित होता है, तो उसे अपना सरकारी क्वार्टर खाली नहीं करना पड़ेगा और उसे उस को रखने का अधिकार रहेगा। इन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी को कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु मकान का कब्ज़ा लेने के बाद, यदि वह सरकारी क्वार्टर में रहना चाहे, ताकि वह कुछ लाभ कमा सके, तो उसे नहीं रहने दिया जाये। यदि वह मकान खरीदता है, और वह उस का कब्ज़ा भी ले लेता है, किन्तु उस में रहना नहीं चाहता, तो उस से दंड के तौर पर अधिक किराया लिया जायेगा। केवल मकान खरीद लेने के कारण उसे दंड के रूप में अधिक किराया नहीं लिया जायेगा।

तीसरी बात यह है कि क्या हम संविधान के उपबन्धों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के हक में पक्षपात कर सकते हैं, जिससे कि उन को एक नयी श्रेणी कायम हो जाये। यदि उन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाये, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। केवल सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसे उप-खंड ६ से मुक्ति मिल जायेगी। अतः प्रवृत्ति यह होगी कि सम्पत्ति सरकारी कर्मचारियों को हस्तांतरित की जाये।

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : आशा है कि नियमों में रूपभेद इस प्रकार किया जायेगा कि सरकारी कर्मचारियों को हो रही कठिनाई दूर हो जाये ।

सरकारी कर्मचारियों को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ देने का प्रश्न उपन्न नहीं होता; प्रश्न यह है कि यदि किसी वर्ग विशेष को किसी अनहेता से हानि उठानी पड़ती है, तो उसे पूरा किया जाये ।

मैं विधेयक को वापस लेता हूं ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४८८ का संशोधन)

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४८८ का संशोधन)

†श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

इस विधेयक में दो संशोधन सुझाये गये हैं । पहला यह कि धारा ४८८ में जहां कहीं 'बच्चा' शब्द आया है उस के स्थान पर 'लड़की या लड़का' ये शब्द रखे जायें । दूसरा यह है कि उप-धारा (४) में जहां कहीं "विवाह-बाह्य सम्बन्ध" ये शब्द आये हों उन के स्थान पर "यदि स्त्री ने अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से समागम किया हो' ये शब्द रखे जायें । इन दो छोटे छोटे संशोधनों का उद्देश्य है कि विभिन्न उच्च-न्यायालयों के परस्पर-विरोधी फैसलों से पैदा हुई स्थिति को स्पष्ट किया जाये ।

कुछ उच्च-न्यायालयों की राय में 'बच्चा' का अर्थ, १८ वर्ष की आयु से कम का बच्चा अर्थात् अवयस्क है किन्तु कुछ अन्य न्यायालयों में फैसला दिया है कि बच्चे की आयु कुछ भी हो, "आजीविका के साधन जुटाने में असमर्थ" मुख्य शर्त है । यदि प्रस्तावित संशोधन स्वीकार कर लिया जाये, तो भ्रम का निवारण हो जाता है । प्रश्न भार वहन करने का और कितने समय तक वहन करना पड़ता है, इस बात का है । यदि बच्चा अपनी आजीविका नहीं जुटा सकता, तो उसकी आयु कितनी ही हो, पिता को उस का भार आजीवन वहन करना पड़ता है । उदाहरणतया यदि कोई लंगड़ी या अन्धी लड़की है, जो अपना रोजी नहीं कमा सकती, तो उसके पोषण का उत्तरदायित्व पिता पर होगा । इसी लिये मैं ने विधेयक में यह प्रस्तावित किया है कि 'बच्चा' के स्थान पर 'लड़की या लड़का' शब्द रखे जायें, ताकि आयु का प्रश्न ही न रहे ।

हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ में उपबन्ध किया गया है कि पति पत्नी में से कोई भी एक अन्य स्त्री या पुरुष से समागम करे तो उन में से दूसरा व्यक्ति न्यायालय से अनुमति ले कर अलग हो सकता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी पति भार्या के अन्य पुरुष से एक बार समागम के आधार है अलग हो सकता है जब कि दंड प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया के अनुसार जब तक पत्नी पर पुरुष समागम न करती हो तब तक वह अपने पति सेजनिर्वाह-व्यय प्राप्त करने की हकदार है । मेरे प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने से यह असंगति दूर हो जायेगी ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं माननीय सदस्य के उद्देश्यों को अच्छी तरह समझता हूं। किन्तु हमें देखना चाहिए कि धारा ४८८ किन हालात में बनाई गई थी। इस धारा की तुलना हिन्दू विवाह अधिनियम या विभिन्न जातियों के अन्य अधिनियमों से करना उचित न होगा।

धारा ४८८ का उद्देश्य यह था कि पति पत्नी के आपसी झगड़े समाज के जीवन में बाधा न पैदा करें। दूसरा उद्देश्य यह था कि यदि पति पत्नी को आश्रय नहीं देता, तो पत्नी के पथभ्रष्ट हो जाने का डर रहता है, इसी लिये समाज की शान्ति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाह-व्यय की व्यवस्था की गई है। यह उपबन्ध भारतीय दंड विधि में विशेष है।

विधि आयोग भारतीय दंड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में कोई परिवर्तन आवश्यक है या नहीं इस सामान्य प्रश्न पर विचार कर रहा है। वह धारा ४८८ की उपयुक्तता पर भी विचार करेगा। इस विधेयक से सम्बन्धित सभा की कार्यवाही की एक प्रति आयोग को भेज दी जायेगी और हमें आशा है कि आयोग यहां दिये गये सभी सुझावों पर विचार करेगा।

निर्वाह-व्यय किन आधार पर और किस किस को मिलना चाहिए, इस के सिद्धान्त बहुत पुराने हैं, जो कि मनुस्मृति में दिये गये हैं। इसमें तीन प्रकार के व्यक्तियों को निर्वाह-व्यय का अधिकारी माना गया है। पहले दो वृद्ध माता-पिता हैं। इस के बाद पत्नी है। जब तक कि वह साध्वी है। हिन्दू विधि में पत्नी के साध्वी होने पर बहुत जोर दिया गया है। जहां तक पुत्र या पुत्री का सम्बन्ध है, यदि वे अवयस्क हैं, तो निर्वाह-व्यय के अधिकारी हैं। उदाहरणतया, वयस्क अविवाहित लड़की या वयस्क पुत्र निर्वाह-व्यय के अधिकारी नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि क्या रोज़गार न मिलने के कारण ही उसे माता-पिता पर भार बनने दिया जाये। मूल विधि में इस के लिये दो सिद्धान्त रखे गये थे। पहला तो यह कि वयस्क होने के बाद पुत्र या पुत्री को अपनी जीविका चलाने योग्य होना ही चाहिये। और नहीं होता, तो उस के परिणाम भुगतने चाहियें। इसलिये उस में 'शिशु' शब्द रखा गया था। श्री अजित सिंह सरहदी ने बिलकुल सही बताया है कि मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने 'चाइल्ड' शब्द का समानार्थी संस्कृत शब्द 'शिशु' ही माना है, अर्थात जो अवयस्क है।

उदाहरण के लिये यदि किसी लड़की का विवाह अपरिपक्व अवस्था में हो जाये तो उसे अपने रहन-सहन की व्यवस्था के लिये अपने पति के परिवार से खर्च मांगना पड़ेगा, पिता के परिवार से नहीं। पुत्र जब तक अवयस्क रहता है, उस के रहन-सहन की व्यवस्था पिता को करनी पड़ेगी। इसलिये कि संधारण का कर्त्तव्य सम्पत्ति के मालिकाना अधिकार पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अवयस्क पुत्र के संधारण का एक दायित्व भी पिता पर होता है। "संसाधारण करने के अयोग्य" शब्द इसलिये रखे गये हैं कि यदि कोई पुत्र १५ वर्ष की अवस्था में ही,——जब उसे वयस्क नहीं कहा जा सकता——सुशिक्षित और आत्म-निर्भर हो सके, तो उस का कर्त्तव्य है कि वह अपने पिता से संधारण के लिये न कहे। इसलिये 'शिशु' शब्द जान बूझ कर एक प्रयोजन से ही रखा गया था। यदि "पुत्र या पुत्री" शब्द रख दिये जायें, तो ऐसी भी एक परिस्थिति पैदा हो सकती है कि वयस्क भी संधारण के लिये खर्च मांगने लगें। "शिशु" शब्द की व्याख्या का काम तो विधि आयोग के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये। यहां मैं इतना ही कहूंगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में "शिशु" शब्द एक उद्देश्य से ही रखा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

मेरे माननीय मित्र ने यह भी कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता को हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुरूप बनाया जाना चाहिये। हिन्दू विवाह अधिनियम में कुछ दायित्वों और अधिकारों की व्यवस्था की गई है। उस से आवश्यक परिणाम निकलते हैं। हमें इस विधि में नैतिक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिये। हिन्दू विवाह अधिनियम में तो नैतिक विचारों का ध्यान रखना अत्यावश्यक था। यहां तो मैं केवल इतना ध्यान रखना है कि इसका प्रभाव दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पड़ता है। यदि आप दुराचरण के विचार को भी स्थान देंगे, तो फिर यह भी विचारना पड़ेगा कि वह स्वेच्छा से या अनिच्छा से। हमारे जैसे समाज में, जहां गांवों की अधिकता है और अशिक्षित इतनी ज्यादा हैं, हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कभी-कभी झूठे प्रलोभनों या अन्य कुछ कारणों से तरुणियां भटक जाती हैं। उन के उस के दुष्परिणामों की समझ नहीं होती। कभी-कभी उसे स्वेच्छा से "व्यभिचार" का शिकार बनना पड़ता है, मैं मानता हूं। परन्तु क्या एक ही बार की चूक पर उसे इतना कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये? इसीलिये दण्ड की व्यवस्था "व्यभिचार" का जीवन बिताने वाली स्त्रियों के लिये ही की गई है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के निर्माण के समय "व्यभिचार" शब्द की परिभाषा के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हुई थी। अन्त में, इस शब्द को बड़े सीमित अर्थ में स्वीकार किया गया था। उन की परिभाषा, हिन्दू समाज में प्रचलित व्यभिचार की परिभाषा से सर्वथा भिन्न है। परन्तु हमें इतना समझ लेना चाहिये कि यहां इस शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में ही किया गया है। व्यभिचारिणी पत्नी उसी को कहा जायेगा, जो अर्से से पर-पुरुषों के साथ व्यभिचार करती रही हो। एक बार के अपराध के बाद तो कोई उस पर अफ़सोस कर के अपने को सुधारने का प्रयास भी कर सकता है। परन्तु जो अर्से से व्यभिचारिणी रही हो, उस के लिये तो व्यभिचार आचरण का एक ढंग बन जाता है। उस से सिद्ध हो जाता है कि वह व्यभिचार के रंग में स्वेच्छा से गहरी रंग चुकी है और उसी में रहना चाहती है। इसीलिये दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसी व्यभिचारिनी स्त्रियों को संधारण के अधिकार से वंचित करने की व्यवस्था की गई है। इसीलिये यह शब्द रखा गया था।

बम्बई उच्च न्यायालय ने एक मुकदमे में निर्णय दिया था कि एक ही बार की चूक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४८८ लागू नहीं की जा सकती। इसलिये स्पष्ट हो गया होगा कि यह शब्द सोद्देश्य रखा गया है और उस की ठीक ही व्याख्या की गई है। आचार शास्त्र की दृष्टि से शायद वह बिलकुल खरी न हो, लेकिन परिवार और समाज की समस्वरता की दृष्टि से और भटकाव की रोकथाम की दृष्टि से यह सर्वथा उचित है।

हिन्दू विवाह अधिनियम या तलाक विधि के लिये तो "पति या पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के साथ मैथुन" शब्दावली ठीक है, लेकिन यहां तो हमें केवल संधारण के अधिकार से सम्बन्ध है। उस के लिये समाज के हित में भटकाव की रोकथाम की दृष्टि ही सर्वोपरि है। इसीलिये हमें इस शब्द को ही रखने की सलाह दी गई है।

इन सभी बातों को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ गये होंगे। आशा है कि वह हमें इस मामले पर विचार करने के लिये विधि आयोग से अनुरोध करने से नहीं रोकेंगे।

†श्री अजित सिंह सरहदी : मुझे प्रसन्नता है कि विधिआयोग इस विषय पर विचार करेगा। परन्तु 'शिशु' शब्द की व्याख्या के बारे में कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य अधिकांश उच्च न्यायालयों ने 'शिशु' का अर्थ 'अवयस्क' नहीं माना है।

यदि कोई पुत्र या पुत्री अपंग हो जाये, तो हर अवस्था में उस के संधारण का दायित्व पिता पर रहना चाहिये। लड़की का विवाह होने के बाद तो परिस्थिति बिलकुल ही बदल जाती है।

विधि आयोग को इस पर विचार करना चाहिये। मेरा ख्याल है कि 'शिशु' शब्द की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिये। होना यह चाहिये कि यदि कोई पुत्र या पुत्री—वह किसी भी उमर का हो—अपना संधारण स्वयं करने में असमर्थ हो, तो पिता को उसका संधारण करना चाहिये।

माननीय मंत्री की इस बात से मैं सहमत हूं कि संधारण पाने की एक शर्त स्तीत्व हो। प्रसन्नता की बात है कि विधि आयोग इस पर विचार करेगा।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा उन को विधेयक वापस लेने की अनुमति देती है ?

†कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

विधेयक सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक

†श्री झूलन सिंह (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक रखने का मेरा उद्देश्य यह है कि मूल्यों के उतार-चढ़ाव के कारण जूट-उत्पादकों को हानि न पहुंच सके। इसीलिये मैं चाहता हूं कि संविहित रूप से जूट का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाये।

जूट के उत्पादन, निर्यात और आयात के आंकड़े देखने से हमें संतोष हो गया है कि सरकार ने जूट उद्योग के विकास के लिये समुचित कदम उठाये हैं। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश जूट-उत्पादन के मामले में पिछड़ा हुआ नहीं है। सरकार ने बड़ी गम्भीरता से इस दिशा में प्रयास किये हैं।

लेकिन जिन लोगों ने देश को जूट के मामले में आत्म-निर्भर बनाया है, उन जूट-उत्पादकों की हालत बड़ी खराब है। मैं कच्चे जूट के उत्पादकों की बात कर रहा हूं।

सरकार ने जूट के मूल्यों में स्थायित्व लाने के लिये कुछ भी नहीं किया है। जूट-उत्पादन का सारा लाभ बिचौलियों को होता है। उत्पादकों को तो बहुत ही कम मूल्य मिल पाता है। जूट के व्यापारी उत्पादकों से जूट ले कर बाजार में उसे न भेज कर अपने पास रख लेते हैं और इस प्रकार कृत्रिम अभाव का परिस्थिति पैदा कर के उस का मूल्यचढ़ा देते हैं। इस प्रकार उत्पादक तो गरीब होते जाते हैं और बिचौलियों को पेट फूलता जाता है। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछकरना चाहिये। माननीय मंत्री ने अभी कल ही इस के सम्बन्ध में एक आश्वासन भी दिया था। इस से पता चलता है कि सरकार को भी इस का खतरा दिख रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झूलन सिंह]

इस के अतिरिक्त बाजार में कई कदाचार भी चल रहे हैं। उत्पादकों से जूट खरीदते समय एक प्रकार के बांट इस्तेमाल किये जाते हैं और बाजार में बेचते समय दूसरी प्रकार के। देखा जाये तो उत्पादकों ने ही देश में जूट उद्योग के विकास में सर्वाधिक योग दिया है। तभी हम जूट का निर्यात करने की स्थिति में आ सके हैं। इसलिये सरकार को उन के हितों की रक्षा अवश्य करनी चाहिये।

इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इस के उद्देश्य स्पष्ट बताये गये हैं। विधेयक के दो उद्देश्य हैं : जूट-उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से बचाना, और देश में जूट के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इस पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये।

जूट उद्योग देश के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है। अब हम १०० करोड़ रुपये के जूट का निर्यात तिवर्ष करते हैं। इसलिये इस उद्योग को दृढ़ आधार पर खड़ा करने के लिये हर प्रयत्न किया जाना चाहिये।

जूट-उत्पादकों का शोषण रोकने का एक तरीका यह है कि जूट का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाये।

अभी हाल में सरकार ने घोषणा की थी कि 'जूट मिल्स एसोसियेशन' कुछ रक्षित भंडार रख कर जूट के मूल्यों के उतार-चढ़ाव की रोकथाम करेगा। मेरा ख्याल है कि यह काम एसोसियेशन को नहीं सौंपा जाना चाहिये। एसोसियेशन ही तो जूट-उत्पादकों का शोषण करती रही है। इसलिये जूट का मूल्य विधिहित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य, यदि अवसर मिले, तो अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

सरसठवां प्रतिवेदन

†**श्री राने (बुलडाना) :** मैं कार्य मंत्रणा समिति का सरसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात्, लोक सभा सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१/१३ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, २ दिसम्बर, १९६१

११ अग्रहायण, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१२५६–८५

तारांकित
प्रश्न संख्या

४९१	औषध कारखाने . .	१२५६–६०
४९२	पटसन मजूरी बोर्ड का अन्तरिम पंचाट . . .	१२६०–६१
४९४	फल विधायन और फलों को डिब्बे में बन्द करने के लिये प्रौद्योगिकीय केन्द्र . .	१२६१–६२
४९५	अल्प-विकसित देशों को अमरीकी सहायता	१२६२–६४
४९६	जम्मू और काश्मीर का औद्योगिक सर्वेक्षण	१२६४–६५
४९८	डा० आओ की हत्या के सम्बन्ध में जांच	१२६५–६६
४९९	मैंगनीज का निर्यात	१२६६–६७
५०१	कोयला खानों में मजूरी . .	१२६७
५०२	नौकरों, बैंक खातों आदि की अदला-बदली .	१२६८–६९
५०३	हाथ से काते गये रेशमी धागे पर छूट	१२७०
५०४	आकाशवाणी . .	१२७०–७२
५०५	वार्षिक योजनायें बनाना . .	१२७२–७४
५०६	समाचारपत्रों का पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण	१२७४–७६
५१०	पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण सन्धि .	१२७६
५१३	आय-व्ययक सत्र के लिये कार्यक्रम .	१२७७
५१६	उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना . .	१२७७–७९
५१९	मैंगनीज की खान के मालिकों को निर्यात का प्रोत्साहन	१२७९–८०
५२१	छोटे पैमाने के उद्योगों का यंत्रीकरण .	१२८०
५२२	लोक-गीत	१२८१–८२
५२३	दिल्ली में जमीनों के बड़े प्लाटों का छोटे प्लाटों में विभाजन .	१२८२
५२४	साम्यवादियों का सिक्किम में घुस आना	१२८२–८३
५२६	लंका आप्रव्रजन अधिनियम .	१२८३–८५

1631 (Ai) LSD—7.

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—	१२८५–१२२३
तारांकित प्रश्न संख्या		
४६३	भूटान में जलढाका नदी	१२८५
४६७	प्रांगरिक रसायन . . .	१२८६
५००	अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग	१२८६
५०६	दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना . .	१२८६–८७
५०७	बर्मा में नौकरी करने वाले डाक्टर . . .	१२८७
५०८	शिवकाशी में सदर्न इण्डिया एक्सप्लोटिंग कम्पनी फायरवर्क्स में विस्फोट	१२८७
५११	एशिया मैगजीन . . .	१२८७–८८
५१२	नई दिल्ली के पुराने किले में विस्थापित परिवार	१२८८
५१४	प्रबन्ध कर्मचारियों का प्रशिक्षण . .	१२८८
५१५	क्यूबा को पटसन के बोरों और टाट का निर्यात .	१२८९
५१७	न्यूयार्क का अन्तर्राष्ट्रीय अयस्क और उर्वरक निगम . .	१२८९
५१८	फ़रीदाबाद में भूमि का विकास . . .	१२८९
५२०	आवास योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा धन विनियोजन	१२९०
५२५	रबड़ टायरों का निर्माण .	१२९०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१००१	गुजरात में लघु उद्योग . .	१२९०–९१
१००२	व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण . . .	१२९१
१००३	महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को छूट .	१२९१
१००४	सूती कपड़ा उद्योग में विदेशी समवाय	१२९१
१००५	पूर्वी बंगाल से शरणार्थी . .	१२९२
१००६	लंका में भारतीय हथकरघों का आयात .	१२९२
१००७	लद्दाख तथा तिब्बत से व्यापार . .	१२९२
१००८	आयात-निर्यात लाइसेंस . . .	१२९२
१००९	चीन जाने के लिए भारतीयों को जारी किये गये पासपोर्ट	१२९३
१०१०	दण्डकारण्य परियोजना	१२९३
१०११	भारत में तिब्बती शरणार्थी . .	१२९३
१०१२	पंजाब में रजिस्टर्ड बेरोजगार व्यक्ति	१२९३–९४

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०१३	दिल्ली के होटलों में गोमांस का परोसा जाना . .	१२६४
१०१४	उद्योग में व्यावसायिक खतरे . . .	१२६४–६५
१०१५	कानपुर में उद्योगपतियों को ऋण . .	१२६५
१०१६	सरकारी उपक्रमों पर वित्तीय नियंत्रण .	१२६५
१०१७	पंजाब में कपड़े की मिलें . .	१२६५
१०१८	अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी फिल्म .	१२६६
१०१९	मध्य प्रदेश में अल्यूमिनियम का कारखाना	१२६६
१०२०	सरकारी दफ्तरों को दिल्ली से बाहर ले जाना .	१२६६
१०२१	कर्सियांग में शार्ट वेवे स्टेशन . . .	१२६६–६७
१०२२	ग्यान्त्से (तिब्बत) में भारतीय व्यापारी एजेंसी का भवन	१२६७
१०२३	लाओस सम्बन्धी जेनेवा कान्फ्रेंस . .	१२६७–६८
१०२४	केरल का आर्थिक विकास . . .	१२६८
१०२५	कोयला धोने का संयंत्र	१२६८
१०२६	स्विट्जरलैंड को चमड़े की वस्तुओं का निर्यात . .	१२६६
१०२७	कागज के संयंत्र . . .	१२६६
१०२८	अफ्रीकी देशों को सहायता . . .	१३००
१०२९	स्वतंत्र विश्व का साझा बाजार	१३००
१०३०	लुधियाना में ऊन परिशोधन कारखाना . .	१३००
१०३१	केरल में नारियल जटा उद्योग . .	१३०१
१०३२	ईरान के साथ व्यापार . . .	१३०१
१०३३	सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण . .	१३०१
१०३४	तीसरी योजना में क्वार्टरों का निर्माण .	१३०२
१०३५	कालीन उद्योग का सर्वेक्षण	१३०२
१०३६	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ .	१३०२
१०३७	लघु उद्योग बोर्ड . . .	१३०२–३
१०३८	औद्योगिक बस्तियां	१३०३
१०३९	भारतीय शीशे की मांग	१३०४
१०४०	कनाट सर्कस, नई दिल्ली में केन्द्रीय पार्क . .	१३०४–५
१०४१	तृतीय योजना काल में करारोपण . .	१३०५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०४२ पश्चिम जर्मनी और ईरान में चाय सलाहकारों की नियुक्ति . १३०५
१०४३ हरिजन औद्योगिक बस्तियां . . १३०५–६
१०४४ चल-चित्रों का आयात . १३०६
१०४५ अध्यापक प्रशासक . . . १३०६–७
१०४६ लघु उद्योग १३०७
१०४७ पंजाब सरकार को मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम के ऋण . . . १३०७–८
१०४८ दिल्ली में प्लाटों का हस्तांतरण . . . १३०८
१०४९ चिली को चाय का निर्यात १३०८
१०५० चाय का उत्पादन . . १३०८–९
१०५१ अनुशासन संहिता सम्बन्धी गोष्ठी . १३०९
१०५२ एशिया के योजना निर्माताओं का सम्मेलन . १३१०
१०५३ तारापुर के समीप अणुशक्ति केन्द्र . १३१०
१०५४ जनपथ होटल, नई दिल्ली १३१०
१०५५ विस्थापित व्यक्तियों के दावे . १३११
१०५६ आयात तथा निर्यात नीति १३११
१०५७ रायपुर जिला, मैसूर राज्य में सूत कातने की मिलें . . १३११
१०५८ अमरीका में सीटल नामक स्थान पर प्रदर्शनी . . १३१२
१०५९ दिल्ली क्लाथ मिल के रासायनिक कारखाना दिल्ली में दुर्घटना . १३१२–१३
१०६० कर्मचारी राज्य बीमा योजना . . . १३१३
१०६१ कच्ची फिल्मों का कारखाना १३१३
१०६२ यूरोपीय साझा बाजार १३१४
१०६३ इंडोनेशिया से व्यापार-मंडल . . १३१४
१०६४ टैक्सी के मीटरों का आयात १३१४–१५
१०६५ दिल्ली में श्रीनिवासपुरी और पिंजरापोल में गृह-निर्माण . १३१५
१०६६ मुहम्मदपुर-मुनीरका बस्ती . . . १३१५–१६
१०६७ लाजपतनगर, नई दिल्ली के दोमंजिले क्वार्टरों में दूसरी मंजिल के क्वार्टरों का दिया जाना . . . १३१६
१०६८ लाजपतनगर, नई दिल्ली में "सी" टाइप क्वार्टर . . १३१६
१०६९ लाजपतनगर—२, नई दिल्ली में क्वार्टर . . १३१६–१७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०७०	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां	१३१७
१०७१	नकली मोती और हीरे	१३१७
१०७२	गुलमर्ग दर्रे के निकट एक गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण	१३१७
१०७३	कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग सम्बन्धी परिषद्	१३१८
१०७४	भारत के रिजर्व बैंक का "प्रत्याभूति संगठन"	१३१८—२०
१०७५	अखबारी कागज	१३२०
१०७६	कस्तूरबा नगर में क्वार्टर	१३२१
१०७७	कहवा बोर्ड का पुनर्गठन	१३२१
१०७८	पंजाब में लघु उद्योग	१३२२
१०७९	उद्योगों में सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार	१३२२
१०८०	प्याज और सूखी मछली का श्रीलंका को निर्यात	१३२२
१०८१	बागान उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	१३२२–२३

स्थगन प्रस्ताव १३२३

अध्यक्ष महोदय ने २७ नवम्बर, १९६१ को निपानी में पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियों के बारे में जिसके फलस्वरूप कई व्यक्ति जख्मी हुए। एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री नाथ पाई, और गोरे ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३२४

श्री तंगामणि ने पूर्व रेलवे द्वारा हिन्दुस्तान मोटर्स को अपने कारखाने में हड़ताल तोड़ने के लिये लोगों को ले जाने के लि हावड़ा से हिन्द मोटर हाल्ट तक एक विशेष रेल गाड़ी दिये जाने की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाया।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३२५–२६

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

विषय　　पृष्ठ

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये नैशनल इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(३) इंडियन बायलर्ज़ अधिनियम, १९२३ की धारा २८क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७१ में प्रकाशित पुनरीक्षण आवेदन-पत्र (प्रक्रिया) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(४) दिल्ली दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, १९५४ की धारा ४७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली दुकानें तथा प्रतिष्ठान नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ सितम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ २० (६)/ ६१-लेब (१) की एक प्रति ।

(५) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत उक्त एक्ट की अनुसूची १ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ नवम्बर, १९६१ की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० १३८२ ।

राज्य सभा से सन्देश　　१३२६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा अपनी २९ नवम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २० नवम्बर, १९६१ को पास किये गये प्रसूति लाभ विधयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २९ नवम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये कहवा (संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा अपनी २९ नवम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये शिशिक्षु विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(चार) कि राज्य सभा २९ नवम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २३ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

विषय पृष्ठ

(पांच) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये वेतनों में स्वेच्छा से कटौती (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक, १९६१ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

(छै) कि राज्य सभा ने अपनी ३० नवम्बर, १९६१ की बैठक में भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पास कर दिया है।

(सात) कि राज्य सभा ने अपनी ३० नवम्बर, १९६१ की बैठक में विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पास कर दिया है।

(आठ) कि राज्य सभा अपनी ३० नवम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

राज्य सभा द्वारा पारित नये विधेयक सभा पटल पर रखे गये १३२६

सचिव ने निम्नलिखित विधेयकों को, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, पटल पर रखा :—

(१) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६१।

(२) विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९६१।

सदस्य की गिरफ्तारी १३२७

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें त्रिचूर के न्यायिक उप-दण्डाधीश (ज्यूडिशियल सब-मजिस्ट्रेट) से दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ का एक तार मिला है, जिसमें यह बताया गया है कि श्री के० के० वारियर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १०९ और ११७ के साथ पठित धारा १४३, १४५, १४७, ३४१,३५३ और ४४७ के अधीन दर्ज एक मामले के सम्बन्ध में ३० नवम्बर, १९६१ को गिरफ्तार किया गया था और १ दिसम्बर, १९६१ को उनके समक्ष पेश किया गया था और जांच पू री होने के लि े सात दिन के लिए विय्यर की विशेष सब-जेल में हिरासत में रख दिया गया।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य १३२७–२८

(१) वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कृत्यों और गति-विधियों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(२) संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) ने ४ दिसम्बर, १९६१ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

विधेयक पुरस्थापित— १३२८

(१) राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, १९६१।

(२) गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६१।

(३) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६१।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६१-६२ १३२९—३४

वर्ष १९६१-६२ के बजट (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी रही।

तथा मांगें **पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।**

बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव १३३४—४१

श्री राजेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि हाल में हुई बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेलवे मंत्री द्वारा २० नवम्बर, १९६१ को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित १३४१-४२

(१) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६१ (**नई धारा २३ क का रखा जाना**) (श्री अजित सिंह सरहदी का)

(२) चल-चित्र उद्योग कर्मचारी (का' की दशा में सुधार) विधेयक, १९६१ (श्री गोरे का)

(३) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६१ (**धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन**) (श्री स० चं० सामन्त का)

(४) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ (श्री अ० मो० शर्मा का)

(५) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, १९६१ (श्री अमजद अली का)

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक अस्वीकृत १३४२—४७

श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा १-९-६१ को प्रस्तुत किये गये धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। **प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक वापिस लिये गये १३४७—५३

(१) श्री गामणि ने यह प्रस्ताव किया कि दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ का संशोधन) पर विचार किया जाये। उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

विषय पृष्ठ

(२) श्री अजित सिंह सरहदी ने यह प्रस्ताव किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४८८ का संशोधन) पर विचार किया जाये। उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक विचाराधीन १३५३–५४

श्री झूलन सिंह ने यह प्रस्ताव किया कि पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १३५४

सड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१/१३ अग्रहायण १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

भारतीय क्षेत्र में चीनियों के नवीनतम अतिक्रमण के बारे में चर्चा

वर्ष १९६१–६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बजट) सामान्य पर विचार।

GMGIPND—LS III—1631 (Ai) LSD—4-1-62—125.

विषय **पृष्ठ**

(२) श्री अजित सिंह सरहदी ने यह प्रस्ताव किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४८८ का संशोधन) पर विचार किया जाये। उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक विचाराधीन १३५३-५४

श्री झूलन सिंह ने यह प्रस्ताव किया कि पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १३५४

सड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१/१३ अग्रहायण १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

भारतीय क्षेत्र में चीनियों के नवीनतम अतिक्रमण के बारे में चर्चा

वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बजट) सामान्य पर विचार।

GMGIPND—LS III—1631 (Ai) LSD—4-1-62—125.